VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

सुरक्षा

October 2016 – June 2017

Note: July, August and September Material will be updated in September Last week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. साइबर सुरक्षा 4

1.1. भारत में साइबर अपराध 4

1.1.1. महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना 4

1.1.2. वित्तीय क्षेत्र 5

1.2. भारत की साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 6

1.3. भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदम 6

1.3.1. महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिए 6

1.3.2. वित्तीय क्षेत्र के लिए 7

1.3.3. साइबर सुरक्षा अवसंरचना की स्थापना 7

1.3.4. सामान्य उपाय 9

1.4. आगे की राह 9

2. चरमपंथ 11

2.1. नक्सलवाद 11

2.2 कश्मीर मुद्दा 13

2.3. रेडिकलाइजेशन का सामना 15

3. एक्सटर्नल स्टेट एवं नॉन-स्टेट एक्टर की भूमिका 17

3.1. सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 17

3.2 राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 18

3.3. आतंकवाद 19

3.3.1 आतंक का वित्तपोषण 19

3.3.2. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय 20

3.3.3. सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2322 21

3.3.4 "लोन वुल्फ" - स्टाइल आतंकवादी हमले 23

4. आंतरिक सुरक्षा में प्रौद्योगिकी, संचार, मीडिया और सोशल मीडिया 24

4.1. आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा 24

4.2 आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका 25

4.3. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी 27

4.4. नेटग्रिड 28

4.5 अन्य पहल 29

4.5.1 अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) 29

4.5.2. सैटेलाइट आधारित पुलिस दूरसंचार प्रणाली 30

4.5.3. कोम्प्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम: CIBMS 30

4.5.4. सशस्त्र बलों की शक्ति बढाने के लिए मानव रहित वाहन 30

4.6. रासायनिक हथियार 32

VISION IAS

5. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा 33

5.1. सीमा प्रबंधन और संघर्ष विराम उल्लंघन 33

5.2. भारत म्यांमार सीमा 35

5.2.1. म्यांमार से लगी पूर्वी सीमा की बाड़बंदी 35

5.2.2. म्यांमार और NSCN-K का युद्ध विराम समझौता 36

5.3. कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत 37

5.4. तट रेखा की सुरक्षा में वृद्धि 39

6. मनी लॉन्डरिंग, संगठित अपराध एवं आतंकवाद 42

6.1. मनी लॉन्डरिंग 42

6.2. काले धन पर अंकुश लगाने हेतु SIT द्वारा पी-नोट्स आंकड़ों की छानबीन 43

6.3. भारत में हवाला लेन-देन और आतंकवाद 44

6.4. मानव तस्करी 45

7. सुरक्षा बल एवं एजेंसियां 47

7.1 सैन्य सुधार 47

7.1.1. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड 47

7.1.2. 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' की आवश्यकता 49

7.2. अर्द्धसैनिक बलों से सम्बंधित मुद्दे 50

7.3. पुलिस सुधार 52

7.3.1. पुलिस का आधुनिकीकरण 52

7.3.2. उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश 53

7.3.3. अन्य आवश्यक कदम 54

8. रक्षा क्षेत्र 55

8.1. NTRO को इंटेलिजेंस एक्ट के अंतर्गत लाया गया 55

8.2. रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण से संबद्ध मुद्दे 56

8.2.1. सरकारी खरीद से जुड़े मुद्दे 56

8.2.2. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल : SP मॉडल 58

8.3. पहले प्रयोग न करने की परमाणु नीति 59

8.4. आउटर स्पेस संधि 60

VISION IAS

1. साइबर सुरक्षा

(CYBER SECURITY)

साइबर सुरक्षा एक व्यापक शब्दावली है जो किसी निजी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट फोन अथवा बड़े नेटवर्क यथा राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली या रेलवे नेटवर्क या राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संपत्ति (जिसके सैन्य निहितार्थ भी हो सकते है) के किसी नेटवर्क तक अनधिकृत और दुर्भावनापूर्ण पहुँच को रोकने से संबंधित है।

साइबर स्पेस का मूल अभिप्राय नागरिक स्पेस से था। हालांकि वर्तमान में यह युद्ध के लिए नया क्षेत्र बन गया है। भूमि, समुद्र, वायु एवं अंतरिक्ष के बाद साइबर स्पेस को आधिकारिक तौर पर युद्ध के 5वें आयाम के रूप में घोषित किया गया है।

साइबर सुरक्षा में चुनौतियाँ

- किसी भौगोलिक सीमा का अभाव।
- आरोप तय करना कठिन है चूँकि अपराधियों की अवस्थिति का पता लगाना मुश्किल होता है।
- साइबर स्पेस में तकनीकी तेज़ी से विकसित हो रही है।
- परंपरागत सुरक्षा अवधारणाओं जैसे 'प्रतिरोध और प्रतिशोध (deterrence and retaliation)' को अपनाना कठिन है।
- सम्पूर्ण परिवेश में मौजूद संवेदनशील स्थितियों के कारण एक विश्वसनीय और स्थायी साइबर सिक्योरिटी संरचना का निर्माण लगभग असंभव है।

1.1. भारत में साइबर अपराध

(Cyber Crimes in India)

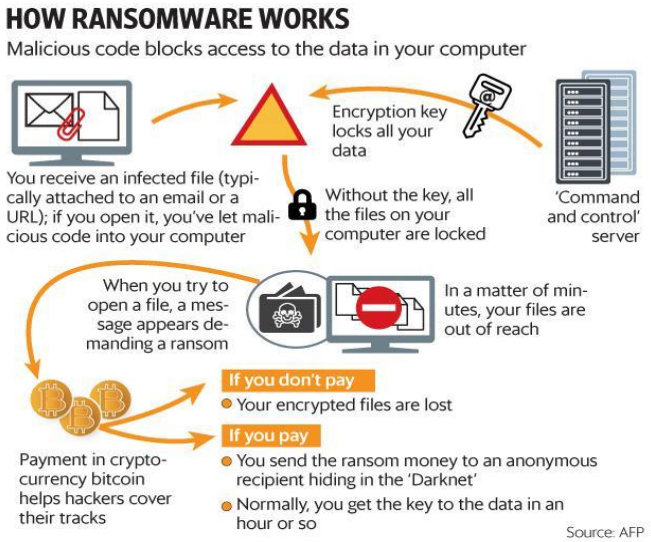

- ASSOCHAM के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 2011 से 2014 तक दर्ज साइबर अपराध के मामलों में लगभग 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- साइबर घुसपैठ से लेकर *इंफार्मेशन एसेट्स* पर आक्रमण जैसे असंख्य खतरों के प्रति भारत सुभेद्य है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी क्षेत्र में साइबर हमलों की संख्या 2015 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 14 प्रतिशत हो गयी है।
- *वानाक्राई रैंसमवेयर* (Wannacry ransomware)- हाल ही में *वानाक्राई* नामक एक *रैंसमवेयर* ने पूरे विश्व में 100,000 से अधिक कंप्यूटरों को संक्रमित किया। इस संदर्भ में CERT-In ने एक "क्रिटिकल अलर्ट" जारी कर आकड़ों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ (Breaches) के विरुद्ध "पैच"(patches) इंस्टालेशन की सलाह दी थी।
- लीजन (LEGION) आक्रमण- हैकर समूह "लीजन" द्वारा कांग्रेस पार्टी तथा इसके उपाध्यक्ष, विवादास्पद शराब कारोबारी विजय माल्या और टीवी पत्रकारों के ट्विटर एकाउंट्स को हैक कर लिया गया। इस समूह द्वारा अपोलो अस्पतालों आदि के सर्वर पर कब्ज़ा होने का दावा भी किया गया।

1.1.1. महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना

(Critical information infrastructure)

IT अधिनियम 2000 द्वारा CII को ऐसे कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी विफलता की स्थिति में राष्ट्रीय रक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है। सरल शब्दों में यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का वह रूप है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण अवसंरचना को संचालित करने के लिए आवश्यक है। इसमें दूरसंचार नेटवर्क, *ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग* जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं।

चूंकि CII जटिल, परस्पर संबद्ध एवं अन्योन्याश्रित हैं अतः इनकी कार्यप्रणाली में छोटा से छोटा व्यवधान सम्पूर्ण CII तंत्र को तेजी से प्रभावित करता है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। चूंकि CII की विफलता का परिणाम बहुत घातक हो सकता है, अतः इन पर राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं के आक्रमण की संभावना बनी रहती है।

CII को मुख्य लक्ष्य के रूप में स्थापित करने वाले कारक:

- **प्रतिद्वंदी राष्ट्र:** वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक कारकों के कारण राष्ट्रों के मध्य संचार नेटवर्कों को लक्षित कर जटिल साइबर ऑपरेशनों को अंजाम देने की क्षमता विकसित करने की आकांक्षा बढ़ी है। उदाहरण के लिए जॉर्जिया पर रूस द्वारा किया गया साइबर आक्रमण, ईरान की परमाणु सुविधा को नुकसान पहुंचाने के लिए स्टक्सनेट(STUXNET) मैलवेयर का उपयोग इत्यादि।
- **एम्बेडेड(EMBEDDED) सिस्टम्स:** नवीनतम प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन परिस्थितियों में टैम्परिंग तथा समस्या उत्पन्न करने वाले सॉफ्टवेयर के समावेशन की संभावना बढ़ जाती है।
- **आंतरिक खतरा (INSIDER THREAT):** असंतुष्ट कर्मचारी, हैकर आदि की अनजाने में नियुक्ति के कारण आतंरिक खतरे की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एडवर्ड स्नोडेन द्वारा हैकिंग और बाद में किये गए रहस्योद्घाटन वैश्विक स्तर पर उथल पुथल का कारण बने।
- **प्रशिक्षण का अभाव:** यदि कोई कर्मचारी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित न हो तो आकस्मिक रूप से CII बाधित होने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है।
- **गोपनीय स्रोत :** तकनीक द्वारा आक्रमणकर्ता को अपनी पहचान को गुप्त रखने में सहायता मिलती है जिससे यह राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं के लिए अधिक लाभप्रद हो जाता है।
- **पारंपरिक बाधाए नहीं:** आक्रमण करने के लिए समीप रहने का कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं है। दुनिया में कहीं भी किसी भी सिस्टम को प्रभावित करने के लिए किसी भी स्थान से साइबर आक्रमण किया जा सकता है।

1.1.2. वित्तीय क्षेत्र

(Financial Sector)

वर्तमान परिदृश्य

- वित्तीय क्षेत्र से संबंधित अपराधों की संख्या 2015 के 3% से बढ़कर 2016 में 14% हो गयी है।
- हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीनों में लगभग 19 भारतीय बैंकों से डेटा चोरी हुआ है। यह भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी डेबिट कार्ड धोखाधड़ी है। बैंकों द्वारा लगभग 32 लाख डेबिट कार्डों को वापस लेकर इन्हें ब्लॉक किया गया। इसमें लगभग 1.3 करोड़ की बैंकिंग धोखाधड़ी हुई थी तथा संभावित नुकसान इससे अधिक हो सकता था।
- सभी खुदरा लेनदेन पर नजर रखने वाले **नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI)** की जांच से पता चला है कि हिताची(HITACHI) भुगतान सेवा कंपनी जो भारत में ATM, पॉइंट ऑफ़ सेल और अन्य सेवाएं प्रदान करती है, की प्रणाली में **मैलवेयर द्वारा सुरक्षा का अतिक्रमण हुआ**।

निहितार्थ

- सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार और RBI द्वारा डिजिटल क्रांति के उपयोग का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए-
  - वित्तीय समावेशन में वृद्धि के लिए प्रयास
  - प्रत्यक्ष लाभ भुगतान मॉडल के माध्यम से सब्सिडी का बेहतर नियोजन
  - लेनदेन की लागत को कम करके आर्थिक दक्षता में सुधार; और
  - नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना जिससे काले धन के प्रचलन को कम किया जा सके तथा कर अपवंचन को रोका जा सके।
- इस प्रकार की धोखाधड़ी भारतीय खुदरा वित्तीय संरचना (Indian retail financial structure) की सुभेद्यता को उजागर करती है।
- यह वित्तीय संरचना में लोगों के विश्वास को कमजोर करता है।
- यदि प्रभावी ढंग से इसका तत्काल समाधान नहीं किया गया तो यह सरकार के लिए एक बड़ी असफलता हो सकती है।

1.2. भारत की साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे

(Issues in India's Cyber Security)

साइबर सुरक्षा से जुड़ी कुछ हालिया घटनाएँ

- ग्राउंड जीरो समिट- इस समिट की थीम डिजिटल इंडिया- 'सिक्योरिंग डिजिटल इंडिया' थी।
- विमुद्रीकरण तथा कैशलेस इकोनोमी में रूपांतरण- इसे हाल में 3.2 करोड़ डेबिट कार्डों की लीक हुई सूचना के सन्दर्भ में देखना होगा। यह इसपर प्रश्न चिन्ह है।

- यद्यपि सरकार ने देश में महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना(CII) को संरक्षित करने के लिए नेशनल क्रिटिकल इनफार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) की स्थापना की है। तथापि अभी उन तरीकों को विकसित करना और अपनाया जाना शेष है जिससे **CII का संरक्षण हो** सके।
- 2014 में एक **नेशनल साइबर सिक्यूरिटी कोऑर्डिनेटर** की नियुक्ति के प्रावधान के बाद भी राज्यों में एक भी संपर्क अधिकारी (लायज़न ऑफिसर) की नियुक्ति नहीं हुई है।
- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) को भी स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- डिजिटल नेटवर्क में होने वाली गड़बड़ियों को रिपोर्ट करने तथा उनका सामना करने के लिए आवश्यक कदम ना उठाने के लिए निजी क्षेत्र भी समान रूप से दोषी है। इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार, इस तरह के मामलों में से 10 प्रतिशत से भी कम मामलों की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों को की गयी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग बहुत कम है।
- गोपनीय सुरक्षा सूचना को साझा करने के लिए न तो उद्योगों में बैकचैनल हैं और न ही उनको रिपोर्ट करने के लिए ऐच्छिक, क्षेत्र-विशेष मानक ही हैं।
- **उपयुक्त दृष्टिकोण का अभाव**– अभी तक यह दृष्टिकोण बना हुआ है कि साइबर सुरक्षा 'वैकल्पिक" है। NIC ईमेल सर्वर्स को अक्सर ख़राब सुरक्षा के लिए दोष दिया जाता है लेकिन जो भारतीय कम्पनियाँ आधिकारिक संपर्क के लिए जीमेल पर निर्भर हैं वे भी अपने कर्मचारियों के लिए **2FA (टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन)** अनिवार्य नहीं करतीं।
- **चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से साइबर युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय खतरा:** भारत पर होने वाले अधिकांश साइबर हमले पाकिस्तान की तरफ से किये जाते हैं। इन हमलों को बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है। कुछ हमलों से रक्षा सेवाओं की क्रियात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है जो भारत के लिए चिंताजनक है। उदाहरण के लिए डाटा एक्वीजीशन सिस्टम्स।
- सरकारों तथा गैर-राज्य कर्ताओं के द्वारा अभी तक इन्टरनेट के प्रयोग के नियमों का निर्माण नहीं किया गया है।
- भारत में बहुत सारे उपकरण आयातित होते हैं। हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि क्या इन डिवाइसेस की टैंपरिंग की गयी है अथवा इन्हें कन्ट्रोलड प्रोसेस हेतु प्रोग्राम किया गया है। इसलिए, टेलीकम्युनिकेशन, पॉवर ग्रिड मैनेजमेंट अथवा एयर ट्रैफिक कण्ट्रोल के लिए आयात किये जा रहे उपकरणों का सख्ती से परीक्षण किया जाना चाहिए।

1.3. भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदम

(Steps Taken by Government of India)

1.3.1. महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिए

(For Critical Information Infrastructure)

- CII के संरक्षण हेतु उत्तरदायी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी 'नेशनल क्रिटिकल इनफार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर(CIIPC)' का गठन। इसकी परिकल्पना हवाई नियंत्रण, परमाणु तथा अंतरिक्ष जैसे सामरिक क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा खतरों से लड़ने के लिए 24×7 कार्य करने वाले केंद्र के रूप में की गयी थी। इसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गेनाईजेशन के अंतर्गत रखा गया है जिससे इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रबंध करने वाली अन्य सुरक्षा एजेंसियों तथा निजी कॉर्पोरेट इकाइयों के साथ मिलकर प्रतिरोधी उपाय ढूँढे जा सकें।
- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा और वित्त से सम्बंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **क्षेत्र विशिष्ट CERT** कार्यरत हैं।
- जल, थल तथा वायु-तीनों सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के लिए डिफेन्स इनफार्मेशन एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी की स्थापना।

- CII को सुरक्षित तथा संरक्षित करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ काम करना होगा ताकि नवोन्मेषी समाधान ढूँढ़े जा सके, सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं को साझा किये जा सके, संयुक्त प्रयासों को समन्वित किये जा सके, सुभेद्यताओं को चिह्नित किया जाये तथा प्रतिरोधी (counter-measures) उपाय लागू किये जा सकें।

1.3.2. वित्तीय क्षेत्र के लिए

(For Financial Sector)

- **वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (F1SDC)** की एक उप-समिति ने वित्त क्षेत्र के लिए एक **कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम फॉर फाइनेंसियल सेक्टर (CERT-Fin)** की स्थापना पर चर्चा की।
- 2017-18 बजट में वितीय क्षेत्र से जुड़े खतरों से निपटने के लिए इसे एक विशेष एजेंसी के तौर पर प्रस्तावित किया गया था।

CERT-Fin की आवश्यकता

- हालिया दिनों में डिजिटल भुगतान में चरघातांकी वृद्धि तथा नकदी-रहित भुगतान पर जोर के कारण वित्तीय साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थान विभिन्न प्रकार के **साइबर-हमलों तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी** के प्रति सुभेद्य हैं।
- एटीएम तथा रिटेल बैंकिंग के लिए भी साइबर अपराधों का खतरा बढ़ता जा रहा है।
- 2017 में मोबाइल आधारित धोखाधड़ी के मामलों में 60-65% वृद्धि होने के आसार हैं।

RBI द्वारा किये गए अन्य उपाय

- इसने बैंकों को एक ऐसी सुरक्षा नीति लागू करने का निर्देश दिया है जिसमें साइबर खतरों से निपटने के तथा "साइबर-हाइजीन" से सम्बंधित तरीके शामिल हों।
- RBI ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क (CSF) भी जारी किया है। इसके अनुसार बैंकों को एक सुदृढ़ **साइबर सिक्योरिटी/रिज़ीलिएंस फ्रेमवर्क** तथा निरंतर सतर्कता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- RBI ने बैंकों की साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारियों का विस्तारपूर्वक IT आधारित परीक्षण करने के लिए, खामियों को चिन्हित करने के लिए तथा सुधारात्मक उपायों की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक विशिष्ट सेल **(C-SITE)** का निर्माण भी किया है।

अन्य उपाय

- महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जहाँ एक साथ हर जिले में एक साइबर-पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है।
- राज्य सरकार की साइबर-क्राइम विंग द्वारा महाराष्ट्र में 51 साइबर-क्राइम लैब की स्थापना की जा रही है। ये लैब साइबर दुनिया के नए अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तथा आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होंगे।

1.3.3. साइबर सुरक्षा अवसंरचना की स्थापना

(Establishment of Cyber Security Infrastructure)

साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क(CSF) में सम्मिलित **मुख्य संगठन** हैं:

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In)

- CERT-In का मुख्य कार्य समयपूर्व सुरक्षा चेतावनी देना तथा घटना होने पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करना है।
- **नेशनल वाच एंड अलर्ट सिस्टम-** देश के साइबर स्पेस के पर्यवेक्षण हेतु कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) 24/7 कार्य कर रही है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008** के अंतर्गत CERT-In को एक राष्ट्रीय एजेंसी का दर्ज़ा दिया गया है। यह निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी:
    - साइबर घटनाओं से सम्बंधित सूचना का संग्रह, विश्लेषण तथा प्रसार।

- साइबर सुरक्षा से सम्बंधित घटनाओं की भविष्यवाणी तथा चेतावनी देना।
- साइबर सुरक्षा से सम्बंधित घटनाओं से निपटने के लिए इमरजेंसी उपाय ढूंढना।
- साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से सम्बंधित गतिविधियों का समन्वय।
- सूचना सुरक्षा की कार्यप्रणालियों, प्रक्रियाओं, बचाव, प्रतिक्रिया तथा साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से सम्बंधित दिशानिर्देश, परामर्श पत्र, वल्नरेबिलिटी नोट्स तथा श्वेतपत्र जारी करना।

- CERT-In ने **नेशनल इनफार्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोग्राम (NISAP)** के क्रियान्वयन हेतु कदम उठाये हैं ताकि सरकार तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के संगठनों में जागरूकता लायी जा सके। इसके साथ ही इसका उद्देश्य इन संगठनों की अवसंरचना की सुरक्षा हेतु सूचना सुरक्षा नीति को तथा ISO/IEC 27001 पर आधारित सूचना सुरक्षा से जुड़ी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को विकसित तथा लागू करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000

- भारत सरकार द्वारा 9 जून 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT एक्ट 2000) लागू किया गया। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रान्सफर तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों के द्वारा होने वाले लेनदेन के लिए एक कानूनी रूपरेखा प्रदान की जाती है। इन्हें आमतौर पर "**इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स**" कहा जाता है जिसमें संचार तथा सूचना के भण्डारण हेतु पेपर-बेस्ड माध्यमों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक विकल्पों का प्रयोग किया जाता है। इससे सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुगम हो जाती है।
- 2008 में इसका संशोधन कर **सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम** लाया गया। इस अधिनियम द्वारा मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में नए प्रावधान जोड़े गए जिससे नए तरह के साइबर अपराधों यथा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील सामग्री को सार्वजनिक करना, छिपकर अश्लील वीडियो बनाना, साइबर आतंक, गोपनीयता का उल्लंघन तथा बिचौलियों और ई-कॉमर्स धोखाधड़ी के द्वारा डाटा लीक करने; की चुनौतियों से निपटा जा सके।
- IT अधिनियम द्वारा **कंट्रोलर ऑफ़ सर्टिफायिंग अथॉरिटीज (CCA)** को प्रमाणन प्राधिकरणों के नियमन तथा उन्हें लाइसेंस देने का कार्य सौंपा गया है। ये प्राधिकरण यूजर्स के इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुच्छेद 48(1) के प्रावधानों के अनुसार देश का पहला और इकलौता **साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण** स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013

(National Cyber Security Policy 2013)

जुलाई 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की घोषणा की जिसका लक्ष्य साइबर दुनिया से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटना है।

इस नीति में निम्नलिखित प्रस्ताव किये गए हैं:

- खतरे के विभिन्न स्तरों का सामना करने के लिए विभिन्न इकाइयों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की स्थापना जो साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को समन्वित करे।
- एक **नेशनल क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) की स्थापना।**
- साइबर सुरक्षा में 500,000 प्रशिक्षित कर्मचारियों का कार्यबल तैयार करना।
- सर्वोत्तम सुरक्षा कार्यप्रणालियों को अपनाने हेतु व्यापारों को वित्तीय लाभ प्रदान करना।
- देश में प्रयुक्त हो रहे उपकरणों के सुरक्षा स्तर की जाँच करने के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- देश में एक साइबर इकोसिस्टम बनाना, निजी-सार्वजनिक भागीदारी विकसित करना तथा तकनीक और कार्यान्वयन से संबंधित सहयोगपूर्ण साझीदारी विकसित करना।
- अनुसन्धान के द्वारा स्वदेशी सुरक्षा तकनीकी विकसित करना।

VISION IAS

1.3.4. सामान्य उपाय

(General Measures)

- भारत सरकार के साइबर सिक्यूरिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव के तहत डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी (DEITY) ने **इंडियन कॉमन क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन स्कीम (IC3S)** का प्रारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य IT सुरक्षा उत्पादों तथा प्रोटेक्शन प्रोफाइल्स का मूल्यांकन तथा प्रमाणन करना है।
- 2016 में I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर) की स्थापना भी की गयी है जो हर तरह के साइबर अपराध की निगरानी करेगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित ऑनलाइन खतरों से निबटने के लिए एक **नेशनल साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर** बनाने की योजना तैयार की गयी। हाल में ही इसने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।
- सरकार ने **इनफार्मेशन सिक्यूरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस (ISEA)** परियोजना की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करना है।
- भारत ने सूचना तथा सर्वोच्च कार्यप्रणालियों से सम्बंधित अनुभवों को आपस में साझा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके तथा चीन जैसे देशों के साथ हाथ मिलाया है।
- भारत को अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनों तथा दृष्टिकोण से सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए चीन का कानून।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र**– नेटवर्क तथा सिस्टम्स को प्रभावित करने वाले मैलवेयर और बॉट्नेट्स के विश्लेषण के लिए **बॉट्नेट क्लीनिंग और मैलवेयर एनालिसिस सेंटर** बनाया गया है।

चीन का पहला साइबर सुरक्षा कानून

यह कानून चीन के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को मुख्य रूप से तीन विशेष थीम्स पर केंद्रित करता है- साइबर हमले या अतिक्रमण, गैर-कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करना अथवा निजी सूचना का प्रकटीकरण और आतंकवाद या उग्रवाद को समर्थन अथवा प्रोत्साहन देने वाली सूचना का प्रसारण।

- इसमें डाटा के स्थानीयकरण (लोकलाइजेशन) की भी बात की गयी है जिसके अनुसार निजी सूचना के विदेश में संग्रहण की अनुमति नहीं है।
- महत्त्वपूर्ण नेटवर्क उपकरण तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए "सुरक्षा प्रमाणन"
- ऊर्जा, परिवहन, वित्त इत्यादि 'प्रमुख उद्योगों' के लिए विशेष अनिवार्यताएँ जैसे संबंधित वेब लॉग्स का छः महीने का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।

कानून सम्बन्धी चिंताएँ

- **डाटा का स्थानीयकरण-** कई विदेशी व्यापार संगठन विशेषतः डाटा के स्थानीयकरण से सम्बंधित प्रावधानों तथा राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सुरक्षा जांच पर चिंता जताते हैं।
- **कानून में स्पष्टता का अभाव:** इसपर कोई स्पष्टता नहीं है कि "की इनफार्मेशन स्ट्रक्चर" के अंतर्गत क्या शामिल है। इसके द्वारा किसी भी सर्विस नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानकर उसकी सुरक्षा जाँच की जा सकती है।

1.4. आगे की राह

(Way Forward)

- **बुडापेस्ट कन्वेंशन** साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों का सामना करने के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि विभिन्न देशों के साइबर सुरक्षा कानूनों में सामंजस्य स्थापित कर, जांच तकनीकों के लिए कानूनी प्राधिकरण को सशक्त बनाकर तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग बढाकर इन्टरनेट तथा कंप्यूटर आधारित अपराधों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है।
- भारत समेत अन्य विकासशील देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं क्योंकि उनके अनुसार इस कन्वेंशन को बिना उनसे परामर्श लिए विकसित देशों द्वारा तैयार किया गया है।

VISION IAS

- भारत को **बुडापेस्ट कन्वेंशन** को अपनाने पर विचार करना चाहिए।
- अन्तरिक्ष उपग्रहों समेत साइबर तकनीक से संबंधित विभिन्न साधनों पर होने वाले साइबर-हमलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- एक **साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान** कार्यान्वित करना।
- साइबर हमलों का पूर्वानुमान करना, उनका शमन करना तथा उनका सामना करने हेतु संगठनों को तैयार करने के लिए साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए ।
- 'IT पेशेवरों की रिपॉजिटरी के रूप में' **नेशनल साइबर रजिस्ट्री** के विचार को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- वर्तमान में साइबर वारफेयर पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का एकमात्र स्रोत **टैलीन मैन्युअल (Tallin Manual)** है जिसे नाटो के अंतर्गत पश्चिमी विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया था।
- महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं को इन्टरनेट से पृथक रखे जाने की **एयर गैपिंग** जैसी अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए।
- भारत को अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों पर मुकदमा चलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत की मांग करनी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य तथा गैर-राज्य - दोनों तरह के कर्ताओं पर अभियोग चलाया जा सकेगा।
- भारत सरकार को एक इंटरनेशनल डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ तत्काल सूचना-साझा करने में मदद मिल सके जिनके सर्वर हमारे देश में नहीं हैं।
- लोगों तथा संस्थानों को साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है जिससे वे तुरंत ऐसे हमलों को रिपोर्ट करें तथा त्वरित कार्यवाही की जा सके।
- सिर्फ रक्षात्मक होने की बजाय आक्रामक क्षमता विकसित करने की भी आवश्यकता है।

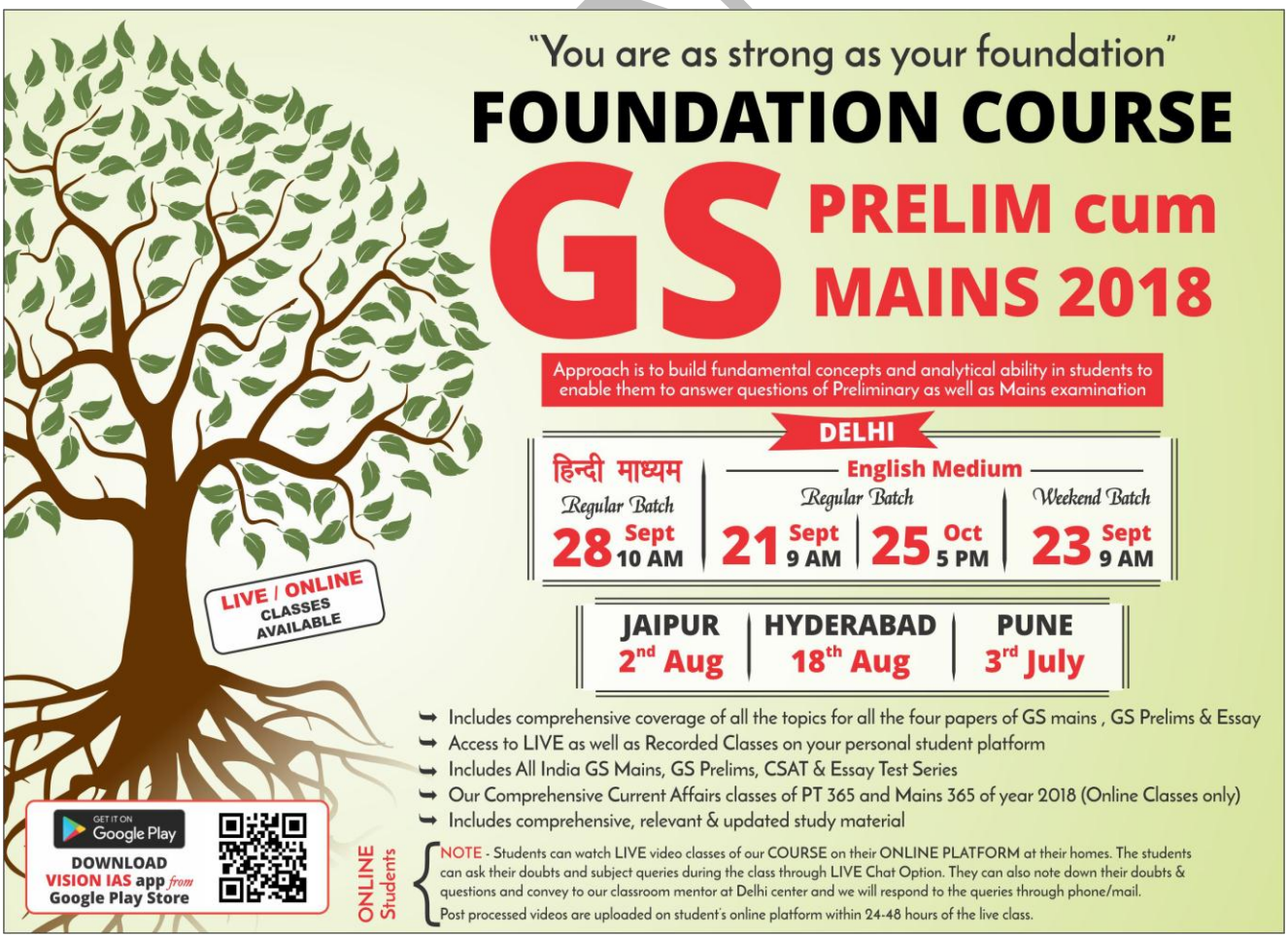

2. चरमपंथ

(EXTREMISM)

2.1. नक्सलवाद

(Naxalism)

नक्सलवाद का प्रसार भारत के 17 राज्यों में हो चुका है जिसमें असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि शामिल हैं। इससे भारत के 602 जिलों में से 185 जिले प्रभावित हुए हैं।

नक्सलवाद/माओवाद के कारण

- भूमि के असमान वितरण के कारण ग्रामीण भारत में असमानता।
- गरीबी, बेरोज़गारी के साथ-साथ निम्न साक्षरता स्तर के कारण जनजातीय आबादी का बदहाल स्थिति में होना।
- खनन गतिविधियों के कारण जनजातियों की हालत और ख़राब हो गयी। स्वतंत्रता के बाद खनन गतिविधियों के कारण जनजातियों की कुल आबादी के 40% को विस्थापित होना पड़ा है।
- 2006 में वन अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। लेकिन वनविभाग संबंधी नौकरशाही का इनके प्रति असंवेदनशील रवैया कायम रहा।
- नक्सलवादी प्रशासनिक तथा राजनैतिक संस्थाओं की समुचित उपस्थिति ना होने से उत्पन्न होने वाले असंतोष का लाभ उठाकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये बन्दूक की नोंक पर एक ऐसी वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का आश्वासन देते हैं जो इन वर्गों के लोगों को 'शोषक' वर्ग से मुक्ति दिलाएगी।
- राजनैतिक स्तर पर भी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में जनजातियों को बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

भारत सरकार का दृष्टिकोण

भारत सरकार के द्वारा वामपंथी उग्रवाद से निबटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:

- **सुरक्षा** – इसमें पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और प्रभावित जिलों में 400 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों की स्थापना हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान करना शामिल है।
- **विकास** – सरकार दो मुख्य विकास योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना के निर्माण तथा अन्य सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित कर रही है, ये योजनाए हैं- एडीशनल सेंट्रल असिस्टेंस (ACA) तथा **रोड रिक्वायरमेंट प्लान (RRP-II)**। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड (USOF) ने मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए **स्कीम ऑफ़ मोबाइल सर्विसेज** को सहायता प्रदान की है। इन क्षेत्रों में ग्रामीण गरीब युवाओं के कौशल विकास के लिए **रोशनी** जैसी योजनाएं तथा बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय जैसी सुविधाएं शुरू की गयी हैं।
- **राज्य के प्रति लोगों के दृष्टिकोण का प्रबंधन (Public perception management)**– जनता को राज्य की उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का बोध कराने के लिए राज्यों को **PESA, 1996** के प्रावधानों को प्राथमिकता के आधार पर कारगर रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा लघु वनोपजों पर स्पष्ट रूप से ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है तथा सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत सुरक्षा बलों को फण्ड दिए गए हैं ताकि वे तैनाती वाले क्षेत्रों में कल्याणकारी कार्य कर सकें। इससे स्थानीय लोगों तथा राज्य के बीच आपसी विश्वास की कमी को दूर किया जा सकेगा।
- **आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास**– प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादियों के लिए आत्मसमर्पण-एवं-पुनर्वास (Surrender-Cum Rehabilitation) नीति को अपनाया गया है जिससे हिंसा का अंत किया सके तथा क्षेत्र में शांति और विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके।

VISION IAS

'पुलिस' तथा 'कानून व्यवस्था' राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय हैं। कानून व्यवस्था से संबंधित किसी कार्यवाही का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है।

केंद्र सरकार कानून व्यवस्था की सतर्क निगरानी करती है तथा राज्यों द्वारा इस संबंध में किये जाने वाले प्रयासों को सहयोग प्रदान करने के साथ ही उनमें समन्वय स्थापित करती है। सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

- सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) तथा कमांडो बटालियंस फॉर रेसोल्यूट एक्शन (CoBRA) जैसे सुरक्षा बल उपलब्ध करवाना;
- इंडिया रिज़र्व (IR) बटालियंस के गठन की स्वीकृति;
- काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिज्म (CIAT) स्कूलों की स्थापना;
- मॉडर्नाइजेशन ऑफ़ स्टेट पुलिस फोर्सेज (MPF) योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस एवं खुफ़िया तंत्र का आधुनिकीकरण तथा अपग्रेडेशन;
- सिक्यूरिटी रिलेटेड एक्स्पेंडिचर (SRE) योजना के अंतर्गत सुरक्षा सम्बंधित व्यय की प्रतिपूर्ति; इत्यादि

इसके पीछे मूलभूत भावना माओवाद की समस्या का संगठित रूप से सामना करने के लिए राज्य सरकार की क्षमता को बढ़ाना है।

सरकार की रणनीति का मूल्यांकन

इस बहु-आयामी दृष्टिकोण के लाभ दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि

- हालिया वर्षों में हिंसक घटनाओं तथा मृतकों की संख्या में गिरावट आई है।
- कई जिले जहाँ वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियाँ देखी जाती थीं वे अब इनसे मुक्त हो चुके हैं। इसलिए सरकार **रेड कोरिडोर को दुबारा चिन्हित करने** तथा माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या को 20 फ़ीसदी तक घटाने पर भी विचार कर रही है।
- सुरक्षा बलों के साथ इनकाउंटर में शीर्ष नेताओं की मृत्यु, गिरफ़्तारी, नक्सल गतिविधियों हेतु धन की कमी, हथियार तथा गोलाबारूद का अभाव तथा समर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के कारण माओवादी गतिविधियों में काफी गिरावट आई है।

मुद्दे

- कई बार स्थापित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को नजरंदाज करने की वजह से सुरक्षा कर्मचारियों की जानें चली जाती हैं। उदाहरण के लिए सुकमा में 24 अप्रैल को हुए हमलों में कम से कम 25 CRPF जवानों की जान चली गयी।
- ख़राब प्लानिंग, अपर्याप्त संख्या, अपर्याप्त खुफ़िया बैकअप जैसी सुरक्षा समस्याएं बनी हुई हैं ।
- CRPF के सभी उच्च पदों पर IPS अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना तथा इस क्षेत्र में अत्यधिक अनुभव प्राप्त लोगों को नज़रअंदाज़ करने जैसी संरचनात्मक कमियाँ और समस्याएं विद्यमान हैं।
- पुलिस बलों की क्षमता निर्माण की गति धीमी रही है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस में विभिन्न पदों से संबंधित 1000 रिक्तियां हैं और 23 अनुमोदित पुलिस स्टेशनों को स्थापित किया जाना शेष है।

आगे की राह

- केंद्र तथा राज्य को समन्वय के माध्यम कार्य करते रहना चाहिये जहाँ राज्य पुलिस बलों को नेतृत्व करना चाहिए एवं केंद्र को सहायक भूमिका निभानी चाहिए।
- सुरक्षा बलों के सदस्यों की नक्सल विरोधी कार्रवाईयों में कम से कम मृत्यु हो यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी, प्रक्रियात्मक और प्रौद्योगिक समाधान अपनाना जैसे कि माइक्रो-एवं मिनी-यूएवी (UAV) तथा छोटे ड्रोन का प्रयोग।
- कैदियों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उनका प्रभावी पुनर्वास किया जाना चाहिए।
- सरकार को जागरूकता तथा आउटरीच कार्यक्रमों एवं समावेशी विकासात्मक कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए।

VISION IAS

'समाधान' क्या है:

- ऑपरेशन 'समाधान' नक्सली समस्या को हल करने हेतु गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया गया प्रयास है।
- समाधान का पूरा नाम निम्नलिखित है।
- **S-स्मार्ट लीडरशिप**- राज्यों पर नक्सल विरोधी अभियानों का "उत्तरदायित्व" होगा और राज्य "गुरिल्ला हमलों से निपटने के लिए एक एकीकृत रणनीति" तैयार करेंगे।
- **A-एग्रेसिव स्ट्रैटेजी**- नक्सल बेल्ट में ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर सहयोग तथा 400 *फोर्टीफाईड* पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- **M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग**- भारतीय सेना या **ग्रेहाउंड्स**(Greyhounds) जैसे विशेष बलों द्वारा नक्सलियों का सामना करने के लिए बलों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- **A-एक्शनेबल इंटेलिजेंस** - अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ ऑपरेशन के संचालन हेतु संयुक्त कार्य बल की स्थापना। बेहतर अंतर-राज्य समन्वय और आसूचना(intelligence) साझाकरण।
- **D-डैशबोर्ड** आधारित KPI (की परफोर्मेंस इंडिकेटर) और KRAs (की रिजल्ट एरिया)
- **H-हारनेसिंग टेक्नोलॉजी** - माओइस्ट हॉटबेड एरियाज के लिए UAVs और ड्रोन; GPS ट्रैकिंग, HHTI (हेंड हेल्ड थर्मल इमेज) उपकरण, रडार, सैटेलाइट इमेजरी, हथियारों में ट्रैकर।
- **A-** प्रत्येक थियेटर के लिए **एक्शन प्लान**।
- **N-नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग: LWE**(Left Wing Extremist) समूह को प्राप्त होने वाले वित्त प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लोंड्रिंग एक्ट (PMLA) की समीक्षा की जाएगी।

2.2 कश्मीर मुद्दा

(Kashmir Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पेलेट गन्स के मुद्दे पर TVSN प्रसाद समिति ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

पृष्ठभूमि

- गृह मंत्रालय ने पेलेट गन्स के इस्तेमाल के मुद्दे पर TVSN प्रसाद की अध्यक्षता में एक सात-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
- इसका गठन तब किया गया था जब जुलाई 2016 में कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या का विरोध कर रहे विरोधियों पर पेलेट गन्स के प्रयोग के कारण कई लोग अंधे तथा घायल हो गए थे।

सिफारिशें

- पेलेट गन्स का प्रयोग सिर्फ 'रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर' मामलों में किया जाना चाहिए।
- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चिली ग्रेनेड शेल्स जैसे गैर-जानलेवा हथियारों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- नॉनिवैमाइड अथवा पेलार्गोनिक एसिड वेनीलाइल एमाइड (PAVA) तथा 'स्टन लैक सेल्स' जैसे अन्य गैर-जानलेवा गोला बारूद का प्रयोग।
- लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइसेस (LRAD) का इस्तेमाल निचले श्रीनगर के ग्रामीण इलाकों की पुरानी इमारतों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। LRAD एक तेज आवाज़ पैदा करते हैं जिससे लोग किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि करने में असमर्थ हो जाते हैं।

- आँसू गैस शेल को प्लास्टिक का बना होना चाहिए ताकि दागे जाने पर ये पिघल जायें और इन्हें विद्रोह करने वालों द्वारा उठाया न जा सके।

अशांति के कारण

कश्मीर में अशांति का वर्तमान माहौल कोई नई घटना नहीं है। यह घाटी कई वर्षों से इस तरह की हिंसा का शिकार रही है। इसकी शुरुआत 1947 में इस राज्य के भारतीय गणराज्य में शामिल होने से हुई लेकिन 1980 के दशक में उग्रवादी गतिविधियों के उदय के साथ हालात बदतर हो गए। इसके लिए कई कारण ज़िम्मेदार हैं, जैसे:

- **आर्थिक कारण:** व्यापक बेरोज़गारी, नौकरी के नए अवसरों की कमी, पारंपरिक शिल्प का पतन, ख़राब औद्योगिक व्यवस्था, आतंकी हमलों के कारण पर्यटन में कमी, बाढ़ के कारण फसल की बर्बादी, बादल फटना, बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास ना होने आदि के कारण वर्तमान व्यवस्था से लोगों को निराशा हुई है।
- **देश के खिलाफ गुस्सा**: AFSPA जैसे क़ानूनों, लगातार लगने वाले कर्फ्यू, सैनिक बलों की उपस्थिति, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप, किसी व्यक्ति को नज़रबंद करने के लिए पब्लिक सेक्युरिटी लॉ के प्रयोग आदि के कारण युवाओं में नाराज़गी है तथा देश के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा है।
- **राजनैतिक अस्थिरता तथा निर्मित वैक्यूम :** राज्य की राजनैतिक व्यवस्था में भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं। चुनावों में धांधली के आरोप, चुनावों के बहिष्कार की घटनाएँ, लम्बे समय के लिए राष्ट्रपति शासन तथा चुनावों में बहुत कम संख्या में मतदान आदि जैसी घटनाएँ होती रहती हैं। लगातार राजनैतिक अस्थिरता बने रहने के कारण जनता तथा सरकार के बीच दूरी बढ़ी है। इसी वजह से लोग हुर्रियत जैसे अलगाववादी समूहों की तरफ़ भी मुड़े हैं।
- **भौगोलिक**: पाकिस्तान जैसे द्वेषपूर्ण पड़ोसी के कारण हालात और ख़राब हो रहे हैं। उसके द्वारा कश्मीरी जनता खासतौर पर युवाओं की भावनाओं को भड़काया जाता है। सीमापार घुसपैठ करा के अशांति फैलाई जाती है तथा आतंकवाद का एक कूटनीतिक हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाता है।
- **सामाजिक समस्याएं**: खराब शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था, 1980 के विद्रोह के दुखद अनुभव, तथा अतिवादी नेताओं द्वारा युवाओं को भ्रमित करने के कारण लोगों की निराशा में और वृद्धि हुई है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**: 1947 से जनमत संग्रह की मांग की जा रही है जिसे लोग अपना कानूनी हक मानते हैं। हालाँकि पाकिस्तान की करतूतों और 1950 के बाद बदली हुई स्थितियों के कारण घाटी में कभी जनमत संग्रह नहीं करवाया जा सका है। इसके कारण कश्मीरी जनता में लम्बे समय से आक्रोश विद्यमान रहा है।

यह समस्या अब तक क्यों बनी हुई है?

राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा कश्मीरी जनता से बातचीत करने, घाटी में सर्वदल प्रतिनिधिमंडल की यात्रा करने तथा इस मुद्दे पर राष्ट्र भर में चर्चा होने के बावजूद इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं:

- सरकार तथा सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के बीच बातचीत का अभाव- भारत सरकार ने हुर्रियत से बात करने से इनकार कर दिया है। घाटी में हुर्रियत की सशक्त उपस्थिति हालात बिगड़ने के लिए उत्तरदायी है।
- गैर-जिम्मेदार मीडिया: सोशल मीडिया की उपस्थिति तथा स्थानीय मीडिया द्वारा उकसाए जाने के कारण भी स्थिति पर बुरा असर पड़ता है।
- सुरक्षा बलों द्वारा पेलेट गन्स का प्रयोग: हालाँकि इसका प्रयोग स्थिति नियंत्रित करने हेतु आवश्यक था लेकिन इसकी वजह से जनता में शासन के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हुआ है।
- पाकिस्तान द्वारा भड़काया जाना।

आगे की राह

- भारत तथा जम्मू-कश्मीर की सरकार को त्वरित रूप से कश्मीर की जनता से संवाद स्थापित करना होगा। सभी हितधारकों को अपने संकीर्ण राजनैतिक एजेंडे से ऊपर उठकर कश्मीर के भविष्य के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

VISION IAS

- पारस्परिक विश्वास विकसित करने तथा साझा हितों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। पेलेट गन्स पर प्रतिबन्ध एक स्वागतयोग्य कदम है। भारत सरकार को AFSPA को जितना संभव हो उतना अधिक मानवीय बनाने पर भी विचार करना चाहिए, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के आलोक में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
- सबसे महत्त्वपूर्ण कदम जनता का आर्थिक तथा सामाजिक विकास है। अनुदान तथा विकास निधि में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। शिल्प, पर्यटन तथा कश्मीरी युवाओं के रोज़गार के लिए विशेष योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। **'नई मंजिल'** तथा **'उस्ताद'** जैसी योजनायें स्वागतयोग्य पहलें हैं।
- कश्मीरी लोग तथा उनकी 'कश्मीरियत' को सरकार के प्रयासों के केंद्र में होना चाहिए।
- अनुच्छेद 370 को वापस लेने का कोई कदम अचानक या झटके से नहीं उठाया जाना चाहिए। इसे धीरे-धीरे कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतकर किया जाना चाहिए। इसके सभी प्रावधानों को बदला या वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन लेकिन कुछ प्रावधानों में संशोधन कश्मीर के लोगों को भी स्वीकार्य होगा और उनके लिए वे लाभकारी भी होंगे।

2.3. रेडिकलाइजेशन का सामना

(Tackling Radicalisation)

महत्वपूर्ण क्यों?

- भारत में ISIS के तेजी से हो रहे प्रसार के कारण।
  - हाल ही में गुजरात में ISIS के दो संदिग्ध समर्थकों को गुजरात में गिरफ्तार किया गया था।
  - इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है की पिछले वर्ष केरल से गायब हुए 21 लोगों में से अधिकांश IS में शामिल हुए थे। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान में हुए ड्रोन हमलों में उनमें से एक व्यक्ति के मारे जाने की जानकारी मिलने से हुई थी।
  - एंटी टेरर अधिकारियों ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों- केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से कई युवाओं को गिरफ्तार किया है।
- हालांकि IS में अब तक शामिल भारतीयों की संख्या 23 है जो यू.के.(760) तथा अमेरिका (150) की तुलना में बहुत कम है, किन्तु यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

रेडिकलाइजेशन का सामना करने हेतु रणनीति

- "वल्नरेबल और इन्डाक्ट्रनेटेड" युवाओं के माता-पिता, शिक्षकों और मित्रों को "रेडिकलाइजेशन" के विरुद्ध पेशेवर सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए "एक्स्ट्रीमिज़्म काउन्सलिंग हॉटलाइन" की स्थापना। द्रष्टव्य है कि ऑस्ट्रिया में इस प्रकार की हॉटलाइन पहले से ही स्थापित है।
- इसके अलावा, भारतीय सुरक्षा तंत्र इस समस्या से निपटने हेतु विभिन्न देशों में चल रहे डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रमों का भी विश्लेषण कर रहा है जैसे- UK के 'प्रिवेंट' तथा 'चैनल' प्रोग्राम, तथा US द्वारा चलाया गया कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम।
- सरकार को अल्पसंख्यक समुदायों से संवाद स्थापित करना चाहिए तथा किसी भी कीमत पर उनका विश्वास अर्जित करना चाहिए। इन उद्देश्यों हेतु-
  - तैयार की गई डी-रेडिकलाईजेशन योजना को एक रणनीति के रूप में सावधानीपूर्वक अनुसरण किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: IS के तीव्र विस्तार के बारे में जागरूकता, मौजूदा भर्तियों और उनकी संभावित क्षमताओं का पता लगाना और अंत में उनके विरुद्ध उपचारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
  - संभावित लक्ष्य समूहों (potential target groups) पर ध्यान केंद्रित करने तथा वंचित अल्पसंख्यक समूहों की स्थितियों में सुधार हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे रेडिकलाईजेशन से प्रभावित न हों।
  - बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से संभाव्य सदस्यों में रेडिकलाईजेशन के स्तर का पता लगाने तथा तथा रेडिकलाईजेशन को जड़ से समाप्त करने में सहायता मिल सकती है।

- धार्मिक नेताओं को रेडिकलाईजेशन के विरुद्ध विचार व्यक्त करने अथवा परामर्श प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राज्यों द्वारा किए गए प्रयास:

- **कर्नाटक:** निम्नलिखित उपायों के द्वारा मदरसों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया गया है;
  - शैक्षणिक ज्ञान देने के साथ-साथ यह समझ भी विकसित करना कि वास्तविक रूप से कुरान हमें क्या शिक्षा देती है?
  - मस्जिदों और मदरसों के एक गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विस्तृत डेटाबेस निर्माण करना।
- **महाराष्ट्र:**महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2016 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक डि-रेडिकलाईजेशन कार्यक्रम शुरू किया है।
  - विभिन्न विभागों द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं को इस रूप में संचालित करना कि अल्पसंख्यकों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
  - पुलिस बल को अपने ही विभाग में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता की भावना को चिन्हित करने और उसे नियंत्रित करने के लिए कहा गया है।
  - समान विचारधारा वाले देशों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या ग्रस्त देशों को सहयोग दिया जाना चाहिए जैसे कि भारत ने हाल ही में ISIS के खिलाफ लड़ाई में इराक को सैन्य सहायता देने की पेशकश की है।

3. एक्सटर्नल स्टेट एवं नॉन-स्टेट एक्टर की भूमिका

(ROLE OF EXTERNAL STATE AND NON-STATE ACTORS)

3.1. सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम

(Armed Force Special Power Act: AFSPA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act: AFSPA) का विस्तार करने का निर्णय किया है।
- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) को जारी रखने या रद्द करने का निर्णय लेने का अधिकार असम और मणिपुर राज्यों को सौंप दिया है।

AFSPA के बारे में

- 1958 में अधिनियमित सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (**AFSPA**) अशांत क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- **इनमें से कुछ अतिरिक्त शक्तियां इस प्रकार हैं:**
  - चेतावनी देने के बाद अशांत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाने की अनुमति।
  - बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति।
  - संदेह होने पर किसी भी वाहन या पोत को रोक कर उसकी तलाशी लेने की शक्ति।
  - सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके कार्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है।
- वर्तमान में AFSPA पूर्वोत्तर के 6 राज्यों और जम्मू-कश्मीर में लागू है। त्रिपुरा ने हाल ही में AFSPA को हटाने का निर्णय लिया।

AFSPA के विपक्ष में तर्क

- आरोप है कि अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के कारण सशस्त्र बलों को इस अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग, जैसे नकली मुठभेड़ और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध करने की छूट मिल जाती है।
- यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों और स्वतंत्रता के निलंबन का कारण बन रहा है, जिससे लोकतंत्र निर्बल होता जा रहा है।
- आलोचकों का तर्क है कि लगभग 50 वर्षों से अस्तित्व में होने के पश्चात भी अधिनियम अशांत क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है।
- **न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी** और **रेड्डी कमेटी,** दोनों ने ही AFSPA के अंतर्गत मिलने वाली पूर्ण प्रतिरक्षा हटाने की अनुशंसा की है।

AFSPA के पक्ष में तर्क

- विद्रोह और आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु सशस्त्र बलों के लिए यह आवश्यक है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों ने अशांत क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा में सहायता मिली है।
- विद्रोहियों और आतंकवादियों के हाथों सैकड़ों सशस्त्र बल कर्मियों ने अपने प्राण गवाएं हैं। ऐसे में, उन्हें सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। अधिनियम को हटाने से उनका मनोबल कमजोर होगा।

आगे की राह

- मानवाधिकारों को बिना किसी विरोधाभास के अनुपालन और प्रभावी ढंग से संचालन पर बल देने की आवश्यकता है। वास्तव में, मानवाधिकार के मानकों और सिद्धांतों का पालन सुरक्षा बलों की विद्रोह को रोकने की क्षमता को मजबूत बनाती है।

VISION IAS

- सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षा, कानून मानदंडों के अंतर्गत जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसका कारण किसी विद्यमान कानून या किसी नए कानून में सशक्त सुरक्षा उपायों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है।
- अधिनियम में "अशांत", "खतरनाक" और "लैंड फोर्सेज जैसे शब्दों की परिभाषा के सम्बन्ध में विद्यमान अस्पष्टता को समाप्त करने हेतु इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता है।
- सेना एवं सरकारी वेबसाइट्स पर AFSPA से संबंधित मौजूदा मामलों की स्थिति प्रदर्शित करके इस संबंध में अधिक स्पष्टता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- मानवाधिकार से संबंधी पूर्व मामलों में सरकार द्वारा की गए कार्यवाही पर याचिकाकर्ताओं को सक्रिय रूप से फीडबैक देना।

3.2 राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत

(National Security Doctrine)

सुर्खियों में क्यों?

हाल में हुए हमलों जैसे पठानकोट, नागरोटा इत्यादि के बाद, विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत (NATIONAL SECURITY DOCTRINE: NSD) की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे:

- असंगत सुरक्षा प्रतिक्रिया। उदाहरणस्वरूप- पठानकोट में स्थानीय इलाके से परिचित प्रशिक्षित सैन्य कर्मियों की उपलब्धता होने के बावजूद आतंकी घटना से निपटने के लिए NSG को बुलाया जाना, जबकि मुंबई हमलों में NSG के शहर में होने के बावज़ूद उसकी तैनाती में देरी की गयी।
- खुफिया सूचनाओं पर ध्यान न देना या उनके प्रति निष्क्रिय बने रहना।
- सुरक्षा एजेंसियों के मध्य उपयुक्त समन्वय न होने के कारण भारी जनहानि।
- एजेंसियों के विफलता के बावजूद उनका जवाबदेह ना होना।

राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत क्या है?

- डॉक्ट्रिन (Doctrine) से आशय विदेशी मामले, सैन्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों के वर्णित सिद्धांतों से है।
- NSD एक दस्तावेज है जो सुरक्षा मामलों में सरकार का रणनीतिक और कार्यात्मक दोनों स्तरों पर मार्गदर्शन करता है।
- NSD को डॉक्ट्रिन में रेखांकित की गयी अलग-अलग स्थितियों पर रणनीति, कार्यनीति (tactics) और विशिष्ट संचालन के माध्यम से लागू किया जाता है।
- वर्तमान में, भारत में रक्षा प्रतिष्ठानों के संदर्भ में केवल बाह्य सुरक्षा के लिए डॉक्ट्रिन विद्यमान है।

भारत को सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है?

- त्वरित और प्रासंगिक निर्णय लेने से उग्रवादी हमलों के समय सुसंगत सुरक्षा प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।
- इन निर्णयों को डॉक्ट्रिन में उपस्थित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत निर्देशित किया जाएगा।
- केंद्रीय और संघीय दोनों स्तरों पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बीच समुचित समन्वय बनाए रखने हेतु।
- यह खुफिया एजेंसियों के पास सम्बंधित जानकारी होने के बावजूद, परस्पर समन्वयता की कमी के कारण होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने में सहायक होगा।
- यह आतंकवादी हमलों से निपटने के दौरान किसी भी विफलता की दशा में सुरक्षा संस्थानों को अधिक जवाबदेह बनाएगा।
- त्वरित और बेहतर प्रबंधन देश में शांति, प्रगति और विकास को सुनिश्चित कर सकता है।

VISION IAS

3.3. आतंकवाद

(Terrorism)

3.3.1 आतंक का वित्तपोषण

(Terror Financing)

पृष्ठभूमि:

- भारत ने पेरिस में आतंकी समूह 'इस्लामिक स्टेट' के वित्तपोषण नेटवर्क से निपटने के लिए चर्चा करने तथा प्रभावी तंत्र विकसित करने हेतु आयोजित पहली वैश्विक बैठक में हिस्सा लिया। ये आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क अवैध और अधिकांशतः छिपे हुए हैं।
- *फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स* (FATF) सचिवालय द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य 'मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण' से सम्बंधित विषयों का समाधान खोजना था।
- आतंकवाद वित्तपोषण (Terrorism finance:TF), आतंकवाद के जीवन हेतु रक्त के समान माना गया है। यह इसके, आतंरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर, निरंतर कार्यशील बने रहने के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

FATF- पृष्ठभूमि

- FATF, 1989 में स्थापित एक अंतर्सरकारी निकाय है। यह दुनिया भर में आतंकवादी कृत्यों के प्रसार से प्रत्यक्षतः सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों को रोकने हेतु ग्लोबल प्रोटोकॉल और मानदंडों को निर्धारित करता है।
- भारत 33 अन्य राष्ट्रों के साथ इस प्रतिष्ठित वैश्विक निकाय का पूर्ण सदस्य है।
- इस वर्ष के प्रारम्भ में जारी FATF की एक रिपोर्ट के अनुसार ISIS आतंकवादियों को संगठित करने तथा गुप्त रूप से घातक हथियारों और गोला-बारूद को जुटाने के लिए एक "जटिल" पैटर्न का उपयोग किया गया था।

भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- **विमुद्रीकरण–** विमुद्रीकरण के माध्यम से सरकार ने अर्थव्यवस्था में नकली नोटों के प्रचलन पर रोक लगायी। ये आतंकवादी वित्तपोषण के महत्वपूर्ण स्रोत थे। एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक वर्ष 70 करोड़ रुपये के नकली नोटों को अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता था।

जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN)

- नकली नोटों के साथ समस्या यह है कि खुले बाजार में ऐसे नोटों को पहचानना और उनका आकलन करना मुश्किल है। केवल बैंकिंग सिस्टम में प्रवेश के बाद ही उनका पता लगाया जा सकता है।
- 90% मामलों में, नकली नोट पाकिस्तान में छापे गए थे जो विभिन्न मार्गों के माध्यम से बांग्लादेश पहुँचाए जाते थे। तत्पश्चात इन्हें तस्करों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल कराया जाता था।
- कच्ची मुद्रा, स्याही और चाँदी के धागे को भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किया जा रहा था। यह पुराने नोटों में सुरक्षा उपायों के साथ किये गए समझौते को उजागर करता है।

- **मुद्रा में सुरक्षा सम्बंधित सुविधाओं को बेहतर बनाना**- नए नोटों के उन्नत सुरक्षा विशेषताओं से युक्त होने के कारण, नकली नोट बनाना मुश्किल होगा।
- गृह मंत्रालय के अंतर्गत **विशेष FICN समन्वय समूह का** गठन किया गया है जो राज्य/केंद्र सरकार की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करेगा।
- **संपत्तियों को ज़ब्त करना-** भारत ने हाल ही में FATF को सूचित किया था कि इसके द्वारा ज़ब्त की गयी संपत्तियों की कीमत 3 लाख यूरो (2.12 करोड़ रुपये से अधिक) है। इनमें तीन दर्जन से अधिक ईकाइयों पर आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग हेतु अवैध कोष रखने का आरोप है।

- 2013 में संशोधनों द्वारा **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967** को और मज़बूत बनाया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ ही आतंकवाद की आय के दायरे को विस्तारित कर उसमें किसी भी ऐसी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है जो आतंकवाद में प्रयुक्त किये जाने हेतु सृजित की गयी हो। इसमें आतंकियों के लिए धन जुटाने की सजा से संबंधित धारा 17 के दायरे में भी विस्तार किया गया है। अब किसी आतंकवादी संगठन, आतंकवादी गिरोह या किसी अकेले आतंकवादी द्वारा वैध अथवा अवैध किसी भी स्रोत से धन जुटाना इसके दायरे में आता है। इस कानून के अंतर्गत अब कंपनियों, सोसाइटी या ट्रस्टों द्वारा किये गए अपराध भी शामिल कर लिये गये हैं।

वित्तीय खुफिया इकाई- IND

- FIU-IND एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, उनको *प्रोसेस* करने, विश्लेषण करने और प्रसार करने हेतु उत्तरदायी है।
- मनी लॉन्ड्रिंग एवं संबंधित अपराधों के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाना भी इसके कार्यों में शामिल है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं, जाँच व प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी उत्तरदायी है।
- FIU-IND एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है।

- 2013 में **PMLA का सुदृढ़ीकरण** कर अनुसूचित अपराधों के लिए मौद्रिक सीमा समाप्त कर दी गयी है तथा मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के सन्दर्भ में संपत्ति ज़ब्त करने (confiscation) अथवा उसे अस्थायी रूप से संलग्न करने (provisional attachment) की शक्तियों को मज़बूत बनाया गया है। इसके साथ ही नए वित्तीय संस्थानों और निर्दिष्टगैर-वित्तीय व्यवसायों तथा वृत्तिओं (professions) को भी PMLA के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए FIU की शक्तियों में वृद्धि की गयी है तथा PMLA के तहत प्रतिबंधों की श्रेणी को और व्यापक बनाया गया है। इसमें निर्दिष्ट निदेशकों और रिपोर्टिंग संस्थाओं के कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल हैं।
- गृह मंत्रालय में आतंकवाद के वित्तपोषण की समस्या से निपटने हेतु 2011 में एक ***"कॉम्बैटिंग फाइनेंस आफ टेररिज्म"* (CFT) सेल** की स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य केन्द्रीय खुफिया/प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर इस समस्या से निपटना है।
- आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) के मामलों की जाँच के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अधीन एक ***टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल*** की स्थापना की गई है।

3.3.2. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय

(Comprehensive Convention On International Terrorism: CCIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने भाषण में भारतीय विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism: CCIT) को त्वरित रूप से अंगीकृत करने के लिए वैश्विक समुदाय से अनुरोध किया है।

यह क्या है?

- CCIT का मसौदा **1996 में भारत द्वारा** तैयार किया गया था, यह एक प्रस्तावित संधि है जो आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 193 सदस्य अपने आपराधिक कानून में शामिल करें।

- सभी आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और आतंकी शिविरों को बंद किया जाए।
- विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जाए।
- सीमापार आतंकवाद को समग्र विश्व में प्रत्यर्पण योग्य अपराध(extraditable offence) घोषित किया जाए।

CCIT को अंगीकृत करने में बाधा

इसे अभी UNGA द्वारा अंगीकृत किया जाना बाकी है। आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यापक नीति अपनाने में आने वाली चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- खतरे की पहचान में अंतर- हालांकि भारत लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है, परन्तु विकसित देशों ने केवल 9/11 के बाद ही इस खतरे को संज्ञान में लिया।
- आतंकवाद का मुकाबला करने में राज्यों की क्षमता में अंतर, मानव अधिकारों और विधि के शासन को सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों द्वारा भी एक व्यापक नीति अपनाए जाने में जटिलता आयी है।

CCIT का प्रभाव

हालांकि आतंकवाद पर अभिसमय को अपनाने की बात की आम सहमति द्वारा अवहेलना की गयी है, लेकिन विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं:

- आतंकवादी विस्फोट के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings), 15 दिसंबर 1997 को अंगीकृत;
- आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism), 9 दिसंबर 1999 को अंगीकृत; तथा
- नाभिकीय आतंकवाद के कृत्यों के दमन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism), 13 अप्रैल 2005 को अंगीकृत।
- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (United Nations Global Counter-Terrorism Strategy) 2006 में अंगीकृत।

3.3.3. सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2322

(Security Council Resolution 2322)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आतंकवाद का सामना करने के लिए विश्व भर में न्यायिक सहयोग बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को अपनाया है।
- प्रस्ताव 2322 का लक्ष्य वस्तुतः परिचालन सम्बन्धी सहयोग के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में अंतरराष्ट्रीय कानूनों एवं न्यायिक प्रणालियों की प्रभावकारिता में वृद्धि करना है।

प्रमुख तथ्य

यह प्रस्ताव आतंकी गतिविधियों का सामना करने से संबंधित पांच प्रमुख मुद्दों पर बल देता है:-

- इसमें द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संधियों जैसे उचित अंतरराष्ट्रीय साधनों का प्रयोग तथा **पारस्परिक विधिक सहायता और प्रत्यर्पण** के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति करना सम्मिलित है।
- इसमें **विदेशी आतंकवादियों के आगमन और संघर्ष क्षेत्रों से उनकी वापसी** के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा साथ ही इन विदेशी आतंकवादियों की *बायोमेट्रिक* एवं *बायोग्राफिक* सूचनाओं सहित अन्य उपलब्ध सूचनाओं का आदान-प्रदान करना भी सम्मिलित है।
- साथ ही यह विदेशी आतंकवादियों से सम्बंधित इन सूचनाओं को बहुपक्षीय *स्क्रीनिंग डेटाबेस* को उपलब्ध कराने के महत्व पर बल देता है, जो वर्तमान में द्विपक्षीय स्तर पर किया जाता है।

- यह प्रस्ताव राष्ट्रों को आतंकवाद के वित्तपोषण को गंभीर दंडनीय अपराध घोषित करने तथा इन आतंकी वित्तपोषकों को सुरक्षित स्थान प्रदान न करने का सुझाव देता है।
- यह साक्ष्य जुटाने एवं उन्हें साझा करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाने पर भी जोर देता है।
- पुनः इसमें आतंकी गतिविधियों को रोकने हेतु यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) और इंटरपोल जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों की भूमिका पर भी बल दिया गया है।

आतंकवाद का सामना करने में बाधक बने मुद्दें:

- मुंबई, ब्रुसेल्स, पेरिस सहित हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों से संबद्ध अधिकांश मामलों में यह देखा गया कि क़ानूनी कार्रवाई किए जाने हेतु आवश्यक घटक जैसे साक्ष्य, संदिग्ध व्यक्ति और गवाह आदि कई राज्यों (देशों) के न्यायिक-क्षेत्राधिकार में फैले हुए थे।
- इसके अतिरिक्त पुलिस बलों और न्यायपालिका के बीच सहयोग में भी कमी तथा आतंकवादी गुटों और उनके सदस्यों के बारे में अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस का अभाव भी एक प्रमुख मुद्दा है।

इससे कुछ अन्य चुनौतियां भी सामने आती हैं:

- प्रथम, स्पष्ट साक्ष्य के अभाव अथवा विभिन्न देशों से साक्ष्य जुटा पाने में अव्यवहार्यता के कारण राज्यों द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकांशत: गलत लक्ष्य निर्देशित कर दिए जाते हैं।
- द्वितीय, फलत: यह न्यायिक विस्तार में परिणत हो जाता है जहाँ साक्ष्य प्रस्तुत करने का बोझ अभियोजन पक्ष से हटकर आरोपियों पर हस्तांतरित हो जाता है। इस संबंध में मुंबई हमलों की प्रतिक्रियास्वरुप 2008 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act:UAPA) में किया गया संशोधन उल्लेखनीय है।

विश्लेषण

प्रस्ताव 2322 निम्नलिखित विभिन्न तरीकों से बहुपक्षीय आतंकवाद-विरोधी प्रयासों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है:

- इसमें प्रस्तावित न्यायिक सहयोग के माध्यम से न्यायालयों में स्वीकार्यता (admissibility) सुनिश्चित करने हेतु सुस्पष्ट साक्ष्य जुटाने में मदद मिलेगी।
- अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस का एक व्यवस्थित उपयोग आतंकवादियों को एक राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने से अथवा यात्रा करने से रोकने में सहायता प्रदान करेगा। यह सीरिया और इराक से विदेशी आतंकवादियों की वापसी से उत्पन्न वर्तमान खतरे के विषय में भी महत्वपूर्ण है।
- साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय में इन विदेशी आतंकवादियों पर लगाये गए आरोप साबित नहीं हो पाते हैं। अत: यदि इस प्रस्ताव का अक्षरश: कार्यान्वयन किया जाता है तो यह निश्चित ही सीरिया और इराक में इन आतंकवादियों की गतिविधियों से सम्बंधित साक्ष्य जुटाने में मदद करेगा।
- इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव 2322 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कानूनी सहयोग के माध्यम से वांछित आतंकवादियों के प्रत्यर्पण में आने वाले गतिरोध को भी समाप्त किया जा सकेगा और इस प्रकार इससे अन्य राज्यों द्वारा आतंकवादियों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों का भी अंत हो जाएगा।

निष्कर्ष

- आतंकवाद की गंभीर समस्या का सामना करने, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों की गतिविधियों को रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग पर सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम है।
- निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद से उत्पन्न खतरे के विरुद्ध प्रतिक्रिया वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए।
- एक विदेशी भूमि पर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से संबद्ध चुनौतियों पर काबू पाने के संदर्भ में निश्चित ही इसे पहला व्यावहारिक कदम माना जा सकता है।

3.3.4 "लोन वुल्फ" - स्टाइल आतंकवादी हमले

("Lone Wolf"- Style Terrorist Attacks)

लोन वुल्फ हमलों में स्वप्रेरित चरमपंथी व्यक्तियों द्वारा हिंसक कृत्य किये जाते हैं। इनकी रूपरेखा किसी एक व्यक्ति द्वारा, बिना किसी आतंकी संगठन के समर्थन या देखरेख के, किसी उदेश्य या आस्था को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जाती है। हाल ही में ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में बड़े पैमाने पर शूटिंग की घटना ने एक बार फिर विश्व भर में *लोन वुल्फ स्टाइल* के आतंकवादी हमले के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। विगत 3 वर्षों में , इस तरह के आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई हैं।

इस तरह के हमलों के लिए उत्तरदायी कारण

- इस तरह के हमलों में, हमलावर कथित तौर पर स्वयं के साधनों से हमला करता है। इस प्रकार का हमला किसी भी स्थापित विद्रोही समूह या अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की सामरिक या वित्तीय सहायता के बिना किया जाता हैं।
- यह IS जैसे आतंकवादी समूहों के लिए कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्र में आतंक फैलाने का एक कारगर तरीका है।
- लोन वोल्फ आम तौर पर सुरक्षा रडार की पहुँच से बाहर रह जाते हैं।
- ज्यादातर हमलावर सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री तक पहुँच द्वारा कट्टरपंथी उग्रवादी विचारधारा से स्वप्रेरित होते हैं।
- अमेरिका में वर्तमान बंदूक की बिक्री का परिवेश स्वप्रेरित कट्टरपंथियों को आसानी से हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करने तथा पर्याप्त मात्रा में बंदूक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की उपलब्धता को सुगम बना देता है ।
- ओरलेंडो में जन समूह पर हुआ हमला प्रतिगामी धार्मिक सिद्धांत (regressive religious doctrine) द्वारा प्रबलित *होमोफोबिया* से उत्पन्न एक आतंकी हमला है।

IS की विचारधारा से प्रेरित *लोन-वुल्फ* हमले सुरक्षा हेतु जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि, भारत में एक भी *लोन-वुल्फ* हमला नहीं हुआ है। किंतु, भारत भी खतरे से बाहर नहीं है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:

- *अल-क़ायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट* (AQIS) ने भारतीय मुसलमानों से यूरोप के समान लोन-वुल्फ का अनुकरण करने तथा भारत में अधिकारियों को मारने का आह्वान किया है।
- भारत से ISIS में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।
- भारत के उन पड़ोसी देशों में चरमपंथ बढ़ रहा है जिसके साथ *पोरस बॉर्डर्स* (छिद्रल सीमा) साझा करते हैं।
- हमलावरों के लिए भारी संख्या में मौजूद संभावित लक्ष्य भी एक कारण है।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

निगरानी- *ऑनलाइन* कट्टरता(radicalization) फ़ैलाने वालों पर रोक लगाने के लिए सक्रिय रूप से सतर्कता अपनाई जा रही है। IB के 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' की तरह अन्य ऑपरेशन किये जाने चाहिए। इस ऑपरेशन में कुछ अधिकारी विशेष तौर पर *वेब* की निगरानी करते हैं तथा उन युवाओं की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं जो ISIS से संपर्क में हैं या उनके द्वारा पोस्ट की गयी सामग्री देखते हैं।

काउंसेलिंग- पेशेवर काउंसेलर और मनोवैज्ञानिकों द्वारा चरमपंथ से दूर रखने हेतु *हेल्पलाइन।*

शिक्षा और कौशल- मदरसा में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का आधुनिकीकरण करना तथा युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए नई मंजिल जैसी योजनाओं का आरम्भ।

- *सर्च इंजन* और *सोशल मीडिया* कंपनियों और अन्य **एजेंसियों के मध्य सामंजस्य** जिससे इन्टरनेट पर उपलब्ध चरमपंथ से संबंधित सामग्री की पहचान करके उन्हें हटाया जा सके।

सरकार द्वारा चरमपंथ को समाप्त करने के साथ-साथ अविकसित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इससे संभावित नये कट्टरपंथियों पर लगाम लगायी जा सकेगी। सरकार को हर बार एक अस्थायी उपाय अपनाने की जगह अपनी आतंकवाद निरोधी नीति को अच्छी तरह परिभाषित करना चाहिए।

VISION IAS

4. आंतरिक सुरक्षा में प्रौद्योगिकी, संचार, मीडिया और सोशल मीडिया

(TECHNOLOGY, COMMUNICATION, MEDIA AND SOCIAL MEDIA IN INTERNAL SECURITY)

4.1. आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा

(Aadhaar and National Security)

आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य सकारात्मक संबंध

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के आलोक में आधार की शुरुआत :** राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु बनी कारगिल समीक्षा समिति ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को "बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान" कार्ड जारी करने की अनुशंसा की थी। आगे चलकर इसको सभी नागरिकों तक विस्तारित कर दिया गया।
- **सहज निगरानी -** अवैध लेन-देन गतिविधियों जैसे कि आतंकवाद, तस्करी आदि हेतु बॉयोमीट्रिक्स या अन्य आंकड़ों के दुरूपयोग करने वाले व्यक्ति का पता लगाना अब अधिक आसान होगा।
- **संसाधनों का दोहराव समाप्त-** आधार कार्ड के उपयोग से संसाधनों का दोहराव समाप्त होगा, जिससे सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे ।
- **मजबूत सामाजिक सुरक्षा -** यह कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत, कुशल और द्रुत व्यवस्था है। यह अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में सक्षम है।

हालांकि, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण आबादी को डाटाबेस के अंतर्गत लाने से राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम में वृद्धि न हो। इस प्रकार, सरकार को इससे उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित सम्भावित समस्याओं की समाप्ति हेतु प्रयास करना चाहिए :

- **बड़े पैमाने पर निगरानी का डर -** आधार कार्ड से बड़े पैमाने पर निगरानी का भय बना रहता है। हालांकि लक्षित निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है,इससे जुड़ा एक संकट यह भी है कि इससे सहमति के बिना व्यक्तियों या उनकी पहचान करने हेतु अवैध निगरानी को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- **साइबर सुरक्षा की समस्या -** साइबर हमलों तथा पहचान और डेटा चोरी आदि खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है जैसे फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी बैंक खाते पर किया गया साइबर हमला या लगभग 150 देशों को प्रभावित करने वाला वानाक्राई रैंसमवेयर वायरस आदि साइबर सुरक्षा के लिए चुनौती हैं।
- **वित्तीय सुरक्षा में समस्याएं -** वर्तमान में चूँकि बैंक खाता, पैन कार्ड आदि को आधार से जोड़ा जा रहा है अतः संभव है UID डेटाबेस के अतिक्रमण से व्यक्तियों और कंपनियों की संवेदनशील वित्तीय जानकारी भी सामने आये जैसे *एक्सिस बैंक, ईमुद्रा* आदि के द्वारा भुगतान लेनदेन हेतु गैर कानूनी रूप से किये गए आधार बायोमैट्रिक्स का संग्रहण आदि प्रकरण।
- **आंतरिक साँठ-गाँठ -** एक खोजी वेबसाइट ने छोटी-मोटी रिश्वत हेतु पहचान या पते के प्रमाण के बिना आधार कार्ड बनाए जाने की सूचना दी है। इससे अवैध प्रवासियों के लिए भी आधार प्राप्त करना संभव हो जाता है जो आधार कार्ड के उद्देश्य को विफल करता है।
- **भौतिक आधार कार्ड में सुरक्षा विशेषताएं -** आधार कार्ड पर कोई भी होलोग्राम या डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होता है बल्कि सिर्फ एक QR कोड होता है, जो टेक्स्ट का चित्रात्मक निरूपण मात्र है। अतः अपने भौतिक रूप में इसकी रंगीन फोटोप्रति इसके मूलप्रति जितनी उचित प्रतीत होती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा -** "राष्ट्रीय सुरक्षा" को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि आधार कानून की धारा 32 में दी गई व्यापक 'राष्ट्रीय सुरक्षा' धारा का दुरुपयोग न हो।

सरकार ने भी आधार प्रणाली में विभिन्न सुरक्षा उपाय किए हैं, जैसे :

- किसी भी लेन-देन के दौरान आधार प्रणाली के अंतर्गत लेनदेन कर्ता, व्यक्ति या कंपनी के उद्देश्यों का पता नहीं चलता है।

VISION IAS

- प्रत्येक डेटा पैकेट को एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित किया जाता है जो ट्रांजिट के दौरान गैर-परिवर्तनीय होता है, इस प्रकार यह किसी भी अन्य प्रणाली /व्यक्ति के लिए पूरी तरह से पहुँच के बाहर है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से भिन्न किसी भी अन्य कारण से सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी सूचना का प्रकटीकरण करने से पहले संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण को अभिलेखित किया जाएगा। इसके निरीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है।
- पोर्टल पर UID डेटा प्रकाशित करने के लिए तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है।

अनुशंसाएँ

- **ठोस गोपनीयता कानून-** इससे प्रणाली में नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बड़े पैमाने पर उनकी कोई निगरानी नहीं की जायेगी। साथ ही डेटा हैंडल करने वाली कंपनी पर उत्तरदायित्व आरोपित करने के लिए IT कानूनों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- **स्मार्ट कार्ड के लिए बॉयोमीट्रिक** - इससे केंद्रीकृत बायोमेट्रिक डाटाबेस की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। फलस्वरूप विदेशियों या अपराधियों द्वारा दूर से ही लोगों की पहचान किये जाने और उस पहचान का दुरुपयोग किये जाने का जोखिम कम हो जाएगा।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) की परिभाषा में आधार डाटाबेस को सम्मिलित किया जाए**- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य है कि शांतिकाल या सशस्त्र संघर्ष के दौरान CI पर हमला नहीं किया जाता है।
- **ऐप-सुरक्षा**- सभी आधार आधारित एप्लीकेशनों का सुरक्षा परीक्षण किया जाना चाहिए जैसे BHIM ऐप आदि।
- **मोबाइल-लैपटॉप सुरक्षा**- मोबाइल और लैपटॉप के लिए उपकरण के स्तर पर भी एन्क्रिप्शन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार से जुडी व्यक्तिगत जानकारी या लेनदेन को हैकिंग के माध्यम से लक्षित न किया जा सके।
- **आपात स्थिति के लिए प्रतिक्रिया दल**- आधार कार्ड पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की निगरानी करने के लिए आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल बनाया जाना चाहिए।

4.2 आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका

(Role of Media And Social Media In Internal Security)

हाल के समय में सोशल मीडिया हमारी आधुनिक संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इस कारण यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चिंता के रूप में भी सामने आया है। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया में निरंतर वृद्धि एवं परिवर्तन हो रहे हैं किन्तु इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की अवहेलना हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया भी सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता करता है, जैसे:

- **बेहतर आसूचना (Intelligence) संबंधी क्षमताएँ** –*सोशल नेटवर्क, रियल-टाइम* एवं प्रत्यक्ष सूचनाए प्रदान करता है। इसके उपयोग द्वारा *बिग डेटा* विश्लेषण आदि जैसी युक्तियों का उपयोग करके "कार्यात्मक आसूचना प्रणाली" को विकसित किया जा सकता है।
- **अन्वेषण (Investigation) को प्रोत्साहन:** इसे प्रभावी कार्यपद्धति एवं शासन व्यवस्था हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें Twitter जैसे प्लेटफार्म को उपयोग करने वाली पद्धतियाँ शामिल हैं जिनसे अन्वेषण तथा अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। *क्राउड सौर्सिंग* (Crowd sourcing) द्वारा अन्वेषण में सहायता, जैसे *फोटो शेयरिंग साईट* Flickr का उपयोग कर CCTV से उपद्रव करने वाले अपराधियों की ली गयी फोटो प्रकाशित करना आदि।

- **कानून और व्यवस्था का प्रबंधन:** 2011 के लंदन दंगों के दौरान उपद्रवियों ने हमला करने तथा पुलिस की स्थिति का पता लगाने जैसे कामों के लिये स्मार्टफ़ोन एप्लिकेशन आदि का उपयोग किया। दूसरी ओर, उपद्रवियों को पकड़ने और समुदायों को सुरक्षित करने के लिए पुलिस एवं जन सामान्य ने भी सोशल मीडिया संबंधी तकनीकों का उपयोग किया। *बोस्टन* बमबारी, 2013 के मामले में पुलिस ने लोगों के मध्य शांति बनाए रखने एवं सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने हेतु अनुरोध करने के लिए Twitter का सफलतापूर्वक उपयोग किया था।

पुलिस व्यवस्था में सोशल मीडिया का उपयोग

- ट्रैफिक संबंधी मामलों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा Facebook एवं Twitter जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा है।
- गुम हुए सामानों के लिए दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन FIR सुविधा है।
- इंदौर पुलिस द्वारा इस माध्यम का उपयोग आपराधिक गतिविधियों की निगरानी हेतु किया जा रहा है।
- बेंगलुरु पुलिस द्वारा "Twitter samvad" जैसे अनुप्रयोग।
- महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर गैर-कानूनी गतिविधियों और आकस्मिक घटनाओं को सँभालने के लिए *सोशल मीडिया लैब्स* परियोजना।

आंतरिक सुरक्षा में सोशल मीडिया एक चुनौती:

प्राधिकारी वर्ग सोशल मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगंडा (propaganda) या दुष्प्रचार को रोकने में अक्षम दिखायी दे रहा हैं। सोशल मीडिया पर घटनाओं एवं संघर्षों की एक अलग ही कहानी प्रस्तुत कर दी जाती है। इन ब्यौरों को विश्वभर में मौजूद हजारों सोशल मीडिया एकाउंट्स के माध्यम से फैलाया जाता है और लोगों को उकसाया भी जाता है। मीडिया, कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम बनता जा रहा है। उदाहरण स्वरुप:

- **सरल और सुलभ प्रचार मंच** - ISIS, दुष्प्रचार को बढ़ावा देने हेतु इस माध्यम का उपयोग कर रहा है। इससे दूसरे आतंकी समूह भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार के प्रचार में प्रतिस्पर्द्धी बन रहे हैं। इस प्रकार के आरोप भी लगे हैं कि बांग्लादेशी आतंकवादी ऑनलाइन उपलब्ध 'घृणास्पद भाषणों' से प्रभावित थे।
- भारत में IS से हमदर्दी रखने वालों का आधार मजबूत हो रहा है। हाल ही में इराकी राजदूत ने भारत में IS द्वारा स्लीपर सेल की स्थापना की सम्भावना की ओर संकेत किया है, जो मुख्य रूप से विदेशी वित्त-पोषित सेमिनारों और प्रचारकों की सहायता से किया जाएगा।
- सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न की कई घटनाएँ सामने आयी हैं। उदाहरणस्वरुप हाल ही में केंद्रीय मंत्री मेनका गाँधी ने ट्विटर (Twitter) पर महिलाओं के उत्पीड़न की जाँच हेतु एक रणनीति की माँग की थी।
- **झूठी/ विद्वेषपूर्ण सूचनाओं का प्रचार-** 2012 में उत्तर-पूर्व भारतीय बड़े पैमाने पर बंगलुरु से पलायन हेतु विवश हुए थे। कथित रूप से, यह स्थिति सोशल मीडिया के दुरूपयोग द्वारा उत्पन्न की गयी थी। कश्मीर में विरोध प्रदर्शन में सोशल मीडिया का उपयोग आतंकी बुरहान वानी की हत्या के विरोध में स्थानीय भावनाओं को उकसाने के लिए किया गया। उसे विभिन्न सोशल मीडिया तथा कुछ विदेशी Twitter प्रयोगकर्ताओ द्वारा शहीद घोषित किया गया था।
- IS **द्वारा भर्ती की प्रणाली -**उन सभी संभावित उम्मीदवारों की पहचान करता है जो IS के साहित्य को '*लाइक*' या '*शेयर*' करते हों। तत्पश्चात उन्हें इराक और सीरिया के IS नियंत्रित क्षेत्रों की यात्रा करने का प्रलोभन देने से पूर्व उन्हें इस प्रकार के *कंटेंट* को और अधिक शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सोशल मीडिया के उपयोग से सम्बंधित अन्य मुद्दे:

- **कानूनी चुनौतियां** जैसे की *इंटरनेट ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग* और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, *सेंसरशिप* का भय और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी खतरे।
- **जवाबदेहिता संबंधी मुद्दे -** मध्यस्थों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने संबंधी चुनौतियाँ।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियाँ-** क्षेत्राधिकार की जटिलताएँ, क्योंकि *फ़ेसबुक* आदि भारत में विदेशी इंटरनेट कंपनियों की सहायक कंपनियों के रूप में कार्यरत हैं और इनके सर्वर भारत के बाहर स्थित हैं।
- **अज्ञातता (Anonymity)-** पुलिस अधिकारियों द्वारा नकली प्रोफाइलों की बहुलता संबंधी चिंता व्यक्त की गयी है।

किए जाने वाले प्रयास:

- सभी सोशल मीडिया सदस्यों के लिए नियम बनाये जाएँ। उनके द्वारा अपराधो की पुनरावृत्ति किये जाने पर उनके अकाउंट का निलंबन कर दिया जाए।
- सोशल मीडिया साइटों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों के खातों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए।
- केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय को इस विषय की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सोशल मीडिया के विभिन्न समूहों और फोरमों की सतर्क निगरानी की जानी चाहिए।
- इसके अलावा, हिंसक, नफरत फ़ैलाने वाले तथा राष्ट्रवाद विरोधी संदेशों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने हेतु एक ऑटो फ़िल्टर प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार शीघ्र ही एक ***नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी*** लाने की योजना बना रही है। यह नीति सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले दुष्प्रचार (propaganda) की रोकथाम पर केंद्रित होगी।

4.3. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी

(Quantum Cryptography)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रशियन क्वांटम सेंटर (Russian Quantum Center:RQC) ने कहा है कि वह भारत को बैंकिंग तथा राष्ट्रीय एवं आतंरिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में **हैक प्रूफ कम्युनिकेशन** में अग्रणी बनाने हेतु "क्वांटम क्रिप्टोग्राफी" प्रदान करने के लिए तैयार है।

क्रिप्टोग्राफी क्या है?

- यह सूचनाओं या संदेशों की एन्कोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया है जिससे सूचनाओं या संदेशों को संचार नेटवर्क में सुरक्षित रूप से भेजा जाता है।
- क्रिप्टोग्राफी, 1990 के दशक तक एल्गोरिदम नामक एक गणितीय प्रक्रिया या कार्यपद्धति पर आधारित थी।
- इन एल्गोरिदम का प्रयोग कुंजियों (KEYs) के साथ संयोजित रूप में किया जाता है। ये कुंजियाँ बिट्स (आमतौर पर संख्या) का एक संकलन हैं।
- उचित कुंजी के बिना, इन कूट संदेशों को समझना लगभग असंभव है, भले ही कोई यह जानता हो कि कौन-से एल्गोरिदम का प्रयोग करना है।

क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है?

- क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्वांटम भौतिकी का प्रयोग करती है, गणित का नहीं।
- इसमें ध्रुवीकृत (polarized) फोटॉनों का उपयोग कर कुंजी (key) उत्पन्न की जाती है।
- चूँकि यह ध्रुवीकृत फोटॉनों (अर्थात फोटॉनों के चक्रण के रूप में कुंजी) का उपयोग करती है अतः गणित की सहायता से इसे तोड़ना (हल निकालना) अत्यंत कठिन होता है।
- यह साइबर हमलों में हुई वृद्धि के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।

महत्व

- क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने का विशेष लाभ यह है कि संदेश के मूल विशेषताओं को बाधित किए बिना भेजे जा रहे संदेशों से (प्रकाश तरंगों के माध्यम से) छेड़छाड़ करना असंभव हो जायेगा।

क्वांटम तकनीक "*इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन*" (चित्र तथा ध्वनि पहचान) के साथ-साथ "*रियलटाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन*" में आने वाली समस्याओं को भी संभाल सकेगी। हालांकि, इस क्षेत्र में काफी काम किया जाना शेष है। लेकिन, चीन को क्वांटम सैटेलाइट जैसी कुछ उपलब्धियाँ हासिल हो चुकी हैं।

4.4. नेटग्रिड

(NATGRID)

केन्द्र सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने हेतु NATGRID (नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड) को पुनःप्रचलित करने का निर्णय लिया गया है।

NATGRID क्या है?

- नेटग्रिड एक समेकित आसूचना तंत्र हैं जो विभिन्न आसूचनाओं के व्यापक प्रतिरूपों को एकत्रित कर भारत सरकार की मुख्य सुरक्षा एजेंसियों के डाटा बेसों को आपस में जोड़ता है, जिससे कि ये आसूचनाएं आसानी से सुरक्षा एजेसियों को प्राप्त हो सके।
- इस तंत्र की परिकल्पना 2008 के मुंबई हमलों के बाद की गई थी।

NATGRID की कार्य पद्धति

- नेटग्रिड एक ऐसा खुफिया तंत्र है, जो विभिन्न सुरक्षा एजेसियों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के डाटा बेसों से प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण करता है और उसे सुरक्षा एजेसियों के साथ साझा करता है।
- यह एक आतंकवाद निरोधी तंत्र है, जो सरकार के डाटा बेस की विभिन्न सूचनाओं जैसे- कर, बैंक खातों का ब्यौरा, क्रेडिट कार्ड भुगतान, वीजा एवं अप्रवासी अभिलेख तथा रेल एवं हवाई यात्राओं आदि को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करता है।
- इस तंत्र से प्राप्त संयुक्त आकंड़ों को 11 विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों को प्रदान किया जाता है जिनमें- RAW, IB, CBI, वित्तीय आसूचना इकाई, CBDT, राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद आसूचना महानिदेशालय सम्मिलित हैं।

नेटग्रिड में सुधार की आवश्यकता

- अपने वर्तमान प्रारुप में नेटग्रिड भिन्न अपर्याप्तता से ग्रसित हैं,जिसमें से कुछ का संबंध लालफीताशाही से है तो कुछ का संबन्ध इस तंत्र में निहित बुनियादी कमियों से है।
- सोशल मीडिया तथा इस प्रकार के अन्य मंचों का प्रयोग, आतंकवादी संगठनों के द्वारा अपने भर्ती कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है, वहीं औपचारिक बैकिंग तंत्र का प्रयोग अनौपचारिक वित्तीय तंत्र के समान ही इन आतंकवादी संगठनों के वित्तीयन के लिए किया जा रहा है।
- भारतीय आसूचना तंत्र में आसूचनाओं को इकट्ठा करने तथा इसके आधार पर की जाने वाली कार्यवाइयों में खामियाँ मौजूद हैं।
- वह दिन दूर नहीं, जब साइबर युद्ध/अटैक का खतरा भारत की सुरक्षा संबधी चिंताओं में प्रमुख मुद्दा होगा। पिछले वर्ष सितंबर माह में पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा केरल सरकार की वेबवाइट को हैक कर लेना इसका ज्वलंत उदाहरण है।

नेटग्रिड का महत्व

- यह एक सुरक्षित केन्द्रीकृत डाटाबेस के रूप में कार्य करेगा, जो 21 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संवदेनशील सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवायेगा।
- यह डाटाबेस विशिष्ट मामलों में 11 एजेन्सियों के प्राधिकृत व्यक्तियों को तथा आतंकवाद से संबंधित संदिग्ध मामलों में पेशेवर जाँचों के लिए ही उपलब्ध होगा।

VISION IAS

- यह तंत्र आतंकवादी खतरों से निपटने से लिए वास्तविक समय में चेतावनी और संभावित आसूचनाओं को उपलब्ध करायेगा।
- यह तंत्र बिखरी हुई सूचनाओं को पारदर्शी, सुलभ तथा एकीकृत तौर पर उपलब्ध कराकर उन विषमताओं को दूर करने में मददगार होगा, जिनके कारण आतंकवाद विरोधी कार्यवाइयों में देरी होती है।
- यह वित्तीय आतंकवाद से लड़ने में मदद करेगा।

आलोचना

- राज्य पुलिस तथा विभिन्न रक्षा विभागों का जिक्र उन "यूजर एजेंसियों" में नहीं हैं, जिनकी पहुँच इलेक्ट्रानिक रूप से 21 संवेदनशील डेटाबेस तक है।
- यदि केन्द्रीय एजेंसी, राज्य एजेंसियों के साथ आसूचनाओं को साझा नहीं करती है तो इस तंत्र की प्रभावशीलता में कमी आएगी।
- निजता के हनन तथा गोपनीय व्यक्तिगत सूचनाओं के प्रकटीकरण की संभावनाओं को लेकर नेटग्रिड की आलोचना की जाती है।
- नेटग्रिड एक ही स्थान पर विभिन्न स्रोतों से मिली सूचनाओं को प्राप्त करता हैं। यदि इन सूचनाओं का दुरुपयोग हुआ तो नेटग्रिड का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
- नेटग्रिड को विभिन्न समस्याओं जैसे-विशाल जनसंख्या से प्राप्त आंकड़ो का समेकन, क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त आंकड़ो के साथ सुसंगतता में कमी, महत्वपूर्ण सूचनाओं को बाहरी स्रोतों के साथ साझा करना एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा का भी सामना करना पड़ रहा है।

सावधानियाँ:

- चूंकि नेटग्रिड में व्यक्तियों की अत्यंत संवेदनशील सूचनाएं रहती हैं इसलिए उनके दुरुपयोग का खतरा अधिक है।
- सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हैं कि नेटग्रिड पर उपलब्ध सूचनाओं में अनाधिकृत घुसपैठ न हो।
- नेटग्रिड भारत की गो टू ग्रिड फॉर 360 डिग्री प्रणाली के उद्देश्य के तहत संकट से रोकथाम और नियंत्रण की पूर्ण क्षमता रखता है।

4.5 अन्य पहल

(Other Initiative)

4.5.1 अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS)

(Crime and Criminal Tracking Network & System (CCTNS))

- सिविल पुलिस के जांच अधिकारियों को अपराधों और अपराधियों की जांच हेतु तकनीकी तथा सूचना और अन्य उपकरण मुहैया कराकर चल रही जाँच को सुविधाजनक बनायेगा।
- इससे पुलिस कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-कानून व्यवस्था,ट्रैफिक प्रबंधन आदि में सुधार होगा।
- यह पुलिस स्टेशनों, जिलों, राज्य/ केंद्र शासित मुख्यालयों और अन्य पुलिस एजेंसियों के बीच अपराध और आपराधिक मामलों की जानकारी साझा करने और पारस्परिक विचार-विमर्श की सुविधा प्रदान करेगा।
- इससे न्यायालयों में लंबित मामलों सहित अन्य मामलों की प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी।
- पुलिस कार्यप्रणाली को नागरिकों के लिए सौहार्दपूर्ण बनाना तथा पुलिस स्टेशनों के कामकाज को स्वचालित करके उन्हें अधिक पारदर्शी बनाना।
- ICT के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में सुधार करना।

4.5.2. सैटेलाइट आधारित पुलिस दूरसंचार प्रणाली

(POLNET)

- सैटेलाइट आधारित पुलिस दूरसंचार प्रणाली (POLNET) देश की पुलिस दूरसंचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उपग्रह आधारित वाइड एरिया नेटवर्क है।
- पोलनेट विभिन्न नवीनतम वीसैट (VSAT) प्रौद्योगिकियों अर्थात TDM/TDMA, SCPC/DAMA और DVB-S का एक समिश्रण है।
- यह प्रत्येक राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालयों और CPMF के चयनित स्थानों पर जैसे-BSF, ITBP, CISF, CRPF, असम राइफल्स, SSB और CPO हेतु लगभग 1000 VSATs(वैरी स्माल एपर्चर टर्मिनल) का एक विशाल नेटवर्क है।
- वर्तमान में पोलनेट में 961 VSATs शामिल हैं जो नई दिल्ली में स्थापित हब(HUB) द्वारा 11 मीटर एंटीना के साथ आवश्यक आंतरिक और बाह्य उपकरणों से युक्त लगभग वॉइस, डेटा, फैक्स सुविधाओं हेतु कुल 1500 स्थानों के VSAT नेटवर्क को सहायता प्रदान करता है।
- पोलनेट नेटवर्क NCRB कंप्यूटरों को राज्य / जिला मुख्यालयों के SCRB और DCRB कंप्यूटरों की कनेक्टिविटी के लिए इंटरलिंकिंग भी प्रदान करता है।

4.5.3. कोम्प्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम: CIBMS

(Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS)

CIBMS के उद्देश्य

इसका उद्देश्य घुसपैठ, तस्करी और पठानकोट जैसे आतंकी हमलों को रोकना है।

CIBMS के बारे में विस्तृत जानकारियाँ

- पाकिस्तान से लगी 2900 किलोमीटर लम्बी सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए यह पांच स्तरीय विस्तृत कार्यक्रम है। इन पाँच स्तरों में शामिल हैं -
  - CCTV कैमरे
  - थर्मल इमेज और नाइट विज़न डिवाइस
  - युद्ध क्षेत्र निगरानी राडार
  - भूमिगत निगरानी सेंसर
  - लेजर अवरोधक (laser barriers)
- एकीकृत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि किसी अवैध घुसपैठ की स्थिति में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरा उपकरण इसकी सूचना त्वरित रूप से कंट्रोल रूम तक पहुँचा देगा।
- लेजर अवरोधक जम्मू कश्मीर से गुजरात तक फैले उन 130 जलीय और पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा करेगा जहाँ अभी तक बाड़ लगाने का कार्य नहीं हो सका है।
- आगामी दो वर्षों में पूरी सीमा को इस उच्च तकनीकी प्रणाली के तहत कवर किया जायेगा।

4.5.4. सशस्त्र बलों की शक्ति बढाने के लिए मानव रहित वाहन

(UAVs to Power Armed Force)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में घरेलू और विदेशी कंपनियों द्वारा, **एयरो इंडिया 2017** में भारत के 3 अरब डॉलर के घरेलू बाजार को टैप करने के लिए **मानव रहित वाहनों (UAV)** का व्यापक प्रदर्शन किया गया था।

पृष्ठभूमि

- भारत स्थल, समुद्र और वायु में मानव रहित वाहनों के विकास में अत्यधिक निवेश कर रहा है। DRDO, नेशनल एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड विभिन्न ड्रोन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।
- DRDO 2020 तक ड्रोन से संबंधित एक नीति दस्तावेज बनाने की भी योजना बना रहा है।

भावी परियोजनाएं

- रक्षा PSU अब छोटे UAV विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये युद्ध के समय शत्रु की नज़रो से भी बच सकते है ।
- DRDO की एक प्रयोगशाला *कॉम्बैट वीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट* (CVRDE) अपनी मन्त्रा **परियोजना के तहत विभिन्न मानव रहित स्थल वाहनों (UGV)** को विकसित कर रहा है।
  - **मंत्रा -N:** इसे नाभिकीय, जैविक और रासायनिक (NBC) हमलों का पता लगाता के लिए बनाया गया है
  - **मंत्रा -M :** इसका प्रयोग बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए किया जाता है।
- नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (NSTL) विशाखापत्तनम, नौसैनिक युद्ध के लिए पानी के नीचे रहने वाले विभिन्न स्वायत्त वाहनों का विकास कर रही है।

UAV विनिमय के लिए ड्राफ्ट

- भारत में संचालित सभी UAV को DGCA द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) की आवश्यकता होगी।
- सभी सिविल UAV को DGCA से ऑपरेटर परमिट प्राप्त करना होगा।
- UIN ऐसे भारतीय नागरिक या एक कंपनी को दी जाएगी, जिसका अध्यक्ष और उसके निदेशकों में दो-तिहाई सदस्य भारतीय नागरिक हो।
- ऐसे UAV को DGCA की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को बेचा या डिस्पोज़ नहीं किया जा सकेगा।
- यह 18 वर्ष से अधिक आयु के रिमोट पायलटों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ नियंत्रित हवाई क्षेत्र के लिए दिशानिर्देशों को भी सूचीबद्ध करता है।
- ड्रोनों के आयात को DGCA से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- अनियंत्रित हवाई क्षेत्र में 200 फीट AGL (भूतल से ऊपर) पर या उससे ऊपर UAV संचालन के लिए DGCA से परमिट की आवश्यकता होगी।
- सिविल UVA के अंतर्राष्ट्रीय संचालन या जल के ऊपर संचालन को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाएगा।

वर्तमान में भारत के मानव रहित वाहन

- **रूस्तम**: यह खुफिया, निगरानी और आवीक्षण (ISR) हेतु विकसित किया जा रहा है और बैंगलोर में स्थित DRDO के ***एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट*** (ADE) द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया है।
- **निशांत**: यह **युद्धक्षेत्र निगरानी और आवीक्षण** (reconnaissance) के लिए डिजाइन किया गया था और **ADE** द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- **पंछी** : यह ADE द्वारा निर्मित और विकसित UAV निशांत का पहिया युक्त संस्करण है।
- **लक्ष्य** : यह एक पुन: प्रयोज्य हवाई लक्ष्य प्रणाली है।
  - **दक्ष**: यह DRDO द्वारा विकसित, बम के निस्तारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक भूमि आधारित ड्रोन है।

VISION IAS

महत्व

- इन्हें दूरस्थ स्थान से नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा खतरों के मामले में सैनिकों को किसी भी नुकसान से बचाया जा सकेगा ।
- इन्हें **दुर्गम इलाको जैसे जंगली क्षेत्र या दलदल की पहचान के लिए इस्तेमाल** किया जा सकता है। इन स्थानों पर मानव का पहुंचना मुश्किल होता है।
- ऐसे वाहनों का नीरस और तकनीकी कार्यों जैसे बम और सुरंगो के निपटान के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- UAV ,स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा उत्पन्न **दूरस्थ युद्धों से निपटने में सक्षम** है।

चुनौतियाँ

- UAV का सैन्य और असैन्य उद्देश्यों दोनों के लिए तेजी से उपयोग किया जा रहा है, यहाँ एक आशंका यह भी है कि **निजता का उल्लंघन करने के लिए UAV का दुरुपयोग किया जा सकता है**।
- सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण अभी भी हमारे ड्रोन हैकिंग से सुरक्षित नहीं है।

आगे की राह

- हाल ही में सरकार द्वारा UAV नियमों को जारी किया गया है। इन्हे कुशल तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
- भारत रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक है। यह विशेष रूप से इज़राइल से मानवरहित वाहनों का आयात करता है इसलिए आत्म निर्भरता हासिल करने के लिए UAV का स्वदेशी उत्पादन करना आवश्यक है।

4.6. रासायनिक हथियार

(Chemical Weapon)

सुर्खियों में क्यों ?

सीरिया के इडलीब प्रांत में सरीन (sarin) गैस के हमले में 80 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे।

रासायनिक हथियार क्या है ?

- रासायनिक हथियार ऐसे विशिष्ट हथियार होते हैं, जो रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्यों को जान से मारने या चोट पहुंचाने वाले रसायनों को पर्यावरण में प्रसारित करते हैं।
- कुछ सामान्य रासायनिक हथियार इस प्रकार हैं- मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन, क्लोरीन तथा नर्व एजेंट्स सरीन और VX इत्यादि ।

चर्चित रासायनिक गैसें

- **सरीन** :संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में विद्रोहियों के कब्जे वाले दमिश्क उपनगर (Damascus suburb) में सरीन के उपयोग से 100 लोगों की मौत की पुष्टि की थी।
- **VX**: नर्व एजेंट (VX), कथित तौर पर नार्थ कोरिया के शासक किम जोंग-युंग के चचेरे भाई की हत्या में इस्तेमाल किया गया था

रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ इंटरनेशनल कन्वेंशन और फोरम

- **जिनेवा प्रोटोकॉल 1925**: यह कन्वेंशन इन रसायनों के उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाता था।
- 1993 में रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) ने इन कमियों को पहचाना। इसने रासायनिक हथियारों के उत्पादन के साथ-साथ उसके भंडारण को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया। अभी तक 192 देशों ने इसे बाध्य करने हेतु सहमति व्यक्त की है- 4 संयुक्त राष्ट्र के राज्य इसके सदस्य नहीं हैं: इजरायल, मिस्र, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान।
- CWC को आर्गेनाईजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ़ केमिकल वेपन्स (OPCW) द्वारा प्रशासित किया जाता है,इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- **ऑस्ट्रेलिया समूह (AG)** उन देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जो निर्यात नियंत्रणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि निर्यात रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में योगदान नहीं देता है।

VISION IAS

5. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा

(SECURITY IN BORDER AREAS)

5.1. सीमा प्रबंधन और संघर्ष विराम उल्लंघन

(Border Management and Ceasefire Violations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मामलों पर संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह विशेष रूप से उजागर किया है कि 1971 के पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की सीमाएं कभी भी इतनी सुभेद्य नहीं रही जितनी कि अब हैं।

भारत की स्थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है जो 17 राज्यों के 92 जिलों से होकर गुजरती है एवं तटरेखा की लम्बाई किलोमीटर है जो 11 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्पर्श करती है। भारत की प्रमुख सीमा सुरक्षा चुनौतियां इस प्रकार हैं:

- सीमा पार आतंकवाद,
- सशस्त्र आतंकवादियों और विद्रोहियों की घुसपैठ और बहिरगमन,
- नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी;
- अवैध प्रवसन;
- बाहरी शक्तियों से सहायता प्राप्त अलगाववादी आंदोलन
- पशुओं की तस्करी
- छिद्रित सीमा जैसे कि भारत म्यांमार बॉर्डर।

समिति की अनुशंसाएँ

भू-सीमा प्रबंधन

- सीमा अवसंरचना का विकास, जिसमें सम्मिलित है: सीमा चौकियां, बाड़ लगाना, सीमा सड़कें (विशेष रूप से पाकिस्तान की सीमा के साथ), सीमा सुरक्षा ग्रिड और फ्लडलाइटिंग इत्यादि।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी से निपटने के लिए सीमा से 15 किलोमीटर अन्दर तक लोगों का आवागमन एवं पशुओं के व्यापार को निषिद्ध किया जाना चाहिए।
- भारत म्यांमार सीमा के लिए बेहतर प्रबंधन हेतु असम राइफल्स के स्थान पर सीमा रक्षक बलों (BGF) को नियंत्रण का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

- **सीमा सुरक्षा ग्रिड** शब्द का उपयोग सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए भौतिक अवरोधों के साथ-साथ तकनीकी उपकरणों/इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से सीमा को सील करने के लिए किया जाता है।
- इसमें कांटेदार तारों की बाड़, दीवारें, फ्लडलाइटिंग, लेजर बीम, कैमरें, अलार्म सिस्टम आदि शामिल है।

सामान्य सीमा प्रबंधन

सीमा रक्षक बलों (BGF) से जुड़े मुद्दे

- जवानों को अत्यधिक कार्य करना पड़ता है इसलिए वे पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान थके हुए होते हैं।
- सीमा चौकियों (BOPs) पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होती है तथा जवानों के लिए अपने परिवारों के साथ संपर्क करने के लिए सैटेलाइट फोन ही एकमात्र साधन होते हैं।
- आंतरिक सुरक्षा कारणों से सीमा रक्षक बलों की बटालियनों को सीमा सुरक्षा के स्थान पर अन्यत्र तैनात किया जाता है।
- हाथ में रखकर उपयोग किए जाने वाले थर्मल इमेजर जैसे कुछ निगरानी उपकरणों की कमी है जो कि रात के समय निगरानी करने के लिए आवश्यक होते हैं।
- सीमा पर नियुक्त कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं गंभीर रूप से अपर्याप्त हैं। यहां तक सामान्य उपचार के लिए भी कार्मिकों को सीमांत मुख्यालय स्थानांतरित करना पड़ता है।
- सेना की तुलना में वेतन और भत्तों में असमानता।

VISION IAS

अनुशंसाएं

- अतिरिक्त बटालियनों की संख्या बढ़ाने संबंधी सीमा रक्षक बलों के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
- टेलीफोन, चिकित्सा सुविधाओं आदि से युक्त समग्र सीमा चौकियों का विकास किया जाना चाहिए।
- कार्मिकों के तैनाती क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थितियों के आधार पर दुर्गम क्षेत्र भत्ता विशेष रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और यह सभी बलों के कार्मिकों के लिए एक समान होना चाहिए भले ही वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हों या सेना का।

संस्थागत समर्थन

- नेटग्रिड के लिए प्रभावी कोष आवंटन एवं संचालन।
- केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) में कम भागीदारी पर परामर्श।
- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) के निर्माण हेतु प्रभावी कदम।

मल्टी एजेंसी सेंटर

यह प्रवर्तन निदेशालय,आर्थिक खुफिया एजेंसी आदि जैसी एजेंसियों से विभिन्न खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म है।

राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC)

आवश्यकता

- 26/11 हमलों के बाद सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक अलग निकाय स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की।
- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) एवं ब्रिटेन के संयुक्त आतंकवाद विश्लेषण केंद्र पर आधारित है।
- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 से अपनी शक्तियाँ व्युत्पन करेगा।
- मूल विचार खुफिया सूचनाओं के संबंध में होने वाले भ्रम को समाप्त करना है।

कार्य

- इसे भारत के किसी भी भाग में सर्च और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह आतंकवाद पर डेटा का संग्रह, संकलन और प्रसार करेगा।
- यह आतंकवादियों एवं उनके परिवारों सहित उनके सहयोगियों के डेटाबेस को भी बनाये रखेगा।
- संक्षेप में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) एकल एवं प्रभावी नियंत्रण तथा सभी आतंकवाद निरोधक उपायों के समन्वय बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र की स्थायी परिषद में राज्यों में विद्यमान आतंकवाद विरोधी एजेंसियां सम्मिलित होंगी।
- इस निकाय में खुफिया जानकारी के संग्रह और प्रसार, विश्लेषण और संचालन करने के लिए 3 प्रभाग होंगे।

मुद्दे

- कुछ राज्यों का आरोप है कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) की प्रकृति गैर-संघीय है। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC)को राज्य सरकार, पुलिस या आतंकवाद विरोधी दस्ते को सूचित किए बिना लोगों की खोज और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- इसके कार्य NIA के साथ अतिव्याप्त होते हैं।

VISION IAS

5.2. भारत म्यांमार सीमा

(Indo-Myanmmar Border)

भारत और म्यांमार 1,643 किलोमीटर लम्बी बाड़-रहित सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 ऐसे राज्य हैं, जो म्यांमार की सीमा पर अवस्थित हैं। हालांकि, 1967 के सीमा समझौते के बाद दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को औपचारिक रूप से निर्धारित और सीमांकित किया गया था, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर ठोस रूप नहीं दिया जा सका। नीति निर्माताओं ने भी सीमा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है इसलिए इस सीमा से संबंधित मुद्दों का अब तक उचित प्रबंधन नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए-

- सामान्य और सीमावर्ती व्यापार हेतु चिन्हित दो स्थलों, मोरेह और जोखावतार में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की दयनीय स्थिति है।
- भूमि कस्टम्स स्टेशनों में स्क्रीनिंग और डिटेक्शन मशीन, संचार उपकरण, बैंकिंग सुविधाएं, गोदामों, पार्किंग इत्यादि पृथक सुविधाओं का अभाव है।

5.2.1. म्यांमार से लगी पूर्वी सीमा की बाड़बंदी

(Fencing the Eastern Border Along Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- म्यांमार द्वारा सीमा की हालिया बाड़बंदी ने भारत-म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों में असंतोष पैदा कर दिया है।

सर्जिकल स्ट्राइक

यह एक सैन्य हमला है जो **आस-पास के क्षेत्रों को कम या कोई संपार्श्विक (collateral) क्षति पहुँचाए बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य को क्षतिग्रस्त** करता है।

पृष्ठभूमि

- म्यांमार द्वारा **प्रभावी सीमा प्रबंधन** के लिए सीमांकित सीमा रेखा से 10 मीटर की दूरी पर अपने **नागा स्व-प्रशासित क्षेत्र** में बाड़ का निर्माण का कार्य किया जायेगा।
- NSCN-K जैसे पूर्वोत्तर के विद्रोही संगठन छिद्रिल सीमाओं (porous border) के कारण दोनों देशों के मध्य निर्बाध आवागमन करते हैं।
- भारत में हमले करने के बाद वे सीमा पार सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं।
- 2015 में विद्रोहियों द्वारा सेना के एक दस्ते पर हमले के जवाब में भारत ने सीमा पार करके NSCN-K के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से पश्चिमी सीमा की तरह पूर्वी सीमा की बाड़बंदी करने के लिए कहा है।

संबंधित मुद्दे

- **संप्रभुता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा** - भारत द्वारा हाल ही में किये गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह सवाल उठा है कि एक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को अन्य देश की संप्रभुता पर प्राथमिकता दी जा सकती है या नहीं। बाड़बंदी संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया एक कदम हो सकता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम आजीविका और व्यापार का अधिकार** - 1,643 किमी लंबी भारत-म्यांमार की सीमा आदिवासियों को बिना वीज़ा के दोनों तरफ 16 किमी तक यात्रा की सुविधा प्रदान करती है (इसे मुक्त आवागमन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है)। बाड़बंदी इन व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है लेकिन इससे विद्रोहियों के निर्बाध आवागमन को रोका जा सकता है।

VISION IAS

- विद्रोही लम्बे समय से FMR का लाभ उठाते आ रहे हैं। शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त करने, सुरक्षित आश्रयस्थली स्थापित करने के लिए वे म्यांमार जाते हैं और विध्वंसात्मक आक्रमण करने के लिए भारत में पुन: प्रवेश करते हैं।
- पिछले कुछ वर्षों से यह **सीमा हथियारों और उच्च स्तर की हेरोइन की तस्करी** का प्रमुख मार्ग बन गयी है।
- एफेड्रिन और स्यूडो -एफेड्रीन जैसे मादक पदार्थों के साथ ही पूर्वोत्तर भारत से महिलाओं और बच्चो की तस्करी इस सीमा के माध्यम से बढ़ती जा रही है। इन्हें इस मार्ग से म्यांमार तथा दक्षिणपूर्व एशिया के अन्य भागो में ले जाया जाता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- अप्रतिबंधित बाड़बंदी के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रणनीतियों को अपनाया जा सकता है -
  - आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए **चयनात्मक बाड़बंदी** और प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है।
  - **सीमा-पार आवागमन को विनियमित करना।**
- ऐसी योजनाओं को अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन से पहले **दोनों सरकारों और स्थानीय लोगों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत** आवश्यक है।
- केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने म्यांमार सीमा पर मुक्त गतिविधियों के दुरूपयोग को रोकने के उपायों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया है।
  - सर्वप्रथम सरकार को सीमा की सुरक्षा का कार्य एकल कमान्ड के अंतर्गत करना चाहिए। इसे या तो पूर्णतः असम राईफल्स को प्रदान कर देना चाहिए अथवा सीमा सुरक्षा बल (BSF) जैसे अन्य सुरक्षा बल को इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी बनाना चाहिए।
  - सरकार को FMR में संशोधन के कार्य को प्रारम्भ करना चाहिए और उस दूरी को कम करना चाहिए जहा तक अप्रतिबंधित आवागमन की अनुमति दी गयी है।
  - अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ साथ **समेकित जाँच चौकियों का निर्माण** कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए।
  - अंत में भारत को म्यांमार के साथ सार्थक रूप से शेष सभी मुद्दों पर वार्ता करनी चाहिए और पारस्परिक सीमा के बेहतर प्रबन्धन के लिए सहयोग की मांग करनी चाहिए।

5.2.2. म्यांमार और NSCN-K का युद्ध विराम समझौता

(MYANMAR NSCN-K Ceasefire Pact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में गृह सचिव ने संकेत दिया है कि भारत, म्यांमार को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खाप्लांग **(NSCN-K)** के साथ युद्ध विराम समझौते को रद्द करने के लिए कह सकता है।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैंड-खाप्लांग (NSCN-K)

- यह भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का एक प्रतिबंधित विद्रोही संगठन है।
- इसका उद्देश्य भारतीय संप्रभुता से मुक्ति एवं नागालैंड गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड) की स्थापना करने के लिए सशस्त्र संघर्ष करना है।
- तत्कालीन NNC (नागा नेशनल काउंसिल) द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित **1975 के शिलांग समझौते** का इस संगठन द्वारा विरोध किया गया था।
- 1988 में NNC दो गुटों अर्थात् SS खाप्लांग के नेतृत्व में NSCN (K) एवं इसाक और मुइवा के नेतृत्व में NSCN (IM) में विभाजित हो गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य नागा बहुल क्षेत्रों को शामिल करने वाले **ग्रेटर नागालैंड** की स्थापना करना है।
- यह नागालैंड के पूर्वी भागों, पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के पूर्वी भागों में सक्रिय है।

VISION IAS

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- म्यांमार विभिन्न विद्रोही गुटों के लिए एक सुरक्षित स्थल है।
- विद्रोही गतिविधियों का दमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा कूटनीतिक मंच का उपयोग किया जायेगा।
- NSCN-K का म्यांमार के साथ युद्ध विराम समझौता है इसलिए इस संगठन को इस क्षेत्र में भूमि आधारित विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त हुआ है।
- विद्रोही समूहों ने हथियारों की तस्करी और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों के लिए सीमा के दोनों ओर एक नेटवर्क स्थापित कर लिया है।

नागा आंदोलन

- यह आंदोलन 1918 में नागा क्लब द्वारा आरम्भ किया गया था।
- 1973 में नागा लोगों द्वारा सोलह सूत्री समझौते एवं नागालैंड के निर्माण को अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन क्षेत्रों में नागा लोग बसे हुए थे, इन क्षेत्रों को नये राज्य में शामिल नहीं किया गया था।
- यह आन्दोलन एक पृथक जातीय पहचान पर जोर देता है एवं ग्रेटर नागालिम (असम, अरुणाचल एवं मणिपुर में ऐसे क्षेत्रों का एकीकरण जहाँ नागा लोगों का निवास हैं) के रूप में स्वतंत्र होमलैंड की मांग कर रहा है।

2015 का नागा शांति समझौता

- इसाक-मुइवा की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड [NSCN(IM)] एवं भारत सरकार के बीच 3 अगस्त 2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- NSCN(IM) के नेतृत्व ने पूर्ण संप्रभुता के अपने लक्ष्य में संशोधन करने की बात को स्वीकार कर लिया है।
- स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना के माध्यम से नगालैंड के बाहर स्थित नागा क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क।
- नॉन-टेरीटोरिअल फ्रेमवर्क की संभावना को अपनाने से नागालैंड के बाहर नागा स्थित क्षेत्रों की संस्कृति, इतिहास और स्वायत्तता की सुरक्षा होगी।

आगे की राह

नॉन-टेरीटोरिअल रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की आशंकाओं को दूर करेगा।

- यह समझौता इन राज्यों को अपनी क्षेत्रीय स्थिति को बनाये रखने में सक्षम करेगा जबकि केवल नागा निवास क्षेत्रों में विकास विशेषाधिकार को एक नये नागा गैर-प्रादेशिक निकाय को प्रदान करेगा ।
- नागा शांति समझौते का मणिपुर पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। यह बात उल्लेखनीय है कि सरकार ने इसके महत्व को समझा तथा इस सन्दर्भ में आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों पर भी विचार किया जा रहा है।

5.3. कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत

(Cold Start Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एक साक्षात्कार में थल सेनाध्यक्ष ने कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत (CSD) के अस्तित्व को स्वीकार किया है। जिसे भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने 1984 से 2004 तक पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध की स्थिति में सुंदरजी सिद्धांत (Sundarji Doctrine:SD) का पालन किया था।
- SD के अनुसार पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर सात होल्डिंग कॉर्प्स और मध्य भारत में तीन स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात किया गया था।

- होल्डिंग कॉर्प्स पाकिस्तान के आक्रामक प्रहार को स्ट्राइक कॉर्प्स के आने तक रोक कर रखता है जिसकी आक्रामक क्षमता पाकिस्तान को दंडात्मक प्रतिक्रिया देती है।
- 2001 में संसद में हुए आतंकवादी हमले के बाद SD को ऑपरेशन पराक्रम के अंतर्गत प्रयुक्त किया गया था। लंबी दूरी के कारण सैनिकों को लामबंद करने में 3 सप्ताह का समय लग गया।
- तब तक अंतरराष्ट्रीय दबाव ने भारत को कार्यवाही करने से रोक दिया।
- SD की विफलता के बाद CSD को विकसित किया गया था। जहाँ SD बचाव की मुद्रा में आक्रमण की रणनीति अपनाता है वहीं CSD आक्रामक मुद्रा में रक्षा की रणनीति को अपनाता है।
- CSD के अनुसार 2001 में ऑपरेशन विजयी भव और ऑपरेशन सुदर्शनशक्ति ने सफलतापूर्वक लामबंदी के समय को कम करके 48 घंटे कर दिया।

कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत

- CSD का लक्ष्य पाकिस्तानी हमले की जवाबी कार्यवाही में किसी भी अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से पहले पाकिस्तान को व्यापक रूप से नुकसान पहुँचाना है।
- इसे इस प्रकार किया जाना है कि पाकिस्तान परमाणु हमले के लिए उत्तेजित न हो सके।
- इसके मुख्य तत्वों में शामिल हैं-
  - "कोल्ड स्टार्ट" द्वारा आक्रमण करने के लिए रक्षात्मक या प्रधान सैन्यदलों के आक्रामक अभियानों की क्षमता बढ़ाना।
  - प्रहारक सैन्यदल की छावनियों को सीमा के करीब ले जाना।
  - पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने हेतु सीमित आक्रामक अभियान चलाने के लिए कुछ "एकीकृत युद्ध समूहों" का गठन किया जाना है।
  - अधिकृत क्षेत्र का प्रयोग पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को संस्थागत समर्थन बंद करने पर मजबूर करने के लिए किया जा सकता है।

सिद्धांत का महत्व

- हाल ही में पठानकोट और उरी में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर हमारी रक्षा तैयारियों में सुधार करने में यह सिद्धांत मदद कर सकता है।
- यह किसी भी प्रतिक्रियात्मक सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति में भारत की रणनीति तैयार करने में भी मदद कर सकता है।
- यह युद्ध के परमाणु आक्रमण तक विस्तृत हो जाने के खतरे को भी सावधानीपूर्वक टाल सकता है।
- यह रणनीति भारत की सहिष्णुता सीमा से पाकिस्तान को अवगत करने में मदद करती है और भारत की निवारक क्षमता सुदृढ़ करती है।
- यह पाकिस्तान की छद्म युद्ध नीति पर स्व-नियंत्रण स्थापित करेगा।

सिद्धांत की आलोचना

- यह पाकिस्तान को अपनी परमाणु शक्ति में वृद्धि करने के लिए एक औचित्य प्रदान करता है। उदाहरणार्थ सीमित भारतीय सैन्य आक्रमण को रोकने के लिए पाक द्वारा कम दूरी की मिसाइलों का निर्माण जिन्हें **सामरिक परमाणु हथियार (tactical nuclear weapons)** कहा जाता है।
- भारत के रक्षा बजट में भी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरुप सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए कम धन आवंटित हो रहा है।
- कुछ लोगों का तर्क है कि इसे लागू करने के लिए भारत के पास जनशक्ति और युद्ध-सामग्री का अभाव है।
- इससे परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है तथा परमाणु चोरी और आतंकवाद के खतरों में भी वृद्धि हुए है।

आगे की राह

- भारत के दृष्टिकोण से CSD एक अनुकूल सिद्धांत है लेकिन चूँकि पाकिस्तान की रणनीति में भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता का प्रत्युत्तर परमाणु हथियार हैं इसलिए यह सिद्धांत भारत की रणनीतिक स्थिरता पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। भारत की ओर से कोई भी दुस्साहस इस क्षेत्र को परमाणु आपदा की तरफ अग्रसर कर सकता है इसलिए दोनों परमाणु शक्तियों को संयम बरतने की आवश्यकता है।

VISION IAS

5.4. तट रेखा की सुरक्षा में वृद्धि

(Strengthening Security Along Coastline)

भारत की समुद्री तट रेखा की लम्बाई 7,515 किमी है और भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर विस्तृत विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive economic zone) है। इसकी भौगोलिक स्थिति और इसका रणनीतिक महत्व, तटीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण बनाते है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद तटीय इलाकों में गश्त एवं निगरानी (patrolling and surveillance) को सुदृढ़ करने की आवश्यकता में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से तट के पास स्थित कम गहरे क्षेत्रों में।

- शीर्ष स्तर पर ***नेशनल कमिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मेरीटाइम एंड कोस्टल सिक्यूरिटी*** (NCSMCS) द्वारा समुद्री एवं तटीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को समन्वित किया जाता है ।
- वर्तमान में, देश के तटीय राज्यों के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है।
    - तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस बलों का क्षेत्राधिकार तट से 12 समुद्री मील तक विस्तारित होता है।
    - भारतीय तटरक्षक बल एवं नौसेना पर सम्पूर्ण समुद्र क्षेत्र में से तट से 200 समुद्री मील दूर तक की सुरक्षा का दायित्व है जिसमें प्रादेशिक जल के 12 समुद्री मील भी सम्मिलित हैं।

हालांकि, भारत में तटीय सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे:

- **सहयोगात्मक व्यवस्था का अभाव-** नौसेना, तटरक्षक, समुद्री (Marine) पुलिस जैसी कई एजेंसियाँ और अन्य प्राधिकरण तटीय सुरक्षा के साथ कार्यरत हैं। परिणामस्वरूप, इनके मध्य जानकारी साझा करना और समन्वय एक बड़ी समस्या है।
- **प्राधिकरणों की बहुलता-** नौकरशाही तनाव के परिणामस्वरूप संघ, राज्यों के साथ-साथ निजी अभिकर्ताओं जैसे अनेक प्राधिकरण मौजूद हैं। इससे निर्णय लेने में विलंब होता है, जबकि सुरक्षा ख़तरों पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।
- **प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव-** तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने *कोस्टल रडार सिस्टम, सेंसर* और *इलेक्ट्रानिक* निगरानी प्रणाली स्थापित की है। फिर भी, हम तटीय सुरक्षा के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।
- **आवश्यक अवसंरचना की कमी -** कार्यबल की कमी और *इंटरसेप्टर बोट्स* की कमी के कारण मरीन पुलिस स्टेशन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
- **आतंकवाद निरोध हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण का अभाव** - हालांकि मरीन पुलिस को समग्र तटीय सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है। लेकिन, वे आतंकवाद निरोध हेतु उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं।
- मौजूदा नौसेना परिसंपत्तियों हेतु रखरखाव और संचालन तंत्र का अभाव।

उठाये गए कदम

कोस्टल सिक्यूरिटी स्कीम **(CSS)**

- समुद्री पुलिस बल के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक व्यापक कोस्टल सिक्यूरिटी स्कीम (CSS) लागू की गयी है।

CSS के बारे में

- CSS तटीय क्षेत्रों की गश्त और निगरानी को मजबूत करने का प्रयास करती है।

गश्त:

- इस योजना के तहत, तटीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में 183 तटीय पुलिस स्टेशनों (CPSs) को संचालित किया गया हैं। ये CPSs तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में संचालित किए गए हैं।
- तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में तटीय चेक पोस्ट की स्थापना की गई है।
- 280 चार पहिया और 546 दोपहिया वाहनों के साथ-साथ, सभी तटीय क्षेत्रों में 204 नौकाओं और जहाजों को तैनात किया गया है।

VISION IAS

निगरानी:

- सम्पूर्ण तटीय सीमा को, बिना किसी अन्तराल के, कवर करने के लिए, 74 स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) रिसीवर्स की एक श्रृंखला और 46 ओवरलैपिंग तटवर्ती रडारों की एक श्रृंखला के रूप में आधुनिक तकनीकी उपायों को लागू किया गया है।
- **नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (NC3I)** AIS और रडार श्रृंखला सहित कई तकनीकी स्रोतों से प्राप्त हमारे सभी समुद्री जहाजों, डाउ (dhows), मछली पकड़ने की नावों और हमारे तट के पास संचालित अन्य सभी जहाजों के बारे में आंकड़ों का संग्रहण करता है।
- इन इनपुट का गुड़गांव स्थित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) में मिलान और विश्लेषण किया जाता है, जो तटीय सुरक्षा के लिए संकलित इस कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर (Common Operating Picture) को भारत के तटीय क्षेत्र में फैले नौसेना और तटरक्षक बल के सभी 51 केन्दों को भेजता है।
- तटीय सुरक्षा के लिए **कमांड और कंट्रोल हब** के रूप में भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में **संयुक्त संचालन केंद्र** स्थापित किए गए हैं।
- अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए उत्तर भारत में नदी के खुले मैदानों की भी निगरानी कर रहे हैं।
- NCSMCS समुद्र से खतरे के संबंध में समय-समय पर सभी हितधारकों के साथ तटीय सुरक्षा की समीक्षा करता है।
- उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं:
    - एकल केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ सभी मछुआरों को पहचान पत्र (ID कार्ड) जारी करना।
    - जहाज की पहचान और ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारे तट से दूर संचालित, 2 लाख से अधिक मछली पकड़ने वाले जहाजों का पंजीकरण और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को उपयुक्त उपकरणों से लैस करना।

सेंट्रल मरीन पुलिस फ़ोर्स (CMPF)

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने समुद्र, समुद्र तट, बंदरगाहों और महत्वपूर्ण संस्थानों आदि की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय समुद्री पुलिस बल *(सेंट्रल मरीन पुलिस फ़ोर्स*: CMPF) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी हैं। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे:

- CMPF तट से 12 समुद्री मील तक जल की निगरानी और तटीय जल में किए गए अपराधों की जांच कर सकती है।
- *मरीन पुलिसिंग* के लिए सामान्य पुलिस स्टेशन से भिन्न **उपकरणों की आवश्यकता** होती है (उदाहरण के लिए नाव) तथा *कोस्ट गार्ड* (तटरक्षक) एवं नौसेना के साथ बेहतर समन्वय की भी आवश्यक है।

हालांकि, CMPF का सृजन अन्य विभिन्न मुद्दों को भी उत्पन्न करता है, जैसे कि:

- राज्य-द्वारा नियंत्रित समुद्री पुलिस के स्थान पर केंद्रीय समुद्री दल बनाने की योजना में संरचनात्मक बाधाओं को नजरंदाज किया जा रहा है। उदाहरण के लिए *लोकल इंटेलिजेंस* और क्षेत्रीय भाषा कौशल की कमी आदि जिनमें नई एजेंसी के कुशल होने की संभावना बहुत कम है।
- CMPF के सृजन से अनेक प्रकार के नियंत्रण की समस्या आ सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस और CMPF के बीच समन्वय का अभाव और टकराव जैसी समस्याएँ भी पैदा हो सकती हैं।

अन्य कदम

- नौसेना और *कोस्ट गार्ड* के द्वारा सभी तटीय राज्यों की मरीन पुलिस को समय-समय पर समुद्री प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- भारतीय नौसेना के लिए ***सागर प्रहरी बल*** नामक विशेष बल का गठन करना आवश्यक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के सैन्य-आधार के साथ-साथ आसपास के असुरक्षित बिंदु और क्षेत्रों की सुरक्षा करना है ।
- ***कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क* परियोजना-** इसका उद्देश्य पूरे समुद्र तटीय क्षेत्र को निरंतर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रदान करना तथा अनजाने जहाजों की घुसपैठ को रोकना है।

VISION IAS

आगे की राह

- ***इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) को सुदृढ़ करना*** - मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद, ICG को समुद्री सीमा में सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही, उसे समुद्री पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले इलाके भी सौंपे गए हैं। इस प्रकार, ICG के पास न केवल जरूरी अधिदेश है, बल्कि तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी को सँभालने की क्षमता भी है। इसे अब सिर्फ जरूरी परिसंपत्तियों और कार्यबल को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे तटीय क्षेत्रों और उथले जल वाले क्षेत्रों की गश्त की जा सके।
- ***गृह मामलों पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर विचार -जैसे कि***
    - ***कोस्टल सिक्यूरिटी स्कीम (CSS) के फेज-II*** का विस्तार किया जाना चाहिए और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
    - एक ***स्पष्ट कमान श्रृंखला*** होनी चाहिए और तटीय सुरक्षा के संदर्भ में मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOP) को परिभाषित किया जाना चाहिए।
    - ***आइलैंड इनफार्मेशन सिस्टम जियो-पोर्टल और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ़ आइलैंड योजना*** को त्वरित रूप से लागू किया जाना चाहिये जिससे जोखिम वाले द्वीपों की सुरक्षा और विकास हो सके।

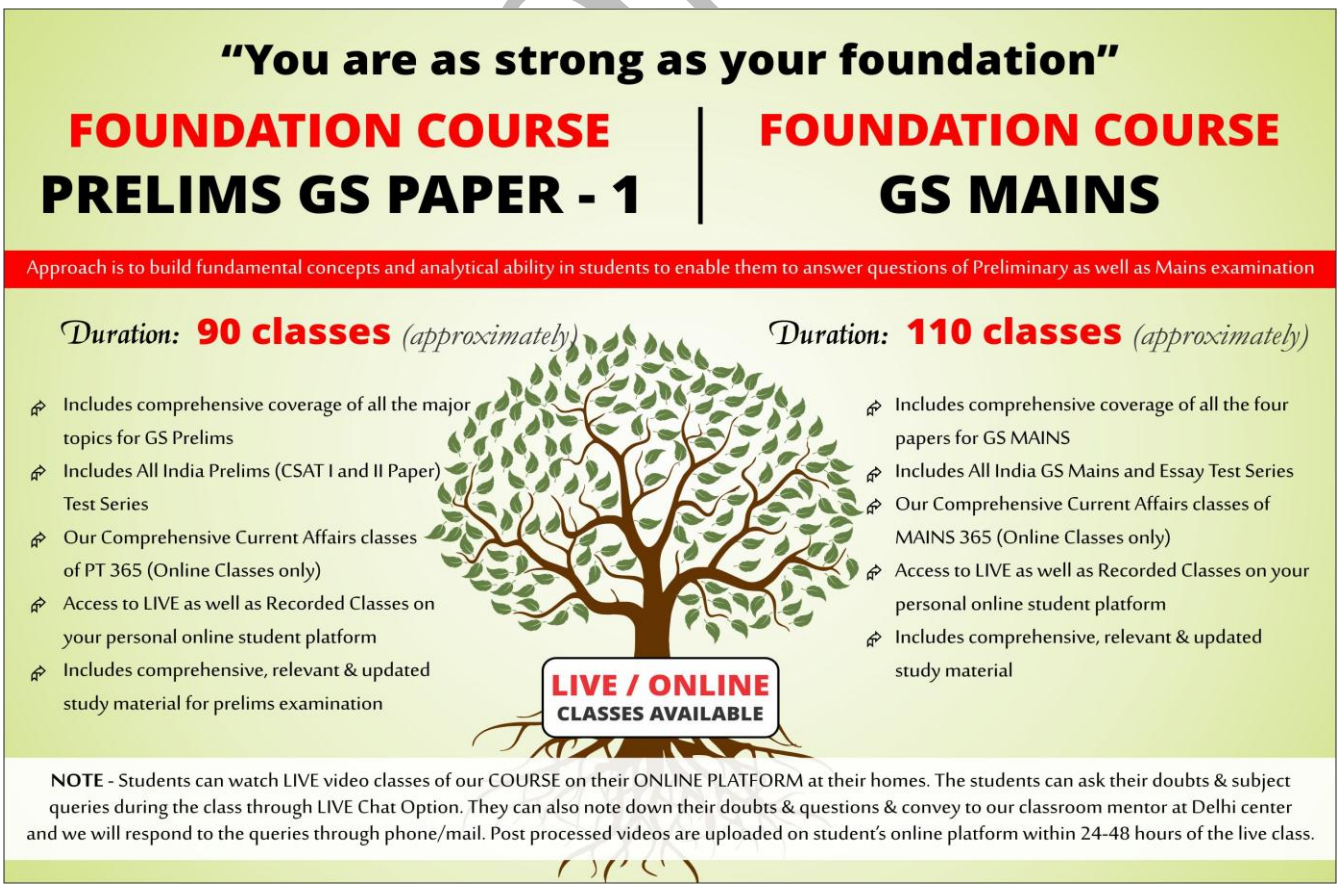

6. मनी लॉन्डरिंग, संगठित अपराध एवं आतंकवाद

(MONEY-LAUNDERING, ORGANIZED CRIME AND TERRORISM)

6.1. मनी लॉन्डरिंग

(Money Laundering)

मनी लॉन्डरिंग अवैध रूप से अर्जित धन को वैध धन या परिसंपत्तियों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह संगठित अपराध को फलने फूलने में मदद करता है। इससे किसी भी देश के समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत ने इस खतरे को रोकने के लिए पिछले कई वर्षों में अनेक कानूनों का निर्माण किया है जैसे :

- *दि कंजरवेशन ऑफ़ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ़ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट*, 1974 (COFEPOSA)
- *स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट*, 1976 (SAFEMA)
- *फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट*, 1973 (FERA)
- *प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,* 2002 (PMLA)

FATF की महत्वपूर्ण सिफारिशें

- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों की पहचान कर उन्हें समाप्त करने हेतु उपयुक्त कारवाई की जाए।
- सभी देशों में मनी लॉन्ड्रिंग का सामना करने हेतु एक नीति होनी चाहिए और ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन लिए जिम्मेदार प्राधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- वियना कन्वेंशन और पालेर्मो कन्वेंशन के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग को आपराधिक गतिविधि घोषित किया जाना चाहिए।
- उपयुक्त अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित आय तथा संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया जाये।
- यह सुनिश्चित हो कि वित्तीय संस्थाओं के सीक्रेसी लॉ इन उपायों के कार्यान्वयन में बाधा न उत्पन्न करे।
- वित्तीय संस्थानों को बेनामी खातों के संचालन को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिया जाये ।
- नई प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान की जाये।
- FATF द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर उपयुक्त मानक लागू किये जाये।
- मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान की जाए।
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के संबंध में प्रत्यर्पण (*एक्स्ट्राडिशन*) अनुरोध को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जाए ।

मनी लॉन्ड्रिंग को एक अलग आपराधिक श्रेणी में रखना

PMLA 2002 ,मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना तथा मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्रदान करना है। हालांकि भारत से मनी लॉन्ड्रिंग,की रोकथाम में यह कानून प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है। इस कानून के प्रावधानों के अंतर्गत इसके15 वर्षों के इतिहास में सजा केवल एक ही बार दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के उपायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने मनी लॉन्डरिंग को एक अलग आपराधिक श्रेणी में रखने का प्रस्ताव दिया है।

इसके साथ, अन्य एजेंसियों द्वारा छानबीन किये जाने के बावजूद, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों की जांच की जाएगी। इससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी ।

VISION IAS

भारत में वर्तमान व्यवस्था के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का अंतिम फैसला प्राइमरी एजेंसियों द्वारा की गयी *प्रेडीकेट ऑफेंस* (बड़े अपराध के साथ जुड़े अपेक्षाकृतगौण अपराध) की जांच और अभियोग पर निर्भर करता है। इन परिस्थितियों में, मनी लॉन्डरिंग मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने में बाधा उत्पन्न होती हैं।

यह दुनिया भर में भारत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ किये जाने वाले प्रयासों को अन्तराष्ट्रीय परम्पराओं के अनुरूप आकार देने में सहायता करेगा। यूनाइटेड किंगडम जैसे कई देशों ने इसे एक पृथक अपराध के रूप में परिभाषित किया है।

हालाँकि, इसके लिए सरकार को PMLA में कई संशोधन करने होंगे, जिसमें "*प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम*" की वर्तमान परिभाषा भी शामिल है। ये प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम वर्तमान अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित प्रेडीकेट ऑफेंस पर निर्भर है।

6.2. काले धन पर अंकुश लगाने हेतु SIT द्वारा पी-नोट्स आंकड़ों की छानबीन

(SIT Combing P-notes Date to Curb Black Money)

सुर्ख़ियों में क्यों?

काले धन पर गठित विशेष जांच दल (SIT) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के माध्यम से निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सम्पूर्ण अंतरण मार्ग (transfer trail) तथा लाभ प्राप्तकर्ता स्वामियों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।

पी-नोट्स क्या हैं?

- पी-नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स, ओवरसीज डिरिवटिव उपकरण हैं जो भारतीय स्टॉक को अपनी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रूप में रखते हैं।
- ये विदेशी निवेशकों को पंजीकरण के बिना भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को खरीदने की अनुमति देते हैं।
- पी-नोट्स ने FIIs के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। पंजीकरण की औपचारिकताओं से बचने के लिए और गुमनाम रहने के लिए निवेशकों ने इस मार्ग के माध्यम से शेयरों में निवेश शुरू किया।

सरकार की चिंतायें

- पी-नोट्स के पीछे चिंता का प्राथमिक कारण यह है कि इन साधनों की अनाम प्रकृति की वजह से ये निवेशक भारतीय नियामकों की पहुँच से बाहर हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, एक राय यह है कि ये अमीर भारतीयों के साथ मनी लॉन्डरिंग में इस्तेमाल किये जा सकते हैं, जैसे कि कंपनियों के प्रमोटरों द्वारा इसका प्रयोग बेहिसाब धन को वापस लाने और अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा है।

आंकड़ों की छानबीन महत्वपूर्ण क्यों है?

- सरकार द्वारा गठित निकाय ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों की मांग की है, जिसमें घरेलू इक्विटी और ऋण बाजार में पी-नोट्स के माध्यम से काले धन का निवेश करने वाले निवेशकों द्वारा प्रयुक्त अंतरण मार्ग तथा सभी लाभ प्राप्तकर्ताओं की जानकारी सम्मिलित है।
- SIT को इन व्यक्तियों तथा पनामा कानूनी फर्म मोसैक फोंसेक्का (Mossack Fonseca) द्वारा संचालित कपंनियों के बीच संबंध होने का संदेह है।
- भारत में निवेश होने वाले आउटस्टैंडिंग ODIs (ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या अपतटीय व्युत्पन्न उपकरण) का एक बड़ा हिस्सा अर्थात् करीब 31.31 प्रतिशत अति अल्प जनसंख्या वाले केमैन द्वीप से आता है।
- वर्तमान समय में, देश में करीब 2.1 लाख करोड़ रुपये की पी-नोट्स परिसंपत्तियां हैं। यह कुल FPI परिसंपत्तियों का 8.4 प्रतिशत है। वर्ष 2007 में यह लगभग 50% था, जो अब घट कर 8.4 प्रतिशत रह गया है।

VISION IAS

6.3. भारत में हवाला लेन-देन और आतंकवाद

(Hawala Transactions and Militancy in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंसर्जेंसी सेल ने जानकारी दी है कि कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए हवाला के माध्यम से धन का लेनदेन किया जा रहा है। सेल के अनुसार 1990 के दशक से विद्रोही समूहों को हवाला के माध्यम से धन प्राप्त हो रहा है।

पृष्ठभूमि:

आतंकवादी गतिविधियों के लिए **वित्तपोषण के स्रोत** निम्नलिखित हैं:

- छोटे और बड़े व्यवसायियों के द्वारा छोटे **हवाला लेनदेन।**
- सूत्रों के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकवादी संगठनो को 35% हवाला राशि प्रत्यक्ष रूप से तथा 40% हवाला राशि विदेशी धार्मिक एवं धर्मार्थ संगठनों के माध्यम से पहुँचती है।
- ऐसा माना जाता है कि 2008 से **नियन्त्रण रेखा (LoC) के पार** जो व्यापार प्रारम्भ हुआ है, वह अब मनी लांडरिंग करने वालों के हाथों में आ चुका है।
- **जाली करेंसी का प्रसार**

हवाला व्यवस्था क्या है?

- "हवाला" शब्द का अर्थ "विश्वास" होता है।
- यह एक **वैकल्पिक या समानांतर प्रेषण व्यवस्था** है जो बैंकों के चक्र और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रह कर कार्य करती है। इसे **"भूमिगत बैंकिंग"**के नाम से भी जाना जाता है।
- हवाला,भारत की एक प्राचीन धन हस्तांतरण व्यवस्था है। वर्तमान में हवाला व्यवस्था का सम्पूर्ण विश्व में उपयोग किया जा रहा है।
- हवाला लेनदेन में किसी भी प्रकार की नकदी का आदान-प्रदान नहीं होता है। हवाला व्यवस्था हवालादार या हवाला संचालकों के एक तन्त्र के माध्यम से संचालित होती है।
- धन हस्तांतरण का इच्छुक व्यक्ति हवाला संचालक के स्रोत स्थान पर उससे सम्पर्क करता है। हवाला संचालक स्रोत स्थान पर धन हस्तांतरण के इच्छुक व्यक्ति से धन प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात वह धन स्थानान्तरण करने वाले गन्तव्य स्थान या देश में अपने समकक्ष अथवा अन्य हवाला संचालक से सम्पर्क करता है।
- **काला धन प्रेषण, आतंकवाद, मादक दवाओं की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु धन जुटाने के लिए हवाला व्यवस्था का विश्व भर में व्यापक उपयोग किया जा रहा है।**

भारत में हवाला की स्थिति:

- हवाला को **भारत में अवैध** घोषित किया गया है, क्योंकि यह मनी लांडरिंग का एक रूप है, तथा इसका उपयोग अज्ञात रूप से संपदा हस्तान्तरण के लिए किया जा सकता है।
- हवाला लेनदेन बैंको एवं सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नहीं होता है अतः RBI द्वारा इसे विनियमित नहीं किया जा सकता है।
- **भारत में FEMA (*फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट*) 2000 और PMLA (*प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांडरिंग एक्ट*) 2002 दो प्रमुख कानून हैं, जो इस प्रकार के किसी भी लेनदेन को अवैध घोषित करते हैं।**

VISION IAS

6.4. मानव तस्करी

(Human Trafficking)

दुनिया भर में मानव तस्करी को ड्रग्स और हथियारों के बाद तीसरे सबसे लाभप्रद अवैध व्यापार के रूप में चिह्नित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एंड क्राइम कार्यालय के अनुसार दक्षिण एशिया में, विशेषकर मानव तस्करी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और यह पूर्वी एशिया के बाद मानव तस्करी का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2016 में भारत में लगभग 20,000 महिलाएं और बच्चे मानव तस्करी के शिकार हुए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

तस्करी की परिभाषा

- 2003 का UN प्रोटोकॉल मानव तस्करी को रोकने,उसका शमन करने और दंड देने का प्रावधान करता है । यह प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन को मजबूती प्रदान करता है साथ ही मनुष्यों की तस्करी को परिभाषित करता है।
- इसमें देह व्यापार हेतु तस्करी और बलपूर्वक कराये जाने वाले श्रम शामिल हैं। भारत इस अभिसमय (कन्वेंशन) का हस्ताक्षरकर्ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता हैं; हालांकि यह इस नियम को परिभाषित नहीं करता है।
- 2013 का आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को प्रतिस्थापित करता हैं जो शोषण के लिए की जाने वाली तस्करी से संबंधित हैं। हालांकि, इसमें बलपूर्वक श्रम शामिल नहीं है और न ही अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम 1956 (1986 में संशोधन के रूप में) इसमें शामिल है।

वृद्धि के कारण

- सरकारी और नागरिक समाज समूहों द्वारा निरंतर अभियान के माध्यम से तस्करी से संबंधित अपराधों के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ी है। जिस कारण पीड़ितसामने आ रहे हैं और इनकी रिपोर्टिंग भी बढ़ रही है।
- **गरीबी -** अच्छी नौकरी का लालच देकर तस्करी के रूप में हजारों गरीब लोगों को भारत के कस्बो और शहरों में लाया जाता है।
- **छिद्रिल (porous) अंतरराष्ट्रीय सीमाएं -** जिसके कारण, विशेष रूप से सीमावर्ती राज्य बांग्लादेश और नेपाल मानव तस्करी केंद्र बन गए हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग -** हाल ही में, CBI के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में जांच हेतु एक शिकायत दर्ज की गई है जो विभिन्न राज्यों में विस्तृत रूप से फैले वृहद् एव अति जटिल ऑनलाइन देह व्यापार तस्करी नेटवर्क से सम्बंधित है जिसमे तस्कर एवं बिचौलिए फेसबुक और एन्क्रिप्ट की गयी मैसेजिंग सेवाओं (जिसमे व्हाट्सएप भी शामिल है) सहित अन्य प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापार करते है।

सरकार ने इस मुद्दे से निपटने हेतु विभिन्न कानूनों को लागू किया था किन्तु मौजूदा प्रणाली में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं -

- अंतर्देशीय पीड़ित दोहरी यातनाएं सहते है। यदि पीड़ित और तस्कर को भारत में गिरफ्तार किया गया है तो उन पर फोरेनर्स एक्ट 1946 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है । अधिनियम के अनुसार यदि अपराधी एक विदेशी है तो उसे इस अधिनियम के तहत सजा दी जानी चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति को भारत में अपनी गैरकानूनी उपस्थिति हेतु अपराधी माना जाता है।
- **बेहतर कानून का ना होना:** भारतीय कानून,तस्करों और उनके सहयोगियों को लक्षित नहीं करता है या उन्हें पर्याप्त रूप से दंडित नहीं करता है । दंड संबंधी धाराओं को न्याय दिलाने हेतु पर्याप्त रूप से उपयोग में नहीं लाया जाता है।
- **प्रावधान के बारे में जागरूकता का अभाव:** तस्कर को भारतीय दंड संहिता की धारा 366B में (जिसमें कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र की महिला को ले जाना दंडनीय अपराध है)पुलिस की जागरूकता का अभाव शायद ही कभी अमल में लाया जाता है।
- **पीड़ितों के पते के सत्यापन में देरी:** इसमें दो या तीन साल तक का समय लग जाता है। इसका कारण बांग्लादेश सरकार का असहयोगपूर्ण रवैया है जो पीड़ितों के पाटों का प्रमाणीकरण देरी से करती है । साथ ही शेल्टर होम में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा भी कई बार गलत पता बताया जाता है।

सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- मानव तस्करी से मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एंटी तस्करी नोडल सेल की स्थापना की गई है जो राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए प्रयासों में समन्वय कर एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय उज्ज्वला कार्यक्रम के जरिए महिलाओं और बच्चों के लिए NGO द्वारा संचालित आश्रय और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराता है जो विशेष रूप से महिला पीड़ितों के लिए है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं के लिए स्वधारा कार्यक्रम भी है ।
- तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन आदि के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- सरकार ने हाल ही में एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो "मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2016" से सम्बंधित है

मानव तस्करी हेतु (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2016 का मसौदा

इसका उद्देश्य मौजूदा तस्करी विरोधी कानूनों को एकजुट करना है साथ ही इसकी परिभाषा को व्यापक कर श्रम तस्करी को भी सम्मिलित करता है। जबकि 1956 के अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम में केवल देह व्यापार उल्लेखित था। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं:

- विधेयक पीड़ित के पक्ष में है और 'तस्कर ' और 'तस्करी से पीड़ित ' के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।
- इसका उद्देश्य अन्य अपराधों / प्रावधानों को शामिल करना है,जो किसी अन्य कानून में शामिल न हो और जो तस्करी के उद्देश्य से किये जाते हो, जैसे :
    - पीड़ित और गवाह की पहचान को उजागर करने हेतु दंड का प्रावधान
    - तस्करी के उद्देश्य के लिए मादक द्रव्यों के सेवन या नशीले पदार्थ या शराब का इस्तेमाल।
    - शोषण के उद्देश्य से रासायनिक पदार्थ या हार्मोन का उपयोग।
- इस अधिनियम के कार्यान्वन के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर 'प्लेसमेंट एजेंसियों' को भी इसके दायरे में लाया गया है।
- इसका उद्देश्य जिला, राज्य और मध्य स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र बनाना है।
- इसमें अपराधों की जांच के लिए एक नामित एजेंसी भी शामिल है।
- यह अल्पावधि और दीर्घकालिक पुनर्वास सहायता के लिए संरक्षण आवास और विशेष आवास प्रदान करता है।
- यह प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों की स्थापना और विशेष अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- पीड़ित की बकाया मजदूरी की वसूली और साथ ही अन्य मौद्रिक घाटे की वसूली भी इसमें प्रस्तावित हैं।
- प्रस्तावित अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए एक एंटी ट्रैफिकिंग फंड तैयार किया जाएगा।

हालांकि अभी भी कुछ मामलो पर ध्यान देना आवश्यक है

- पुनर्वास के तरीके क्या होंगे और जिम्मेदार अधिकारी कौन होंगे।
- बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों के पीड़ितों का प्रत्यावर्तन।
- तस्करी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तस्करी से सम्बंधित मुद्दों की जाँच पड़ताल हेतु संगठित अपराध जांच एजेंसी की स्थापना करना। ड्राफ्ट में एक विशेष जांच एजेंसी हेतु बात की गयी है, लेकिन इसकी संरचना, शक्तियां और कार्य स्पष्ट नहीं है।

आगे की राह

- सीमा के दोनों तरफ से विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहज समन्वय।
- क्रॉस बॉर्डर ट्रैफ़िकिंग के मुद्दे पर BSF द्वारा सवेंदनशीलता अपनाना।
- मानव तस्करी का मुद्दा एक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसमें रोजगार के नाम पर गरीबों को लुभाकर उन्हें जाल में फंसाया जाता है।

VISION IAS

7. सुरक्षा बल एवं एजेंसियां

(SECURITY FORCES AND AGENCIES)

7.1 सैन्य सुधार

(Military Reforms)

7.1.1. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड

(Integrated Theatre Command)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त **लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकाटकर** (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है।

अनुशंसाएँ

इस समिति ने 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन करने की अनुशंसा की है:

- चीन सीमा के लिए नॉर्थ कमांड (उत्तरी कमान),
- पाकिस्तान सीमा के लिए वेस्टर्न कमांड (पश्चिमी कमान) और
- समुद्री सीमाओं के लिए साउथ कमांड (दक्षिणी कमान)

नॉर्थ कमांड और वेस्टर्न कमांड के तहत भू-सीमाएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सेना की विशेषज्ञता को देखते हुए इसका नियंत्रण आर्मी जनरल के पास होना चाहिए। साउथ कमांड पर नेवी एडमिरल (नौ-सेनाध्यक्ष) का नियंत्रण होना चाहिए।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में, हमारे पास ***सर्विस-स्पेसिफिक कमांड्स*** (service-specific commands) हैं अर्थात वायु सेना और नौसेना के पास पुरे देश में अपने स्वयं के कमांड हैं।
- **सर्विस कमांड्स के बीच संबद्धता (Jointness)** : यद्यपि तीनो सेवाओं और उनके संबंधित क्षेत्रों में उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान में प्रगति हो रही है, परन्तु युद्ध के समय वे एक साथ कार्य करती हैं तथा अपने ऑपरेशन में समन्वय स्थापित करती हैं।
- **युद्ध के दौरान:** सेवा मुख्यालयों (Service Headquarters) के स्तर पर ऑपरेशन्स में समन्वय की अपेक्षा की जाती है। यह समन्वय चीफ ऑफ़ स्टाफ कमेटी (COSC) द्वारा किया जाता है। इस COSC के अध्यक्ष पद पर अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

- भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड हैं।
- सेना के प्रत्येक अंग के पास 7 कमांड है [उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और सेना प्रशिक्षण कमान (Army Training Command: ARTRAC)] है।
- वायु सेना के पास [पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्य, प्रशिक्षण और रखरखाव (Training and Maintenance)] है।
- नौसेना के पास 3 कमांड हैं [पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी] ।
- प्रत्येक कमांड का नेतृत्व 4-स्टार रैंक (4-star rank) के सेना अधिकारी करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **2 *ट्राई सर्विस कमांड* [सामरिक बल कमान (*स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड* :SFC)] तथा अंडमान एंड निकोबार कमांड (ANC)]** हैं। इनकी अध्यक्षता तीनो सेवाओं के अधिकारियों द्वारा रोटेशन (नियमित आवर्तन) से की जाती हैं।
- ANC एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है।
- दूसरी ट्राई सर्विस कमांड्स, SFC देश की परमाणु परिसंपत्तियों के वितरण और परिचालन संबंधी नियंत्रण (operational control) की देखरेख करती है। चूंकि इसकी कोई विशिष्ट भौगोलिक उत्तरदायित्व और एक निर्दिष्ट भूमिका नहीं है, इसीलिए यह एक इन्टीग्रेटेड फंक्शनल कमांड है, थिएटर कमांड नहीं।

VISION IAS

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है ?

- *इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड* से आशय तीनों सेवाओं की एकीकृत कमान से है। *ज्योग्राफिकल थिएटर्स* (जो सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय है) के लिए *इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड* की परिकल्पना की गई है। यह एकीकृत कमान एक ही कमांडर के नियंत्रणाधीन होती है।
- **कम्पोजिट एंड कोहेसिव (composite and cohesive) :** *ऑपरेशनल प्लान्स* (operational plans) के क्रियान्वयन के लिए तीनों सेवाओं को एक साथ विभिन्न स्तरों पर एक कमांडर के अधीन एकीकृत किया गया है।
- **दुश्मन के खिलाफ प्रभावकारिता और दक्षता (Efficacy and Efficiency against the enemy) :** *इंटीग्रेटेड थियेटर कमांडर* किसी एक सेवा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। *कोहेसिव फाइटिंग फ़ोर्स* के गठन हेतु कमांडर अपने बलों को प्रशिक्षित एवं सुसज्जित करने तथा अपने आदेश का पालन करवाने हेतु स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। ऑपरेशन के लिए आवश्यक रसद संसाधनों (logistic resources) को थिएटर कमांडर के नियंत्रण में ही रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के समय उन्हें किसी भी चीज की कमी का सामना न करना पड़े।

पक्ष में तर्क:

- संसाधनों की द्विरावृत्ति(duplication), एवं दुरूपयोग को रोकता है। साथ ही उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है।
- सभी सैन्य संसाधन एक कमांडर की निगरानी में रखे जा सकते हैं। इसका परिणाम युद्ध क्षेत्र में दक्षता में वृद्धि के रूप में दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यू.एस. और चीन जैसे देशों में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हैं। दरअसल, चीन के साथ संलग्न भारतीय सीमा एक ही कमांड के अंतर्गत है।
- COSC, युद्ध के दौरान, आम सहमति के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे संयुक्त स्तर पर निर्णय लेने में विलंब हो सकता है तथा इस प्रकार ऑपरेशन का क्रियान्वयन करना कठिन हो सकता है।

विपक्ष में तर्क:

- भारत भौगोलिक दृष्टि से इतना विशाल देश नहीं है कि इसे विभिन्न थिएटर्स (युद्ध-क्षेत्रों) में विभाजित किया जा सके। यहाँ एक थिएटर से संसाधनों को आसानी से दूसरे थिएटर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- भारत के पास सैन्य अवसंरचना की कमी है; उदाहरण के लिए, 45 *फाइटर स्क्वाड्रॉन्स* में से वर्तमान में केवल 34 ही मौजूद हैं। चूंकि देश पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा है अतः इसे और विभक्त करना अव्यवहार्य होगा।
- US की सेना विश्व के अनेक देशों में विद्यमान हैं अतः उसे अपने संसाधनों को एक थियेटर से दूसरे पर ले जाना कठिन है जबकि भारत की परिस्थितियों में दूरी और समय की कोई समस्या नहीं है।
- अपेक्षाकृत निम्न सेवाओं में यह भय है कि इस तरह के परिवर्तन से उनके महत्व और सेवा प्रमुख की शक्ति कम हो जाएगी।

आगे की राह:

- *इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड* के गठन हेतु प्रारंभिक कदम के रूप में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ या स्थायी अध्यक्ष, COSC की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- अन्य *फंक्शनल कमांड* जैसे साइबर कमांड, एयरोस्पेस कमांड और स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की मांग हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी को भी स्वीकृति नहीं प्रदान की है।
- *इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड* के गठन हेतु दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। इसके लिए चरणबद्ध सुधार की आवश्यकता है।
- तीनों सेवाओं में अधिक से अधिक सम्बद्धता (jointness) की आवश्यकता है। इस संबंध में जल्दबाज़ी में *इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड* का गठन करना उपयुक्त नहीं होगा।

7.1.2. 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' की आवश्यकता

(Need of A Chief of Defence Staff)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में एक वर्ष में एक एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार पद गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2000 में, कारगिल समीक्षा समिति और एक मंत्रिमंडलीय समूह दोनों ने तीनों सशस्त्र सेनाओं में समन्वय बढ़ाने हेतु एक रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS) के पद के गठन की अनुशंसा की थी।
- 2011 में, उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधारों के लिए नरेश चंद्रा ने भी यही अनुशंसा की।

निहित मुद्दा

वर्तमान संरचना के तहत, प्रत्येक सेना प्रमुख द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से रक्षा मंत्रालय को सलाह देने के कारण रक्षा मंत्रालय (MoD) खंडित रूप से सैन्य सलाह प्राप्त करता है।

स्टाफ प्रमुखों की समिति (Chief of Staff Committee)

- इसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुख सम्मिलित हैं।
- इसकी अध्यक्षता तीनों सेना प्रमुखों में से वरिष्ठतम प्रमुख द्वारा रोटेशन के आधार पर तथा सेवानिवृत्त होने तक की जाती हैं।
- यह एक मंच है जहां तीनों सेना प्रमुख, महत्वपूर्ण सैन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

रक्षा स्टाफ प्रमुख पद की विशेषताएं

- **2000 में गठित मंत्रिमंडलीय समूह** ने CDS से संबंधित निम्नलिखित अनुशंसा की -
  - यह सरकार का एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार होने के कार्यभार के साथ एक **फाइव स्टार रैंक वाला सैन्य अधिकारी** होगा।
  - यह स्टाफ प्रमुखों की समिति (चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी : CoSC) की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- **नरेश चंद्रा समिति (2011)** ने एक फोर स्टार रैंक वाले CDS की अनुशंसा की जो CoSC के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- यह अनुशंसा की गई थी कि CDS देश की निम्नलिखित त्रि-सेवा (tri-service) कमांड का प्रभारी भी होगा -
  - सामरिक बल कमांड (SFC)- भारत की परमाणु शक्तियों का कार्य देखने के लिए
  - अंडमान व निकोबार कमांड (ANC)

सशस्त्र बलों में समन्वय को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक अन्य सुधार

- संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु एक संचालन इकाई के तहत **वायु, भूमि और समुद्री परिसंपत्तियों को एकीकृत करने के लिए युद्धक्षेत्र कमांड (theatre commands) की स्थापना** की आवश्यकता है।
- भारत के पास **विशेष क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र, में किये जाने वाले ऑपरेशन के लिए विशेषीकृत कमांड** होने चाहिए।
- अनुसंधान संस्थानों जैसे DRDO को सशस्त्र बलों एवं रक्षा मंत्रालय के साथ सहक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता है

महत्व

- यह परियोजनाओं के वर्तमान त्रिकोणीय सेवा के दृष्टिकोण और संसाधन साझाकरण में एकीकरण द्वारा सैन्य कमांड की संयुक्तता(jointness) में सुधार करेगा।
- यह नौकरशाही के हस्तक्षेप से समय और लागत में होने वाली अत्यधिक वृद्धि को समाप्त कर रक्षा अधिग्रहण के मामलों में सशस्त्र बलों की क्षमता में भी सुधार करेगा।

VISION IAS

चुनौतियां

- *फाइव स्टार रैंकिंग* वाला जनरल, रक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में **असैनिक नौकरशाही की उपेक्षा** कर सकता है।
- यह सुस्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बिना मात्र एक औपचारिक पद बन सकता है।

आगे की राह

- भारत सरकार को एक एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार के लिए दृढ़तापूर्वक कार्य करना चाहिए जो कि नौकरशाही संबंधी परेशानियों से मुक्त हो तथा सशस्त्र बलों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सहायता करे।

7.2. अर्द्धसैनिक बलों से सम्बंधित मुद्दे

(Issues of Paramilitary Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से BSF कांस्टेबल द्वारा LoC सीमा तैनाती पर निम्न और खराब गुणवत्ता के भोजन का आरोप लगाए जाने के बाद उठाए गए कदमों पर प्रश्न किया।

पृष्ठभूमि

- अर्द्धसैनिक बलों द्वारा केंद्र सरकार पर सेना (military) की तुलना में उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया जाता है। उदाहरण के लिए
  - जवान द्वारा एक वीडियो में सैन्य कर्मियों की तुलना में वेतन और भत्तों में असमानता का आरोप लगाया गया।
  - अर्द्धसैनिक बलों में राशन के लीकेज का एक अन्य आरोप लगाया गया।
  - अर्द्धसैनिक बल का एक जवान **सहायक/*बडी सिस्टम*** (buddy system) के विरुद्ध था जिसमें सैनिकों को वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्य करने हेतु मजबूर किया जाता है।
  - वे समस्याओं के खिलाफ शिकायत करने पर कोर्ट मार्शल की कार्यवाही द्वारा उत्पीड़न का भी आरोप लगाते हैं।
- **पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो** (Bureau of Police Research and Development) (2005) के एक अध्ययन में अर्द्धसैनिक बलों के बीच तनाव संबंधी गंभीर समस्याएं पायी गईं।
- **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 2009 के बाद से अर्द्धसैनिक बलों के 400 से अधिक जवान मारे गए जो की सेना में इस तरह से होने वाली मृत्यु की तुलना में कहीं अधिक है।

निहित मुद्दे

- अर्द्धसैनिक बलों के लिए समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली (Dedicated grievance redressal system) का अभाव है।
- सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत निवारण को अवज्ञा के कृत्य के रूप में माना जाता है।
- इससे अन्य सैनिकों की मनःस्थिति प्रभावित होने की आशंका भी रहती है। इस प्रकार भारत की रक्षा तैयारियाँ प्रभावित होती हैं।
- रक्षा नौकरशाही, अर्द्धसैनिक बलों की मूल समस्याओं के समाधान में विलम्ब उत्पन्न करती है।

सेना और अर्द्धसैनिक बलों के बीच अंतर

- अर्द्धसैनिक बल पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं जबकि, सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन है।
- आदर्श स्थिति में, सेना अधिकांशत: सीमा युद्ध के लिए और कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं में तैनात की जाती है।
- अर्द्धसैनिक बलों को आंतरिक अशांति, उग्रवाद, सीमा सुरक्षा, चुनाव, VIP सुरक्षा, आतंकवाद आदि के लिए तैनात किया जाता हैं।
- अर्द्धसैनिक बलों के कार्य के घंटे सेना के जवानों की तुलना में अधिक लम्बे और अनम्य (कठोर) होते हैं।

VISION IAS

असंतोष के कारण

- दूसरी ग्रुप 'ए' सेवाओं के समान एक संगठित सेवा दर्जा प्राप्त किये बिना वे पदोन्नति के लिए आवश्यक गैर कार्यात्मक उन्नयन (*नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन*: NFU) प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- इन पर सेना और पुलिस दोनों प्रकार के कार्यों का अत्यधिक बोझ डाल दिया जाता है। उदाहरणस्वरुप वे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं तथा आतंकवादियों और विद्रोही तत्वों का सामना भी करते हैं।
- मानव शक्ति की कमी से इनके कार्यभार में वृद्धि होती है।
- इसमें शीर्ष पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (*इंडियन पुलिस सर्विस:* IPS) के अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो अर्द्धसैनिक बलों की मूल समस्याओं को नहीं समझ पाते। परिणामस्वरूप इन बलों में मनोबल में कमी आती है।
- कार्य की खराब परिस्थितियां जैसे आवास सुविधाओं का न होना, खराब भोजन और कम भत्ते समस्याओं को बढ़ाते हैं। **(नेपोलियन ने एक बार कहा था की "सेना अपने पेट के बल पर चलती है")।**
- वे न्याय से वंचित हैं। उदाहरणस्वरुप:
  - सशस्त्र बलों के न्यायाधिकरण उन्हें सम्मिलित नहीं करते हैं।
  - इनकी न्यायिक प्रणाली कोर्ट मार्शल जैसी जिसे सुरक्षा बल न्यायालय कहा जाता है। यह प्रणाली अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्रदान करती है।
  - न्यायालयों और गृह मंत्री को अपील करना महँगा और जटिल है।
  - यहां तक कि अनुच्छेद 33 उन्हें असैनिक (civilian) न्यायपालिका में जाने से रोकता है।

सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

- विवादों का बेहतर समाधान, कार्य क्षेत्रों में संचार सुविधायें, योग आदि प्रारंभ किया गया है।
- जवानों और अधिकारियों के बीच बातचीत में वृद्धि, सरकार द्वारा उनके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए 14 उपायों का भाग थी।
- 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अर्द्धसैनिक बलों के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को वेतन उन्नयन प्रदान करने के लिए सरकार को आदेश दिया।
- अर्द्धसैनिक बलों में लैंगिक समानता में सुधार करने के लिए -
  - सरकार ने CRPF और CISF में कांस्टेबल पद पर 33% महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दी।
  - यह BSF, SSB और ITBP सीमा बलों में भी महिलाओं के लिए 15% कोटा निर्धारित करता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- अर्द्धसैनिक बलों को संगठित सेवा श्रेणी के अंतर्गत लाने हेतु DoPT की अधिसूचना को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। MHA को शीघ्र ही इसे अधिसूचित करना चाहिए।
- अर्द्धसैनिक बलों की मांग पर विचार किया जाना चाहिए, उदाहरणस्वरूप
  - एक सैन्य सेवा वेतन
  - कैरियर में समय पर पदोन्नति,
  - बेहतर बुनियादी ढांचा
  - जब वे लड़ते हुए मारे जाएँ तो शहीद का दर्जा।
- अर्द्धसैनिक बलों के लिए एक पृथक शिकायत निवारण तंत्र और एक अलग न्यायाधिकरण की आवश्यकता है।
- भत्ते में समता के लिए **"एक क्षेत्र, एक भत्ता"** लागू किया जाना चाहिए। यह एक ही क्षेत्र में तैनात सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों - दोनों को एक ही भत्ता प्रदान करता है।
- वे विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए अधिक कठिनाई भत्ता (hardship allowance) चाहते हैं।

VISION IAS

7.3. पुलिस सुधार

(Police Reforms)

आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस की होती है। पुलिस किसी भी संकट के प्रति प्रथम प्रतिक्रियादाता होती है क्योंकि कानून और व्यवस्था संबंधी किसी भी मामले में जनता सबसे पहले पुलिस की सहायता प्राप्त करने की कोशिश करती है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण और अन्य आवश्यक सुधारों हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कानून-व्यवस्था में सुधार के साथ पुलिस को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने हेतु इस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता हैं।

पुलिस संबंधी मुद्दे

- **कानून और व्यवस्था राज्य का विषय-** इसलिए केंद्र-राज्य के मध्य सहयोग आवश्यक है।
- **आधुनिकीकरण परियोजनाओं में विलंब** - गृह मंत्रालय के बजट में 30% की वृद्धि के बावजूद पुलिस आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन अभी भी पूरा ना हो पाना।
- **कनेक्टिविटी और सर्वर के मुद्दे** कुछ राज्यों के दूर-दराज जिलो में यह एक बड़ी समस्या है।
- **सीएजी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में निम्न चुनौतियां बनी हुई है:**
  - राज्य पुलिस द्वारा **अपग्रेडेशन हेतु आवश्यक योजनाओं के निर्माण में निरंतर विलंब**।
  - **बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत वाहनों की खरीद में अत्यधिक विलंब**।
  - **जनशक्ति(manpower) में पर्याप्त वृद्धि के बिना** आधुनिकीकरण। जैसे कि अनेक जिलों के कण्ट्रोल रूम पर्याप्त जनशक्ति के अभाव में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
  - **फोरेंसिक लैब और फिंगरप्रिंट ब्यूरो** जैसी बुनियादी सुविधाओ का अभाव।
- **पुलिस प्रशिक्षण** में आधुनिक उपकरणों और प्रक्रियाओं के उपयोग की कमी।अधिकांश राज्यों के प्रशिक्षण अकादमियों में बेहतर बुनियादी ढांचे की कमी है।इन संस्थानों में ज्यादातर पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यो हेतु अनुपयुक्त सिद्ध पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किये जाने से इनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।
- **भूमिका में स्पष्टता का अभाव:** पुलिस को कई प्रकार की भूमिकाओ का निर्वहन करना पड़ता है जैसे कि VIP की सुरक्षा इत्यादि।इस प्रकार उनके दायित्वों का स्पष्ट **निर्धारण ना होना एक बड़ी समस्या है** ।
- **संरचनात्मक मुद्दों:** अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति पुलिस अनुपात बहुत कम है।
- **व्यवहार सम्बंधित मुद्दे:** पुलिस कर्मियों को जटिल परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के कार्य के घंटे निर्धारित न होने के कारण उनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

7.3.1. पुलिस का आधुनिकीकरण

(Modernisation of Police)

पुलिस बल का आधुनिकीकरण दो मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित है – भौतिक अवसंरचना (आधुनिक *फॉरेंसिक साइंस* प्रयोगशालाओं का निर्माण इत्यादि) तथा पुलिस बल (अस्त्रों तथा उपकरणों में सुधार इत्यादि) का आधुनिकीकरण।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण पुलिस को, *'स्मार्ट (Smart)'* बनाने की दिशा में एक कदम है।इसका अर्थ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्णित किया गया – स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव (सख्त तथा संवेदनशील), मॉडर्न एंड मोबाइल (आधुनिक तथा गतिशील), अलर्ट एंड अकाउंटेबल (सतर्क तथा जवाबदेह), रिलाएबल एंड रिस्पॉन्सिव (विश्वसनीय तथा अनुक्रियाशील), टेक सैवी एंड ट्रेन्ड (तकनीक के जानकार तथा प्रशिक्षित) जैसे आधारभूत बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता ।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए उठाये कदम

- 2000 में गृह मंत्रालय द्वारा ***मॉडर्नाइजेशन ऑफ़ पुलिस फ़ोर्स*** (MPF) योजना की शुरुआत की गयी जिसका उद्देश्य पुलिस का आधुनिकीकरण करना, **अर्धसैनिक दलों पर उनकी निर्भरता कम करना** तथा उन्हें **नवीनतम उपकरण** तथा बेहतर अवसंरचना

VISION IAS

उपलब्ध कराना था। इसका लक्ष्य पुलिस की गतिशीलता, अस्त्रों, उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना, कम्प्यूटरीकरण तथा *फॉरेंसिक साइंस* सुविधाओं को बेहतर बनाना भी था।

- **बजट 2017-18** – हाल ही में पुलिस व्यवस्था हेतु आवश्यक अवसंरचना को सशक्त करने एव पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु **बजट आवंटन में वृद्धि (विगत वर्ष की तुलना में)** की गयी।
- ***क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स* (CCTNS) योजना** – इसका उद्देश्य पुलिस के जांच अधिकारियों को उपकरण, प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रदान करना है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीकृत डेटाबेस से पुलिस स्टेशनों को जोड़ने के माध्यम से अपराध तथा अपराधियों की जांच-पड़ताल को सुगम बनाना है।
- पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को ***इंटीग्रेटेड मिशन मोड* प्रोजेक्ट (MMP) के रूप में *नेशनल ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट* (NeGP)** में शामिल किया गया है।
- एक ***मेगा सिटी पुलिसिंग* (MCP) योजना** की शुरुआत की गयी है जिसमें सात शहरों- मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा अहमदाबाद के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

7.3.2. उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश

(Supreme Court Guidelines)

सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में निम्नलिखित निर्देश जारी किए

- नीति निर्देश प्रदान करने के लिए **राज्य सुरक्षा आयोग (SSC)** का गठन करना और यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार, पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव का प्रयोग न करे।
- **DGP की नियुक्ति मेरिट आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए तथा उनका न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष** सुनिश्चित किया जाये।
- **कार्यरत अन्य पुलिस अधिकारियों**(पुलिस अधीक्षक और पुलिस थाने का प्रभारी)के लिए भी **दो साल का न्यूनतम कार्यकाल** सुनिश्चित किया जाए।
- पुलिस के जांच और कानून-व्यवस्था से सम्बंधित कार्यों को अलग किया जाए।
- पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे के पदो के अधिकारियों के स्थानान्तरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधित मामलों का निर्णय करने के लिए तथा पुलिस उप अधीक्षक से ऊपर के पदो की पोस्टिंग और स्थानान्तरण संबंधी सिफारिशो हेतु एक **पुलिस एस्टाब्लिश्मेंट बोर्ड (PEB)** की स्थापना करना।
- राज्य स्तर पर **पुलिस शिकायत प्राधिकारी (PCA)** की स्थापना करना जो कि पुलिस अधिकारियो के विरुद्ध जन शिकायतों की जाँच करने के साथ ही पुलिस उपअधीक्षक या उपर के अधिकारियो पर लगे गंभीर कदाचार से संबंधित मामलों में जैसे कि हिरासत में मौत, गंभीर चोट या पुलिस हिरासत में बलात्कार आदि पर शिकायत दर्ज करने और साथ ही जिला स्तर पर पुलिस उपअधीक्षक के नीचे के अधिकारियो पर लगे आरोपों की शिकायत के लिए तंत्र स्थापित करेगा।
- केन्द्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग(NSC)** की स्थापना की जाये।जिसका कार्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CPO) के प्रमुखों का चयन और नियुक्ति करना होगा जिनका न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु गठित न्यायमूर्ति थॉमस समिति के अनुसार:

- जम्मू कश्मीर और ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की गई है। लेकिन कुछ राज्यों में इन आयोगों में सरकार और पुलिस अधिकारियों का वर्चस्व है।
- राज्य सुरक्षा आयोगों और पुलिस एस्टाब्लिश्मेंट बोर्डों की **संरचना और शक्तियां** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से भिन्न थीं।
- इन आयोगों में से कई को बाध्यकारी सिफारिशों को जारी करने की शक्ति नहीं प्रदान की गयी है।

- डायरेक्टर और इंस्पेक्टर्स-जनरल(IG) के कार्यकाल की अवधि भी तय नहीं की गई है तथा उन्हें कार्यकाल के मध्य में असमर्थतता और अन्य काल्पनिक आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि **केरल में टी.पी. सेनकुमार का मामला।**
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई राज्यों द्वारा अनुपालन न किये जाने पर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में असमर्थता व्यक्त की है।

7.3.3. अन्य आवश्यक कदम

(Other Steps Required)

- **भर्ती में बदलाव** - प्रशिक्षुओं की गुणवत्ता का अपग्रेडेशन करना।यह सुनिश्चित किया जाना भी सामान रूप से महत्वपूर्ण है कि दैनिक जीवन में जनता को समर्पण और ईमानदारी के साथ पुलिस द्वारा सेवाए प्राप्त हो।
- **नेतृत्व की भूमिका** -पुलिस के नियमित कार्यो में राजनीतिक हस्तक्षेप जहां एक बड़ी समस्या है वहीं पुलिस प्रशासन में आवश्यक सुधारों हेतु पुलिस नेतृत्व को भी उत्तरदायित्व का वहन करना होगा।
- **मॉडल पुलिस अधिनियम की प्रतिकृति** -केंद्र को **मॉडल पुलिस अधिनियम** का राज्यों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

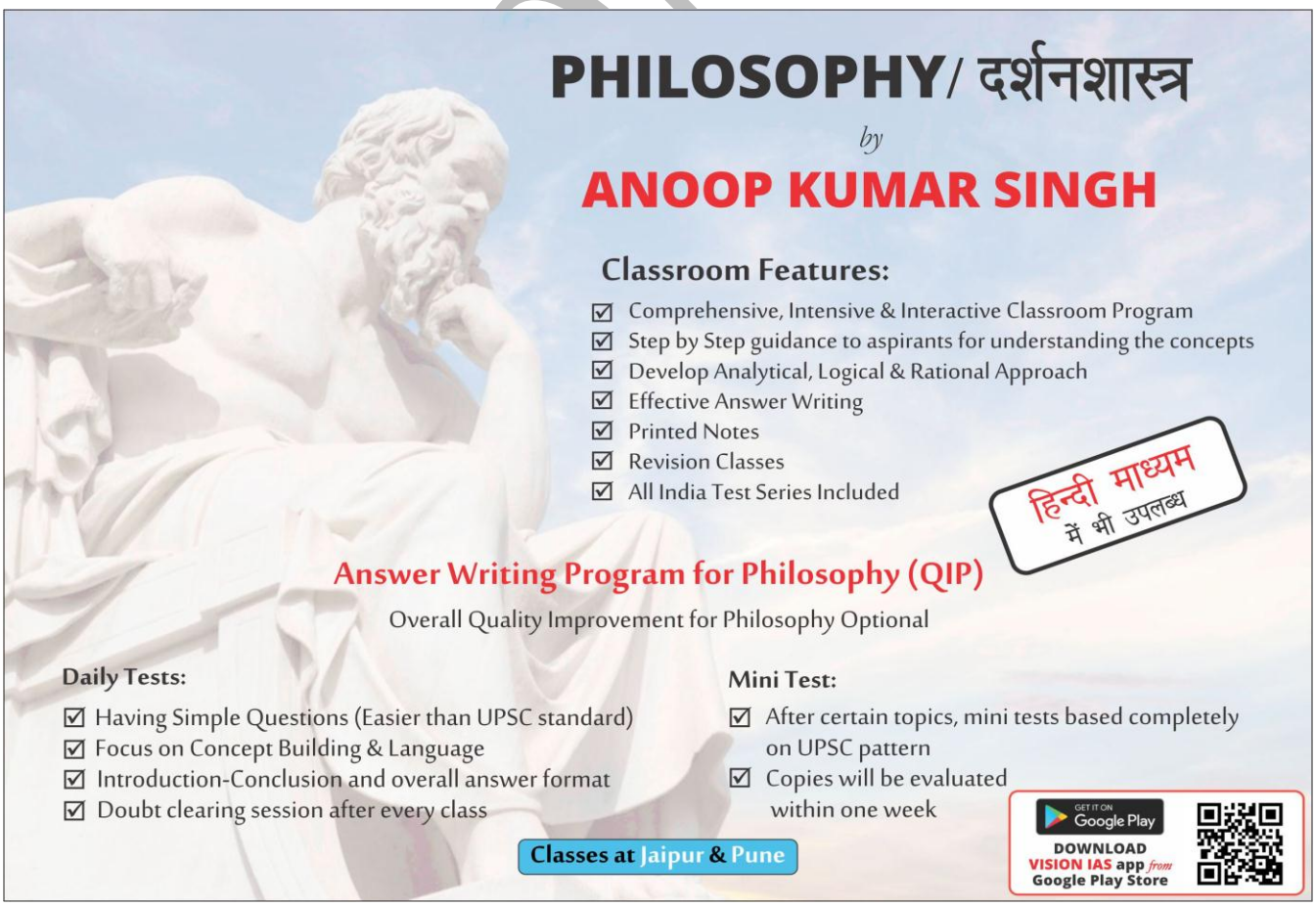

8. रक्षा क्षेत्र

(DEFENSE SECTOR)

8.1. NTRO को इंटेलिजेंस एक्ट के अंतर्गत लाया गया

(NTRO Under Intelligence Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान (*नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गेनाईजेशन*: NTRO) को *इंटेलिजेंस आर्गेनाईजेशन्स (रेस्ट्रिक्टशन ऑफ़ राइट्स) एक्ट, 1985* के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की है।

इंटेलिजेंस आर्गेनाईजेशन्स (रेस्ट्रिक्टशन ऑफ़ राइट्स) एक्ट, 1985

- इस अधिनियम का उद्देश्य इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा होने वाले सूचना के लीकेज को रोकना है।
- यह किसी अधिसूचित एजेंसी के कर्मचारियों के निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करता है -
  - कोई संगठन/संघ बनाना
  - कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता
  - खुफिया संगठन के प्रमुख की अनुमति के बिना प्रेस के साथ किसी भी तरह का वार्तालाप, या किसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज का प्रकाशन

NTRO के बारे में

- NTRO का गठन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के पश्चात् एक समर्पित **तकनीकी इंटेलिजेंस एजेंसी** के रूप में किया गया था। यह 2004 में पूर्णतः गठित हुआ।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत कार्य करता है।
- NTRO प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करता है।
- इसके अंतर्गत राष्ट्रीय क्रिप्टोलॉज़ी अनुसन्धान एवं विकास केंद्र भी सम्मिलित है।

भारत में विभिन्न ख़ुफ़िया संस्थान

1. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW)

- इसकी स्थापना 1968 में चीनी प्रभाव को रोकने के लिए हुई थी, हालांकि कालांतर में इसका कार्य पाकिस्तान पर केन्द्रित हो गया।
- यह भारत की प्रमुख बाह्य खुफिया एजेंसी है।
- यह रक्षा विभाग के बजाय सीधे प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं-
  - समीपवर्ती देशों में राजनीतिक और सैन्य विकास की निगरानी करना, जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं इसकी विदेश नीति की रूपरेखा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
  - यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पाकिस्तान को होने वाली सैन्य आपूर्तियों पर नियंत्रण एवं उन्हें सीमित करने के प्रयास करना।

2. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)

- इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा आतंरिक तथा बाह्य ख़ुफ़िया मामलों से निपटने के लिए की गयी थी। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद इसे बाह्य ख़ुफ़िया कार्यों से मुक्त कर दिया गया।
- यह आतंकरोधी तथा काउंटर इंटेलिजेंस कार्यों का निष्पादन भी करती है।

VISION IAS

3. डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI)

- यह भारत की सर्वोच्च तस्करीरोधी एजेंसी है, जो वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत कार्य करती है।
- यह निषिद्ध वस्तुओं, नशीले पदार्थों और वन्य जीवन तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी और कस्टम शुल्क चोरी को भी रोकता है।

4. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो – यह 1986 में '*द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985*' के प्रावधानों के अनुरूप स्थापित की गई थी। यह एक खुफिया एजेंसी है और देश से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के मामले से संबंधित प्राधिकरणों की कार्रवाई का समन्वय करती है।

महत्त्व

इस अधिसूचना के उपरांत अब NTRO भी IB तथा RAW के समान आचार संहिताओं द्वारा नियमित होगा एवं उसके समान शक्तियाँ धारण करेगा।

- 2012 में, गृह मंत्रालय ने NTRO को फोन की निगरानी से संबंधित शक्तियाँ देने से मना कर दिया था क्योंकि इसे अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था। अब NTRO को इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी जा सकती है।

चुनौतियाँ

- यह अधिनियम विभिन्न खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों को स्पष्टतः परिभाषित नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा एजेंसियाँ कभी-कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं।
- IB और RAW दोनों ही एजेंसियाँ इस अधिनियम के दायरे में किसी अन्य एजेंसी को शामिल करने का विरोध कर रही हैं।

आगे की राह

- *नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी* (NIA), DRI और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जैसी कई सुरक्षा एजेंसियाँ भी ख़ुफ़िया संगठन अधिनियम दायरे में आने को इच्छुक हैं। अतः, सरकार को हमारे ख़ुफ़िया तंत्र को सशक्त करने की दिशा में इस तरह के प्रयास करने चाहिए।

8.2. रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण से संबद्ध मुद्दे

(Issues in Modernisation of Defence)

आधुनिकीकरण दो प्रकार से किया जा सकता हैं।प्रथम,मौजूदा उपकरणों को आधुनिक तथा उन्नत बनाकर तथा द्वितीय, नये उपकरण खरीदकर तथा उनका विनिर्माण करके।

विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना वाले देश की आत्मनिर्भरता के लिए इस क्षेत्र का स्वदेशीकरण अति आवश्यक है। 60% रक्षा आवश्यकताओं के आयात के साथ भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा रक्षा सामग्री का आयातक देश है।रक्षा उद्योगों के आधुनिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही एक मिलियन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना भी है।

8.2.1. सरकारी खरीद से जुड़े मुद्दे

(Procurement Issues)

मुद्दे

सैन्य उपकरणों के अधिग्रहण की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। जिसके निम्नलिखित कारण हैं:

- बजट आवंटन उपयुक्त रूप से नहीं हुआ है जिसके कारण संबंधित मंत्रालयों तथा जनता के बीच सूचना असममिति(information asymmetry) उत्पन्न होती है।

- 2017-18 के लिए अनुमानित की गयी GDP में 1.56 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाले रक्षा क्षेत्र हेतु आवंटित बजट 1956-57 से लेकर अब तक में सबसे कम रहा है।यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठित पैनल द्वारा की गई सिफारिश से अत्यधिक कम है।
- **भ्रष्टाचार** के कारण भी कई सौदे विफल रहे हैं।
- रक्षा मंत्रालय को आवंटित धन के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं किया गया है।
- **बहु-स्तरीय निर्णय** लेने की प्रक्रिया।

प्रोक्योरमेंट (खरीद) से संबंधित सुधार

नई रक्षा खरीद नीति, 2016 *(न्यू डिफेन्स प्रोक्योरमेंट पालिसी*: NDPP)

- नई DPP में दोहराए जाने वाली प्रक्रियाओं को समाप्त करके खरीद में होने वाली देरी को समाप्त करने पर बल दिया गया है।
- DPP में *इंडिजेनसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड* (IDMM) नामक एक नई श्रेणी का प्रावधान किया गया है जो खरीद के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी होगी। "मेक" श्रेणी के अंतर्गत मौजूद तीन उपश्रेणियों द्वारा घरेलु निजी तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- अधिग्रहण योजनाओं को सामान्यतः *'बाय'*, '*बाय एंड मेक*' तथा *'मेक'* श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। *'बाय'* को आगे फिर *'बाय* (*इंडिजेनसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड* – IDMM), *'बाय (इंडियन)'*, तथा *'बाय (ग्लोबल)'* में वर्गीकृत किया गया है । *'बाय एंड मेक'* परिष्कृत (Fully Formed -FF) उपकरणों की खरीद है जिनका उपयोग प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से स्वदेश में रक्षा उत्पादन में किया जायेगा।*बाय इंडियन* एवं IDDM में कम से कम 40% सामग्री स्वदेशी होनी अनिवार्य हैं।
- भारतीय निर्माताओं हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अधिकांश घटकों को औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों की सूची से हटा लिया गया है । इससे नए प्रवेशकों, विशेष तौर पर SMEs के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करने के मार्ग में आने वाली बाधाएं कम हुई हैं।
- भारतीय विक्रेताओं के संरक्षण के लिए *एक्सचेंज रेट वेरिएशन* (ERV), *बाय (ग्लोबल)* मामलों में *ऑफसेट* दायित्व, रक्षा उपकरणों पर उत्पाद/ सीमा शुल्क जैसे प्रावधान , भारतीय तथा विदेशी निर्माताओं ,सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।
- *कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यूरिटी* (CCS) ने रक्षा मंत्री की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की है।
- जहाँ पहले, रक्षा मंत्री द्वारा 500 करोड़ रुपये तक के सौदों को सहमति प्रदान की जा सकते थे वहीँ अब, यह सीमा 2000 करोड़ रुपये तक की कर दी गयी है।
- रक्षा सचिव को भी 500 करोड़ तक के सौदे को तय करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
- *डिफेन्स एक्वीजीशन कौंसिल* (DAC) ने लंबे समय से लंबित **कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की नीति** को भी मंजूरी प्रदान की है।ऐसी कंपनियों को **ब्लैकलिस्ट किया जायेगा जो** हथियारों के प्रोक्योरमेंट से जुड़ी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पायी जाएंगी।

ऐसे कदम जिनके बारे में विचार किया जा सकता है

- हाल ही में, प्रीतम सिंह समिति ने एक ***डिफेंस प्रोक्योरमेंट आर्गेनाईजेशन*** **(DPO)** की स्थापना का सुझाव दिया है जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे:
  - यह संगठन अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा। इसमें नियंत्रण एवं संतुलन हेतु एक **स्वतः नियमित तंत्र** होगा जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित होगी।
  - यह वांछित उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए **जोखिम को कम करेगा**।
- रक्षा हेतु **संसद की स्थायी समिति** ने **रक्षा मंत्रालय** के एक ***'नॉन-लैप्सेबल कैपिटल फण्ड अकाउंट'*** की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
  - वर्तमान में इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए लंबित है।

- इस प्रस्ताव की सिफारिश इसलिए की गयी क्योंकि रक्षा ख़रीद में अक्सर कई वर्षों का समय लग जाता है लेकिन आवंटित बजट राशि वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त (लैप्स) हो जाती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को अधिग्रहण पूँजी हेतु मिले हुए धन को लौटाना पड़ता है।

8.2.2. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल : SP मॉडल

(Strategic Partnership Model: SP Model)

रक्षा क्षेत्र के *'मेक इन इंडिया'* कार्यक्रम के अंतर्गत कई परियोजनाएं रुकी हुईं हैं। इसका कारण SP मॉडल को अंतिम रूप न देना है जिससे स्वदेशी रक्षा निर्माण हेतु भारतीय निजी कंपनियों का चयन किया जा सकेगा।

पृष्ठभूमि

- मार्च 2016 में आरम्भ की गयी रक्षा खरीद प्रक्रिया (*डिफेन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर:* DPP) में SP मॉडल के तहत भारतीय निजी रक्षा कंपनियों के चयन संबंधी मानदंड निर्धारित नहीं किये गए थे।
- SP मॉडल की संकल्पना सबसे पहले धीरेन्द्र सिंह समिति द्वारा की गई थी जिसमें चुनी गयी एक निजी कंपनी के साथ ही एक सैन्य मंच की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का आश्वासित अनुबंध प्रस्तावित किया गया था।
- इसका अर्थ यह है कि किसी एक कंपनी को भारत में अगले 20 वर्षों तक सभी समुद्री पनडुब्बियों के निर्माण की संविदा (contract) मिल सकती है वहीं दूसरी कंपनी को सभी हवाई जहाज के निर्माण की।

कुछ रुकी हुई परियोजनाओं में निम्न शामिल हैं:

- P 75i परियोजना के अंतर्गत नौसेना के पनडुब्बी बेड़े में शीघ्र स्थानापन्न हेतु नई पनडुब्बियों का निर्माण स्थगित है।
- भारतीय विनिर्माताओं पर निर्णय में हो रहे विलम्ब के कारण नेवल यूटिलिटी हेलीकाप्टर का निर्माण भी रुका हुआ है।

SP मॉडल को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के कारण

- मंत्रालय का अधिग्रहण खंड चाहता है कि प्रत्येक मंचों हेतु दो या दो से अधिक कंपनियों को रणनीतिक भागीदारों के रूप में चयनित कर, प्रतिस्पर्धात्मक बोली (बिडिंग) के माध्यम से मूल्य तय करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन रक्षा विभाग ऐसे SP मॉडल के पक्ष में है जिसमें कीमतों को एक कॉस्ट-प्लस मॉडल की मदद से तय किया जाता हो।
- रक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने भी इस प्रस्तावित कॉस्ट-प्लस मॉडल का प्रयोग करना बंद कर दिया है क्योंकि इसके कारण स्वदेश में उत्पादित उपकरणों का मूल्य बहुत अधिक हो जाता था।
- सुनिश्चित सौदों का कुल मूल्य 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक होगा जो कि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसके लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति लेनी होगी। ऐसा संभव है कि मंत्रिमंडलीय समिति प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु बल दे।
- इस प्रक्रिया में नुकसान झेल रही कंपनियों से SP मॉडल को कानूनी चुनौती भी मिल सकती है।
- SP मॉडल रक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली नई कंपनियों तथा नई प्रौद्योगिकी के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इससे एकाधिकार की स्थिति पैदा हो सकती है।

SP मॉडल का महत्व

- चार प्रमुख क्षेत्रों यथा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियाँ तथा बख़्तरबंद वाहनों *(आर्मर्ड विहिक्ल्स)* एवं मुख्य युद्ध टैंक के निर्माण में घरेलू विशेषज्ञता प्राप्त होगी।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, क्षमता में वृद्धि करने, प्रौद्योगिकी को शीघ्रतापूर्वक अपनाने तथा अपेक्षाकृत अधिक अर्थपूर्ण समावेशन करने की क्षमता प्रदान करना।
- इससे स्तरित (layered) औद्योगिक परिवेश का निर्माण करने, व्यापक कौशल आधार के विकास को सुनिश्चित करने, नवाचार

VISION IAS

को बढ़ावा देने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला (*वैल्यू चेन्स*) में भागीदारी के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी।

- विदेशी OEMs भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम बना सकेंगे तथा बड़े पैमाने की रक्षा परियोजनाओं को शुरू कर सकेंगे।

8.3. पहले प्रयोग न करने की परमाणु नीति

(Nuclear No First Use Policy)

भारत द्वारा परमाणु हथियारों के "पहले प्रयोग न करने" (No first use) के सिद्धांत को आधिकारिक रूप से 2003 में गया अपनाया गया था। यह भारत के पहले हमला न करने तथा एक "*क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट*" की स्थिति बनाये रखने की संकल्पना निहित है।इस सिद्धांत का अर्थ है भारत प्रथम आक्रमण नहीं करेगा किन्तु भारत पर आक्रमण किये जाने की स्थिति में दूसरे हमले का निश्चित प्रत्युत्तर देगा। भारतीय क्षेत्र में या कहीं भी भारतीय बलों पर किसी भी ऐसे हमले की स्थिति में भारत के पास परमाणु हथियार प्रयोग करने का अधिकार है जिसके अंतर्गत रासायनिक या जैविक उपकरणों का उपयोग भी शामिल है।

परिपेक्ष्य

इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि पाकिस्तान तथा चीन के पास पहले ही परमाणु हथियार की मौजूदगी के परिदृश्य में 1990 के दशक के अंत से निर्मित होना प्रारंभ हुई । अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रसार निरोध व्यवस्था भी इस समस्या को हल करने में असमर्थ थी। इसलिए भारत को एक *न्युक्लियर वेपन स्टेट* (NWS) के रूप में अपनी क्षमता को सिद्ध करने के लिए 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण करना पड़ा । तत्पश्चात भारत ने एक उत्तरदायी शक्ति के रूप में NFUके सिद्धांत को अपनाया,जिसके माध्यम से उसने यह आश्वासन दिया कि उसके द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल निवारक (*deterrent*) के रूप में किया जायेगा।उसके द्वारा परमाणु सश्त्रों के विकास का उद्देश तथा परमाणु सश्त्रो से उत्पन्न खतरों का सामना करना है।

वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह :

निम्न कारणों से यह सिद्धांत वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता खो रहा है एवं इसके त्याग की आवश्यकता है

- **पड़ोसी देशों का परमाणु सिद्धांत:** पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से अपने परमाणु सिद्धांत की घोषणा नहीं की है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अपना सामरिक परमाणु हथियार कार्यक्रम भी जारी रखा है। चीन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी "पहले प्रयोग न करने की नीति "भारत पर लागू होगी या नहीं।
- **वैश्विक परिपेक्ष्य**- वर्तमान परिपेक्ष्य में बहुत कम देश NFU का पालन करते हैं।
- **निवारक प्रभावों हेतु (deterrence)अस्पष्टता आवश्यक -** परमाणु हथियार पर अस्पष्टता आवश्यक है जिससे भारत के विपक्षियों के मन में एक संदेह की स्थिति बनी रहे।

अब भी NFU आवश्यक क्यों है?

NFU की नीति का त्याग करने के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं:

- **उत्तरदायी परमाणु शक्ति की प्रतिष्ठा को हानि -** इस कदम से परमाणु निरस्त्रीकरण के वैश्विक लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता समाप्त हो जाएगी।
- **उकसावे की कार्रवाई का प्रतीक(Signal of provocation)-** इससे वैमनस्य की स्थिति में हथियारों के प्रसार तथा अस्त्रों की स्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष

NFU को बनाये रखने से भारत को कई लाभ हो सकते हैं। हालाँकि, बदलती सामरिक स्थितियों में, भारत को राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपने सिद्धांत में संशोधन करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए।यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दीर्घावधिक समाधान परमाणु निरस्त्रीकरण से ही प्राप्त हो सकता है।जिसमें भारत ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है।

8.4. आउटर स्पेस संधि

(Outer Space Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आउटर स्पेस संधि ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

पृष्ठभूमि

- 1957 में रूसी अंतरिक्ष उपग्रह स्पुत्निक (Sputnik) के प्रक्षेपण और परिणामस्वरुप उत्पन्न हुई **शीत युद्ध की परिस्थितियों ने अंतरिक्ष में प्रतियोगिता** को प्रेरित किया।
- अंतरिक्ष का उपयोग करने के संबंध में एक सुव्यवस्थित तंत्र के निर्माण हेतु, स्पुत्निक के प्रक्षेपण के बाद **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति** ***(कमिटी ऑन पीसफुल युज़ेज ऑफ़ आउटर स्पेस:*** **COPUOS)** बनाई। इसने 1967 में संधि की स्थापना को प्रेरित किया।

संधि के बारे में

- संधि संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले कई प्रस्तावों पर आधारित थी -
  - **"अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में देशों की गतिविधियों को प्रशासित करने वाले कानूनी सिद्धांतों की घोषणा** ***(डिक्लेरेशन ऑफ़ लीगल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द स्टेट एक्टिविटीज़ इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ़ आउटर स्पेस)***" के बारे में **रिज़ॉल्यूशन 1962**।
  - **रिज़ॉल्यूशन 1884,** जो यह निर्दिष्ट करता है कि देशों को अंतरिक्ष में किसी भी **परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों को रखने से बचना** चाहिए।
- संधि के कुछ **अन्य प्रावधान** निम्नलिखित हैं -
  - आउटर स्पेस में अन्वेषण और इसके उपयोग की सभी को अनुमति है और इसका उपयोग **सभी देशों और मानव जाति के हित में** किया जाना चाहिए।
  - आउटर स्पेस संप्रभुता, व्यवसाय, या अन्य मायनों में **राष्ट्रीय दावों के अधीन नहीं** है।
  - चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों का उपयोग **केवल शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु** किया जाएगा।
  - राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों और सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नुकसान के लिए **संबंधित देश उत्तरदायी** होंगे।
- भारत भी आउटर स्पेस संधि का सदस्य है।

UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स (UNOOSA) (1958)

- यह आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह UNGA की COPUOS के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- यह आउटर स्पेस में प्रक्षेपित किए गए पिंडों के लिए संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर को भी स्थापित करता है।
- यह आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना हेतु संयुक्त राष्ट्र मंच (*UN प्लेटफार्म फॉर स्पेस बेस्ड इनफार्मेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पांस*: UN -SPIDER) का प्रबंधन करता है।
- अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से संबंधित मुद्दों को नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन (*कांफ्रेंस ऑन डिसआर्ममेण्ट*) द्वारा नियंत्रित किया जाता है न कि UNOOSA द्वारा।

VISION IAS

संधि की आवश्यकता

- **वैश्विक रूप से उभयनिष्ठ अंतरिक्ष**- अंतरिक्ष एक संसाधन है जो कि किसी एक देश की राजनीतिक पहुँच से बाहर है। इसलिए, **अंतरिक्ष तक निष्पक्ष और समान पहुँच** सभी के लिए आवश्यक है।
- भू-राजनीतिक रूप से, **अंतरिक्ष राष्ट्रीय सैन्यीकरण और संप्रभुता का एक साधन बनता जा रहा है**। प्रभावी मानकों द्वारा इसे शांतिपूर्ण और प्रगतिशील क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए।
- अंतरिक्ष यात्रा, क्षुद्रग्रह खनन, प्रयोगात्मक विज्ञान आदि जैसे अंतरिक्ष के बढ़ते व्यवसायीकरण के फलस्वरूप बेहतर विनियमन वाली एक संधि उपयोगी हो सकती है।

संधि का महत्त्व

- विश्वव्यापी प्रतिनिधित्व के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए यह एकमात्र संधि है।
- यह अब तक अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष को रोकने में सफल रही है।

संधि के समक्ष चुनौतियाँ

- वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र को चुनौती देने वाले कई मुद्दे प्रकट हुए हैं जैसे कि -
  - अंतरिक्ष अन्वेषण का निजीकरण
  - अत्यधिक उपग्रह अवशेष का खतरा
  - गोपनीयता के अनैतिक उल्लंघन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग
  - क्वांटम भौतिकी, क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम कम्प्यूटिंग का उदय

संधि की सीमाएं

- सामूहिक विनाश के हथियार, आउटर स्पेस आदि जैसे शब्दों की अस्पष्ट परिभाषा इसके दुरूपयोग की संभावना को बढ़ा देती है।
- हालाँकि, यह संधि **सैन्य प्रौद्योगिकी की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है तथा यह केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इसकी अनुमति देती है** लेकिन इसका कभी-कभी कमी (लूप-होल) के रूप में दुरुपयोग किया जाता है।
- यह 21 वीं सदी के डिजिटल युग में (जहाँ पारंपरिक हथियारों की जगह साइबर डिजिटल हथियारों ले ली है) 20 वीं सदी की संधि है। संधि अभी भी पुरानी अवधारणाओं पर केंद्रित है।
- किसी भी देश की ज्यादतियों के खिलाफ संधि के प्रावधानों को लागू कराने के लिए **'स्पेस पुलिस' का अभाव इसे प्रभावहीन** कर देता है।

आउटर स्पेस से सम्बंधित चार अन्य प्रमुख संधियाँ

1. ***रेस्क्यू अग्रीमेंट:*** संकट की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता और बचाव के लिए देशों द्वारा कदम उठाया जाए।
2. ***लायबिलिटी कन्वेंशन:*** प्रक्षेपण करने वाला देश अपनी प्रक्षेपित पिण्ड की वजह से पृथ्वी की सतह, हवाई क्षेत्र और अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
3. ***रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन:*** सभी प्रक्षेपणों का सर्वसुलभ रजिस्टर हो।
4. ***मून ट्रीटी:*** जब भी चंद्रमा के संसाधनों का दोहन संभव हो, इसे नियंत्रित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरिक्ष कानून

- भारत में सार्वभौम, सार्वजनिक या वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए कोई अंतरिक्ष कानून नहीं है
- वर्तमान में भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों का मार्गदर्शन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है -
  - आउटर स्पेस संधि जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष समझौते
  - संविधान और कुछ राष्ट्रीय कानून
  - सैटेलाइट कम्युनिकेशंस (SatCom) पॉलिसी (2000), संशोधित रिमोट सेंसिंग पॉलिसी (2011)

VISION IAS

- **प्रस्तावित कानून के प्रावधान -**
  - इसमें एक नियामक शामिल होगा।
  - निजी ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण और लाइसेंस
  - अंतरिक्षीय पिंडों के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा और मुआवजा
  - अंतरिक्ष पर्यटकों के बचाव, पर्यावरण क्षति और बौद्धिक संपदा मामलों से निपटने जैसे विविध मुद्दे।
- **कानून के लाभ** - यह अंतरिक्ष के व्यावसायिक उपयोग को सुलभ बनाने, अंतरराष्ट्रीय संधियों और व्यवस्था नियामक तंत्र की सहायता करने में सरकारों की मदद करेगा।

आगे की राह

- यह अंतर्संबद्ध उत्तर आधुनिक वैश्वीकृत दुनिया द्वारा सामने लाई गई अनोखी चुनौतियों से निपटने के लिए संधि की पुनःसमीक्षा करने और सभी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के लाभों को अधिकतम करने का समय है। साथ ही, भारतीय संसद को अपने हितों की रक्षा के लिए आउटर स्पेस संधि की तर्ज पर एक समर्पित अंतरिक्ष कानून *(डेडिकेटेड स्पेस लॉ)* पारित करना चाहिए।

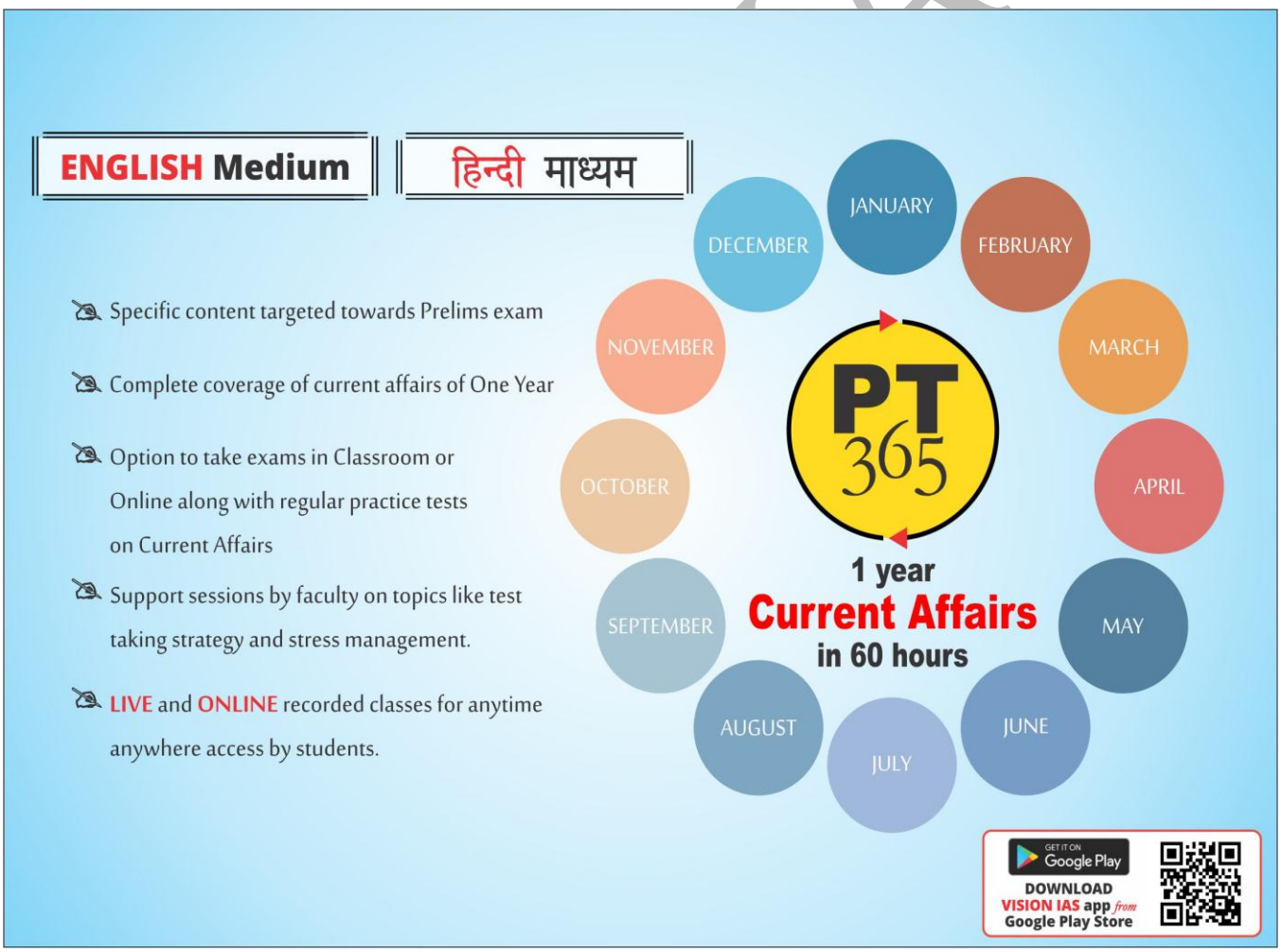

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.